CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. V Third Session, 2014/1936 (Saka) No. 4, Thursday, November 27, 2014/Agrahayana 6, 1936 (Saka)

SUBJECT	<u>PAGES</u>
MEMBERS SWORN	2
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 61 to 65	3-41
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 66 to 80	42-120
Unstarred Question Nos. 691 to 920	121-683

^{*}The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE		684-685	
MES	SAGE F AN	FROM RAJYA SABHA	
BILL	AS PAS	SSED BY RAJYA SABHA	686
STA	NDING (COMMITTEE ON INDUSTRY	
	260 th to	263 rd Reports	687
COM	IMITTE	EE ON PETITIONS	
	Petition	n No. 1	687
ELE	CTIONS	S TO COMMITTEES	688-692
	(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)	National Welfare Board for Seafarers National Shipping Board National Jute Board Committee on Estimates Committee on Public Accounts Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	688 689 690 690 691
MAT	TERS U	JNDER RULE 377	714-726
(i)	Bhakr	to provide a dedicated water pipeline from ra Mainline to Chandigarh to meet the growing needs of the city	
		Shrimati Kirron Kher	714-715
(ii)		to revive closed sugar and jute mills in Siwan et of Bihar	
		Shri Om Prakash Yadav	715
(iii)		to utilize the land donated by farmers under dan Movement launched by Vinoba Bhave	
		Shri Ramdas C. Tadas	716

(iv)	Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Palghar district of Maharashtra	
	Shri Kapil Moreshwar Patil	716
(v)	Need to extend banking facilities to the economically weaker section of the society in Bihar	
	Shri Kirti Azad	717
(vi)	Need to restart the Fertilizers Factory at Barauni in Bihar	
	Dr. Bhola Singh	718
(vii)	Need to procure paddy from farmers at minimum support price in a time-bound manner in Sahajahanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
	Shrimati Krishna Raj	719
(viii)	Need to set up a bench of National Green Tribunal in Gujarat	
	Shrimati Jayshreeben Patel	720
(ix)	Need to address the problems of farmers pertaining to crop-insurance in Churu Parliamentary constituency, Rajasthan	
	Shri Rahul Kaswan	721
(x)	Need to set up a Cashew Workers Welfare Fund Board	
	Shri Kodikunnil Suresh	722

(xi)	Need to give preference to Course Completed Act Apprentices in recruitment in Southern Railway and in Integral Coach Factory, Chennai, Tamil Nadu	
	Dr. P. Venugopal	723
(xii)	Need to expedite doubling and electrification of railway line between Chennai and Kanyakumari	
	Shri K.R.P. Prabakaran	724
(xiii)	Need to expand the operation of Air India and take suitable steps to make it more competitive	
	Shri Dinesh Trivedi	725
(xiv)	Need to expedite gauge conversion of railway lines between Badaun and Bareilly and construction of railway lines between Etawah and Mainpuri in Uttar Pradesh	
	Shri Dharmendra Yadav	726
(xv)	Need to take immediate steps to curb the increasing incidents of cancer particularly in Sangrur, Punjab	
	Shri Bhagwant Mann	726
	STITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS ENDMENT) BILL, 2014	727-759
	Motion to consider	727
	Shri Kodikunnil Suresh	728-732
	Dr. Kirit P. Solanki	733-735
	Shri C. Gopalakrishnan	736-738
	Shrimati Pratima Mondal	739-740
	Dr. Kulmani Samal	741
	Prof. A.S.R. Naik	742-743

	Shri Sankar Prasad Datta	744-745
	Shri Varaprasad Rao Velgapalli	746-747
	Shri Mulayam Singh Yadav	748
	Shri Sher Singh Ghubaya	749-750
	Shri Rajesh Ranjan	751-752
	Shri Asaduddin Owaisi	753-754
	Shri Santosh Kumar	755
	Shri Prem Das Rai	756
	Shri Thaawar Chand Gehlot	757
	Clauses 2, 3 and 1	759
	Motion to Pass	759
DISC	USSION UNDER RULE 193	
	Need to expedite process of bringing back black money stashed abroad	
	Shri Mulayam Singh Yadav	760-764
	Shri P. Srinivasa Reddy	765-766
	Shri M. Venkaiah Naidu	767-779
	Shri Mohammad Salim	782-787
	Shri Tariq Anwar	790-792
	Shri Prem Singh Chandumajra	793-794
	Shri Rajesh Ranjan	795-797
	Shri Bhagwant Mann	798-799
	Shri Nishikant Dubey	800-807
	Shri Badruddin Ajmal	808
	Shrimati Anupriya Patel	809-811
	Shri E.T. Mohammad Basheer	812-814
	Shri Kaushalendra Kumar	815
	Dr. Kirit Somaiya	816-818

Shri Asaduddin Owaisi	819-824
Shir N. K. Premachandran	825-827
Shri C. N. Jayadevan	828-830
Shri K. C. Venugopal	831-834
Shri Mekapati Raja Mohan Reddy	835
Dr. Arun Kumar	836-837
Prof. Saugata Roy	838-839
Shri Tathagata Satpathy	840-842
Shri Arun Jaitley	843-856
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 6 th Report	788-789
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	857
Member-wise Index to Unstarred Questions	858-862
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	863

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Prof. K.V. Thomas
Shri Anandrao Adsul
Shri Pralhad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh

SECRETARY GENERAL

Shri P. K. Grover

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, November 27, 2014/Agrahayana 6, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

MEMBER SWORN

HON. SPEAKER: Now, the name of the Member will be called by the Secretary General for the purpose of taking oath or making and subscribing the affirmation.

SECRETARY GENERAL : Shrimati Pratyusha Rajeshwari Singh.

Shrimati Pratyusha Rajeshwari Singh (Kandhamal) -- Oath -- English

11.01 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now, Q. No. 61, Dr. A. Sampath.

(Q.61)

DR. A. SAMPATH: Hon. Speaker, I am very much happy to get a reply from my old friend.

Hon. Speaker, I would like to draw your attention to the reply that has been given. In the reply, in paragraph 4, the Minister has replied that out of actual deployed strength of 55,820 RPF personnel, there are 1444 lady personnel in service, out of which 759 are deployed for escorting trains.

Hon. Speaker, with your permission I would like to ask the following question. I am coming from a place which is the capital city of Kerala where 55 trains are being operated on a daily basis. Apart from the 55 daily trains, 10 weekly trains and 8 trains from Kochuveli terminal also are being operated. So, in total 73 trains are being operated from Trivandrum district alone.

Madam Speaker, I hope the Minister may be well aware of the fact that there are only 21 women RPF personnel in Thiruvananthapuram Division. The total strength of men and women RPF personnel there is 460. The sanctioned strength is 700 in that Division.

Now, I would like to invite the attention of the Minister to a specific point. Will the Ministry of Railways ensure the safety of the passengers, especially women and children passengers, by posting sufficient number of Railway Protection Force personnel including RPF women personnel? From the data that I have collected from the Railway officials, I understand that at least if one RPF woman personnel is needed for one train, then 73 women personnel are needed there. From the answer it is very evident that, in one of the largest railway networks in the world, we are experiencing a particular situation where the

number of thefts, robberies, murders and harassment of women and children are on the rise. They are increasing in the Indian Railways.

I want to know whether my friend, the new Railway Minister, will take urgent steps to ensure the safety of the passengers in the Indian Railways.

SHRI SURESH PRABHU: Madam Speaker, it is a bounden responsibility of a carrier to protect all those who travel by that carrier. In this particular case, it is the bounden and inherent responsibility of the Indian Railways to make sure that whoever travels on the Railways are well protected. I will assure the House that we will be very happy to take whatever steps which are necessary to be taken in addition to what we have taken already in the limited budgetary constraints and also limited legal space that is available to the Railways.

Let me explain it to the hon. Member as he comes from a very important State of Kerala where fortunately the literacy rate is high. So, I hope that the nature of crime is also not as high as in other States. But still we must protect all the travellers from whichever State they come and in whichever train they travel.

The legal point is, there is a Government Railway Police which is the responsibility of the State Government. The Indian Railways pay 50 per cent of the amount of cost that is incurred for running this service from their own budget. But still the primary responsibility of maintaining law and order as is enshrined in the Constitution of India being with the State, the personnel of GRP operate under the State control, supervision and direction.

As regards the Railway Protection Force which is directly under the Railways, the Railway Protection Force has been getting a mandate only to protect the railway property passenger and passenger area. Lately, we realise that GRP has not been able to protect as much as they should. To supplement that effort, we have been deploying the personnel of Railway Protection Force in the Railways.

There are about 3500 trains which are always being escorted of which 2200 trains are escorted by the GRP and 1300 trains by the RPF. But I will also try to find out as to how we could increase the security more.

Madam, if you permit me, I would just like to present to you some of the new initiatives which we would like to take to make sure that this is done. One initiative is, we would like to, of course, pursue with the State Governments to allow the GRP to function under the Railways so that we can have an integrated system. Today, what is happening is that the RPF as well as the GRP do not work together. We are thinking on whether we can integrate them. We have already circulated a note to the State Governments in this regard. Several State Governments have opposed it. I hope that the Government of Kerala would not oppose it. Only a few States are supporting it. I am intending to write a letter to the hon. Chief Ministers requesting them to allow us to do this.

Secondly, we are going to give mobile phones to all the personnel who escort the trains so that they can have a better communication with each other.

Thirdly, we are also thinking of introducing a system of spot fine. If we notice that somebody is really misbehaving, with women, then how can we tackle such a situation?

Most importantly, the Railways do not maintain a forensic lab. We are looking into the modus operandi in committing certain crimes. Each State has a Modus Operandi Branch. What we are hoping and intending to do is to tie up with a forensic lab of the State which will be connected to the National Forensic Lab maintained by the Ministry of Home Affairs. If the State Governments also maintain their forensic labs, then we will be able to actually track the criminals in a much better way and find out how to proceed with the case. In terms of providing security to women, we have started new Mahila Vahinis. Hopefully in the next few months, subject to sanction from my colleague, the Finance Minister, we would be able to recruit more women constables for this. We are starting a

special training programme which was not there to make sure that we will be able to work on that.

If the House agrees and if you think that we should do it, we can even install CCTVs in the individual compartments. Of course, some sensitivities are involved in this. People feel that there are some privacy issues here. But if you all feel that it should be done, we will be more than happy to do it.

DR. A. SAMPATH: I will be very brief.

HON. SPEAKER: I think it is because you have got enough response.

DR. A. SAMPATH: He has the privilege. I also got the privilege. I am lucky that I got some answers from him.

Now-a-days, many of the passengers experience certain difficulties in getting some food items, like tea, snacks or even drinking water, from outside. The number of vegetarian and non-vegetarian refreshment stalls have been reduced. Food plazas are coming up. If an elderly citilzen, particularly a woman, travelling in a train wants to fetch a cup of tea or coffee or snacks from the food plaza, a two-minute stoppage is not enough. She has to get down and she has to walk up to the food plaza. In the mean time, her luggage would vanish or she herself would be attacked. So, you can imagine their plight. Previously, there were vendors. Now, their numbers have been curtailed. I do not know the reason.

So, my question to the Minister, through you, is whether the Minister will revamp the whole system to ensure the passengers' safety without depriving their right to get snacks, tea, coffee and drinking water. We cannot comprise their safety and at the same time we cannot compromise their liberty also. They have the freedom to get snacks, tea, coffee and drinking water.

HON. SPEAKER: You said you will be brief!

DR. A. SAMPATH: It is the grievance of the people, especially of the women who are travelling in the trains, particularly of those who are travelling alone. That is why I am seeking your help.

So, I would like to know whether the Minister will be kind enough to allow more licenced vendors to provide snacks and other food items in the platforms in order to ensure their safety. It may be provided in the compartments also if the pantry is not available.

SHRI SURESH PRABHU: I am really impressed and also thankful to him for being so concerned about the women passengers. I am sure all women will vote for him in the next election.

This is a very interesting idea. I would revisit this aspect to find out the real issue. I am sure you wanted more constables on the train. If you think that vendors can also add to the safety of the women passengers, that would also be a good idea. But we will revisit this issue to find out how we could increase the customer satisfaction in terms of giving them food as close as possible to the place where they travel.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: The hon. Minister stated in his written reply that the Government has already moved the Ministry of Law and the State Governments to give more powers to the RPF. This is the thinking of the Ministry.

May I know from the hon. Minister as to how soon this coordination between different Departments of the Government will be done so that RPF will get more powers and they can apprehend the culprits on the trains and try to save the passengers from the harassment, robbery, theft, etc.?

SHRI SURESH PRABHU: This is something which is to deal with the States and the Central Government. It is not so much among the various arms of the Central Government itself. Therefore, as I told you, there are 17 States which opposed this. Unfortunately, the State of Odisha, which the hon. Member represents, also opposed it. I would request the hon. Member to pursue with his State Government to make sure that they support this idea so that we can put it into reality as soon as possible. Also, the other State which has opposed is the State of Kerala. If we can make sure that all the States agree to this, we could have a seamless policing of

the railway compartments as well as railway travel in a manner that enhances the security of all the travellers in the most appropriate manner.

श्रीमती पुनम महाजन : माननीय अध्यक्ष जी, अभी आरपीएफ के विषय पर चर्चा हो रही थी। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूं कि महिलाओं के संरक्षण के लिए ही यह मुद्दा उठाया गया है। दो महीने पहले कल्याण में ऐसी ही घटना हुई थी, जहां पर स्कूल जाने वाली दो लड़कियों को रेलवे की पुलिस ने पकड़ लिया था। उन्होंने उनको इल्लीगली डिटेन कर लिया था तथा वहां पर उनका उत्पीड़न हुआ। यह विषय महाराष्ट्र में बहुत चलता रहा। इस विषय को मैं पहले रेल मंत्री जी के पास लेकर गई। उन्होंने यह कहा कि यह विषय आरपीएफ के अंडर नहीं आता है। यह विषय महाराष्ट्र की रेल पुलिस के अंडर आता है। जब इस तरह के उत्पीड़न की बातें होती हैं तो महिलाओं और लड़कियों को पकड़ने के लिए महिला कर्मचारियों की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मैं चाहती हूं कि आरपीएफ लॉ बहुत जल्दी अमेंड हो और सारे राज्य एक साथ आएं। लेकिन do we have any kind of mechanism where, apart from district police which has other kind of mechanism to work on, the State Police, the Railway Police and the RPF work? इन लोगों के द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न की बहुत सारी घटनाएं होती हैं और आपके पास आती भी होंगी। उसके लिए क्या आपके पास कोई ऐसा विभाग है कि जिससे जो वहां के अधिकारी उन महिलाओं या लड़कियों का उत्पीड़न करते हैं और यह बहुत बार होता है, क्योंकि, किसी को पिक-पॉकेटर करके उठा लेते हैं और लड़कियों को मारा भी गया है। यह विषय मुम्बई में बहुत चला था, इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि क्या पुलिस में ऐसा कोई मैकेनिज्म हो सकता है, जिससे हम ये तीनों प्रकार की पुलिस में पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए जिनको डैप्यूट किया गया है, उस सुरक्षा को छोड़कर विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा खतरे में आ जाती है। तो क्या हम इस दिशा में कुछ कर सकते हैं? मैं यही सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हं।

SHRI SURESH PRABHU: It is correct that we have to improve the image of the police in a manner that people feel very comfortable when they approach the police for help. Therefore, this is a larger issue in terms of sensitising all the police forces, training them properly, making them accountable and also making sure that they would be always perceived as a protector, not a threat to the passenger himself. So, I am aware of the incident that you have just pointed out in the case of Kalyan Station. We are already taking corrective steps in terms of training them. As I said earlier, we want to really launch a massive training programme

particularly for those where there is an interface between a passenger and the police. I hope we succeed. We need a lot of cooperation from the State Governments. Unfortunately, I have to repeat the same thing again that the State Governments have a primary responsibility in respect of law and order under the Constitution of India. If we all can work together, we can do something. This is not just the issue of State and the Central Government. The issue is related to our citizens. The issue is related to the passengers. So, this is a common responsibility of both the Governments to make sure that we take care of them and do not bring in small rigidities and technicalities about who has the turf over deciding this. I hope we will be able to work on that.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, a lot of robberies and thefts are taking place in the trains, especially in the long-distance train, for example, from Delhi to Thiruvananthapuram Kerala Express in which a lot of incidents have been reported about theft and robbery. The reason is — our hon. Member Sampath pointed out already — lack of RPF personnel. The hon. Minister raised the issue of cooperating with the State Government for getting sufficient police force but the State Police is also facing some problems — lack of adequate police personnel. I do not think it will work. Therefore, my point is this. You have only 1429 women RPF constables. How can you manage safety of women by using only these many RPF personnel? I am putting a question. Is the Government ready to recruit more women RPF personnel?

SHRI SURESH PRABHU: You are absolutely right. We are actually starting a new *Mahila Vahini*, the dedicated squadron of women police. There is a new recruitment drive. As I have already said, I already approached my colleague in the Finance Ministry to make sure that we get sanctioned strength. I assure the House that we will take all the necessary steps to make sure that we fill inall these posts for women constables on a priority basis.

Coming back to the point again, you are saying that the State Police is also stressed because of policing duty. But they are dedicated police force, Government Railway Police (GRP) who are supposed to work 100 percent only for Railways. Sir, 50 per cent of the salaries are paid by the Central Government to State Governments to take care of them. But administratively they are under the control of State Governments. So, we are not asking State Governments to release more police for policing of Railways. We are only asking and requesting State Government to please allow us to take care of security on the Railways. If you want to bring an amendment to the law, the law cannot be amended, we have to take State Governments on board because law and order problem is the primary responsibility of State Governments.

(Q. 62)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA This is a very important issue that affects the energy security of the country, and the fact is that the Government has passed an Ordinance in a rush in October of this year, I would like to understand as to what was the rush to promulgate an Ordinance so quickly. And also, insertion of foreign investment in allowing private players in auctions for coal blocks, very well knowing that this requires very categorical amendments to the Coal Mines Nationalisation Act, and cannot be done through an Ordinance, why was this aspect also overlooked?

Finally, part (d) of my question has not been answered in the Minister's reply.

श्री पीयूष गोयल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत अहम् मुद्दा उठाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जो सवाल है, उसी में पूछा गया है कि . the steps taken by the Government to ensure that there is no disruption of production in various sectors dependent on cancelled coal blocks. हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, हमने देश हित में कैसे भारत में कोयले का उत्पादन कम न हो, कैसे भारत में बिजली की किल्लत न हो और लोगों को जितनी बिजली चाहिए, समय पर उतनी बिजली उपलब्ध हो सके, इसके लिए मुझे लगता है कि पूरे देश में और विदेश में भी इस सरकार की सराहना हुई है कि एक महीने से भी कम अवधि में हम एक कोल ऑर्डिनेन्स लाये, इसके माध्यम से जो देश और विदेश में एक अनिश्चितता थी कि भारत के ऊर्जा विभाग का क्या होगा, कोयले का क्या होगा, क्या हमें और फॉरेन एक्सचेंज खर्च करके कोयला लाना पड़ेगा। उसके बदले 27 दिनों के अंदर हम एक ऐसा आर्डिनेन्स लाये, जिस पर किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है. बल्कि सभी जगह उसका स्वागत किया गया है।

जहां तक फॉरेन कंपनीज का सवाल है, हमने इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा है कि फॉरेन कंपनीज आएं या नहीं आएं। भारत में जो भी काम करता है, उसके लिए एफडीआई किस क्षेत्र में परिमटेड है, उसके अलग प्रावधान हैं, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। जो एग्जिस्टिंग एफडीआई रूल्स हैं, उनके हिसाब से अगर भारतीय कंपनी में कोई निवेश करता है तो वह एफ.डी.आई. रूल्स से होता है, कोल माइनिंग एक्ट या कोल डिपार्टमैन्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। जो भी कंपनी भारत में स्थित है और भारत में कोयले का इस्तेमाल बिजली, सीमेन्ट, स्टील आदि के लिए करती है, उन सभी को इस कोयले के

आबंटन में जो ई-ऑक्शन द्वारा प्राइवेट कंपनीज को दिया जायेगा, कुछ सरकारी कंपनीज हैं, उन्हें आबंटन करेंगे, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल होगा कि वे उसे आगे जे.वी. करके प्राइवेट पार्टीज को नहीं दे पायेंगे।

जहां तक प्रश्न 'डी'का सवाल है, - vacated the allocated coal mines - उसमें आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 24 सितम्बर को ऑर्डर पास किया, तब उन्होंने जो 37 माइंस चल रही हैं, उनको 31 मार्च तक चालू रहने की परमीशन दी, जिससे कि कोयले के उत्पादन में डिसरप्शन न हो। अतः 31 मार्च तक वे खानें चालू हैं, 31 मार्च के पहले सरकार की पूरी कोशिश है कि इसकी पूरी प्रक्रिया एक ट्रांसपेरेन्ट तरीके से होकर, इनका आबंटन या ई-ऑक्शन होकर काम चालू रहें। यदि नहीं हो पायेंगी तो उसके लिए ऑर्डिनेन्स में प्रावधान किये गये हैं कि जिन-जिन माइन्स की ऑक्शन नहीं हो पाई, उनकी डेजिग्नेटिड अथारिटी बनाई गई है, वह डेजिग्नेटिड अथारिटी इन्हें पहली अप्रैल के बाद ले सकती है। जहां तक बाकी खानें हैं, 204 में से 37 छोड़कर उनके आर्डिनेन्स में लिखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर किया है कि वे तुरंत सरकार में वैस्ट हो जाते हैं।

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: I would also like to ask the Minister, through you, Madam Speaker, that the key issue here is that 80 per cent of the coal production in the country is done through Coal India. Having said that, if you look at the efficiency and productivity of Coal India, I think, that strikes at the root of the problem. If you look at the statistics, in terms of output of man-shift on an open cast mine, whereas a CIL mine produces close to about 11.5 tonnes, companies in Australia produce almost about 75 tonnes. So, the inefficiency of CIL is very striking. What is the Government's plan to promote the efficiency of mining and production from CIL? Along with that, the Government's target of producing a billion tonnes per annum of coal by 2019 whereas today we are only producing close to about 520 million tonnes, growing at seven per cent per annum, how does the Government propose to reach the target, which is extremely necessary for the country's energy crisis to be resolved, especially in the power sector?

श्री पीयूष गोयल: अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने कोल इंडिया की प्रोडिक्टिविटी के बारे में एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। यह प्रोडिक्टिविटी तो हमने विरासत में ही पाई है कि इतने बुरे हाल में कोल इंडिया की स्थिति है। आपने सही कहा कि कोल इंडिया में सिर्फ 11 मीट्रिक टन प्रोडक्शन होता है जबकि विदेश में टैक्नोलॉजी द्वारा उसके उत्पादन की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं समझता हूँ कि कोल इंडिया ऐसी कंपनी है, सन् 1973 में जब उसका नैशनलाइज़ेशन हुआ, तब से ले कर अब तक बहुत ज्यादा टैक्नोलॉजी का इंपोर्ट, बहुत ज्यादा सेफ्टी स्टैंडर्डस आदि इन सब विषयों पर ध्यान नहीं दिया गया। इस सरकार के आते ही माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमें तुरंत निर्देश दिया कि पूरी दूनिया से जो सर्वोच्चतम टैक्नोलॉजी मिल सकती है, उसको भारत में लाया जाए और कोल इंडिया के ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाए। जब प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया में थे, उन्होंने तब भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से चर्चा करते हुए टैक्नोलॉजी का विषय उठाया कि कैसे हम भारत में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जहां तक इस सरकार का सवाल है, हमने कोल इंडिया पर अहम भूमिका रखते हुए, उसके लिए प्लांस बनाए हैं कि कैसे उसकी प्रोडक्शन जो वास्तव में सात प्रतिशत भी नहीं है, गत पांच वर्षों में हर वर्ष उसका उत्पादन एक-डेढ़ प्रतिशत बढ़ा है। उसके कई कारण हैं। उन कारणों में जाते हुए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज कोयले की जो रिक्वायरमेंट है, उसको कोल इंडिया मीट नहीं कर पाती है। उसको मद्देनज़र रखते हुए, सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। चाहे वह टैक्नोलॉजी इंट्रोड्यूज़ करने का कदम हो, चाहे जो दो सौ से भी अधिक खानें कोल इंडिया के पास कई वर्षों से हैं, उन खानों के ऊपर काम करना हो, उनका एक्सप्लोरेशन, उनमें माइनिंग प्लांस बना कर काम शुरू करना हो, जिससे अनुमानित अगले पांच वर्षों में उत्पादन बढ़ाते हुए लगभग डेढ़ सौ से दो सौ मिलियन टन तक कोल इंडिया के प्रोडक्शन को सिर्फ नई खानें, जिन पर काम नहीं हुआ है, उनसे उसे बढाया जा सकता है।

दूसरा, तीन रेल लिंक्स हैं, जिन पर कई वर्षों से काम चल रहा है, ये हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। सरकार के आते ही हमने तीनों रेल लिंक्स पर रिव्यू किया। रेल मंत्रालय और रिस्पेक्टिव स्टेट्स के साथ हाई लैवल मीटिंग्स कर के तीनों लिंक्स को फास्ट ट्रैक किया गया है। मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट बहुत स्मूदली और फास्ट चल रहा है। झारखण्ड और उड़ीसा में, कुछ right of way or land issues हैं, जिनको हम सरकार के साथ मिल कर सॉल्व कर रहे हैं। तीनों सरकारों से सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये तीन लाइन आने से लगभग दो सौ मिलियन टन एडिशनल इवैक्युएट हो सकेगा। वह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

तीसरा, जो एग्ज़िस्टिंग माइंस हैं, इन पर हमने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से चर्चा शुरू की है कि कैसे इनकी टैक्नोलॉजी स्टैंडर्ड और सेफ्टी स्टैंडर्ड सुधार कर, इनमें भी डेढ़ सौ से दो सौ मिलियन टन प्रोडिक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। उस पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से सन् 2019 तक एक क्रेडिबल एक्शन प्लान हमने कोल इंडिया के लिए बनाया है कि इसका उत्पादन सौ करोड़ टन तक जाए और आज से डबल हो जाए। जो 18 प्रतिशत सालाना सीएजीआर ग्रोथ होगी, वह भारत के इतिहास में कभी भी नहीं हुई है। सरकार ऐसे ही आंकड़े नहीं दे रही है, बहुत सोच-समझ कर प्लान कर के यह आंकड़ा दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष: वेरी गुड। प्रश्न पूछने वाले ने भी अच्छी तैयारी की है और उत्तर भी अच्छी तैयारी के साथ दिया गया है।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : महोदया, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब एक प्रतिशत ही बढ़ोत्तरी हुई है तो आप हर साल 18 प्रतिशत सीएजीआर ग्रोथ कैसे करेंगे? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सिंधिया जी, आपका प्रश्न हो गया है और मंत्री जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने कहा न कि दोनों की अच्छी तैयारी है।

...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: महोदया, मैं थोड़ा सा जवाब दे दूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उनके प्रश्न के साथ जवाब दे देना।

...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: महोदया, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। माननीय सदस्य ने बहुत अहम मुद्दा उठाया है। एक प्रतिशत पांच वर्ष में जो हुआ, उसमें पर्यावरण के बड़े ईश्यूज थे, पर्यावरण मंत्रालय ने खानों की माइनिंग प्लान्स अप्रूव नहीं कीं। उसके अलावा उस डिपार्टमेंट के ऊपर कुछ फोकस नहीं था। सिर्फ कोयले के आबंटन पर अगर फोकस रहे और वह अवैध हो तो उसमें कोल मंत्रालय क्या कर सकता है, कोल इंडिया क्या कर सकता है? जब तक बड़ी सोच नहीं होगी, जब तक कोल इंडिया के अधिकारियों को हम एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक ट्रांसपरेंट मैथड से सब काम नहीं होंगे, तब तक बड़ी सोच करने की कोई संभावना ही नहीं है।...(ट्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : माइनिंग में पाँच साल लगते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ऐसा नहीं होता है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह तो आप मेरे द्वारा की हुई तारीफ वापस लेने की बात कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam Speaker, cancellation of 214 coal blocks by the Supreme Court has created an unprecedented crisis in the industry which depends on coal based power production etc. In order to overcome the situation, the Government has issued an ordinance. As per the new directives, companies bidding for coal blocks need to pay thousands of crores of rupees as upfront payment to the Government. The Government is yet to fix the base price of unmined coal in the country. It is assumed that the companies that sell their final product at commercial rate will likely have to pay premium benchmark price at international rate that could be around three times higher than the usual rate.

So, I would like to ask the hon. Minister, through you, as to what is the total calculated reserve of coal in the coal blocks allotted for auction. What is the minimum value assessed and how much money the companies need to pay to the Government as upfront payment?

श्री पीयूष गोयल: महोदया, आज जो परिस्थिति निर्मित हुई है, उससे सरकार डरी नहीं है, चिन्तित नहीं है। The crisis that the hon. Member is referring to is not a crisis. The Government looks at it as an opportunity to clean up this sector once and for all, to introduce transparency, probity and to make sure that the world looks at India with pride for the process by which these coal blocks will be e-auctioned and given out for use.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: There is a crisis in the coal sector today.

SHRI PIYUSH GOYAL: Well, the crisis may be in your understanding. In our understanding, not a single kilo of coal is produced less even after the cancellation. We have ensured that we come out with a credible ordinance and the draft rules are in public domain for the last one week. I must acknowledge and thank the House for the inputs given by several Members of Parliament. A lot of

Members have taken interest. They have read the draft rules on the website and they have advised us and given us good suggestions which will help us to make them more robust, transparent and honest.

As regards the coal blocks capacity, the cancelled coal blocks had a geological reserve of nearly 40 billion tones. 40 हजार मिलियन टन के कोल ब्लॉक्स के आबंटन को कैन्सिल किया गया है। उनमें से जो 37 प्रोडक्शन कोल ब्लॉक्स थे, उनका प्रोडक्शन मात्र 50 मिलियन टन था। वहां सिर्फ पांच करोड़ टन कोयले का उत्पादन होता था, लेकिन वह भी चालु है और 31 मार्च से पहले हम उसका ई-ऑक्शन या आबंटन करके, स्टेट गवर्नमेंट हो तो आबंटन करके, प्राइवेट पार्टीज को ई-ऑक्शन करके उसके प्रोडक्शन में एक किलो की भी कमी नहीं होने देंगे। इसलिए वह क्राइसिस कुछ नहीं है, उल्टे इस विषय के भ्रष्टाचारी होने के कारण जो सारी कोल माइन्स ब्लाक पड़ी थीं, कोल माइन्स पर काम ठप्प पड़ा था। 204 कोल माइन्स में से 37 कोल माइन्स छोड़कर बाकी कोल माइन्स में माइनिंग प्लान अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं कर रही थी, एक्स्कवेशन अलाउ नहीं कर रही थी, जियोलॉजिकल सर्वे अलाउ नहीं कर रही थी, उसमें काम अलाउ नहीं कर रही थी, अब वह संभावना खुल गयी है। मैं समझता हूँ कि पहले राउन्ड में जो कोल ब्लॉक्स दिये जायेंगे, उनकी प्रोडक्शन भी 200 मिलियन टन तक जायेगी। उसके लिए सरकार जल्द से जल्द प्रावधान ला रही है। जहाँ तक आपने प्राइसिंग की बात कही, प्राइसिंग का अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। हमने पूरी कोशिश की है कि जो रेग्युलेटिड सेक्टर्स हैं, भारत सरकार का यह मानना है कि बिजली, जो रेग्युलेटिड सेक्टर है, उसे प्राथमिकता मिले। बिजली को ज्यादा से ज्यादा कोयला मिले और जनता की सेवा करने वाले विषय पर दाम न बढें। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा फार्मूला लाएँ कि बिजली की कीमतें बढ़ने के बजाय घटें और बिजली की घटी हुई कीमतों से जनता की सेवा हो।

जहाँ तक स्टील, सीमेंट और कैप्टिव पावर प्लांट्स का सवाल है, वे नॉन रेगुलेटेड सैक्टर्स हैं। नॉन रेगुलेटेड सैक्टर्स को सस्ता कोयला देना सरकार का काम नहीं है, खास तौर पर नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का काम नहीं है। उनको मार्केट प्राइस पर कोयला मिले, वह ठीक रहेगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री किरीट सोमैया। बहुत विस्तृत और अच्छा उत्तर हुआ है, आप बिल्कुल शॉर्ट प्रश्न पृष्ठिये।

डॉ. किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं मोदी सरकार को इस क्राइसेज को चैलेन्ज समझकर उसको अपॉर्चुनिटी में परिवर्तन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इसके कारण बहुत एडीशनल फ्लो ऑफ रैवेन्यू जनरेट होने वाला है। मैं इसके साथ मंत्री महोदय का ध्यान दो

बिन्दुओं के प्रति आकर्षित करना चाहूँगा। एक यह, कि इसके कारण जो लगभग तीन लाख करोड़ रुपये बैंकों के, फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशंस के एनपीएज़ क्रियेट होने की संभावना है। दूसरा, जो गवर्नमैंट पीएसयूज़ हैं, उनके लिए कंपीटीटिव बिडिंग के लिए अनेक वर्षों से सब बात कर रहे थे, आप करने जा रहे हैं, बधाई के पात्र हैं, लेकिन गवर्नमैंट पीएसयूज को तैयार होने में अभी पाँच-दस साल लगेंगे, तब तक सरकार उनको किस प्रकार से सप्लीमैंट करके, तथा जो स्कैम हुए, उनके इनवैस्टिगेशन में भी बाधा न हो, इसके लिए सरकार क्या करेगी?

श्री पीयूष गोयल: अध्यक्ष जी, इन्होंने बहुत अहम बात उठाई है। मैं समझता हूँ कि जो सरकारी कंपनियाँ हैं, जिनको आबंटन हुआ था, उनका पूरी ज़िम्मेदारी से हम ध्यान रखेंगे। जो लाखों करोड़ रुपये का इन्होंने ज़िक्र किया, वह पैसा भी जो प्रदेशों में कोयले की खान हैं, उन्हीं को मिलेगा, केन्द्र सरकार उसमें से एक रुपया नहीं रखेगी। खास तौर से पूर्वी इलाकों के जो राज्य हैं, अकेले झारखंड को लाखों करोड़ रुपये अगले तीस वर्षों में इन कोयले की खानों के आबंटन अथवा ई-ऑक्शन से मिलेगा। वैस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश में जितनी खानें हैं, उनका जो उत्पादन होगा, उस पर पैसा उनको मिलेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि इस पूरे प्रोसैस को ट्रांसपेरेंटली प्रोसैस किया जाए। इस प्रोसैस में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होने की संभावना ही हम नहीं रख रहे हैं। पिछली मीटिंग में चार घंटे के डिस्कशन में जो डिसक्रीशनरी पावर मुझे थोड़े बहुत दिख रहे थे, वह भी मैंने हटा दिये। अभी सरकार के पास कोई डिसक्रीशन नहीं है। सभी कुछ प्रोसेस ड्रिवन होगा। इसके लिए चार कमेटियाँ दिन-रात काम कर रही हैं जो एक-एक चीज़, नॉमिनेटेड अथॉरिटी, डैसिग्नेटेड कस्टोडियन, प्राइसिंग वैल्युएशन कमेटी, कंपैनसेशन कमेटी, सब कमेटीज़ इंटर मिनिस्टीरियल कंसलटेशन के साथ व्यवस्थित रूप से पूरा ऑक्शन हो, उस पर लगी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि इस ऑक्शन के बाद सरकारी कंपनियों को भी हम कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। उनको पर्याप्त मात्रा में कोयले का आबंटन होगा। कुछ कमी सरकारी कंपनियों को लगी तो उसका भी भुगतान हम ठीक तरीके से करेंगे। जहाँ तक कोल इंडिया भुगतान कर सकता है, उसके रास्ते निकाले जा सकते हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मैं सदन को आश्वस्त कर दूँ कि केन्द्रीय सरकार का इस मामले में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। इनवैस्टिगेटिंग एजेंसीज़ अपना काम सुचारु रूप से करें, उसमें सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: ये भाषण ही होता रहेगा? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बहुत डीटेल में आज अच्छी चर्चा हुई है। मैंने कल भी आपको मौका दिया था।

...(व्यवधान)

(Q. 63)

SHRI A. ANWHAR RAAJHAA: Madam Speaker, from the hon. Minister's reply and in Point No. 8 of Rail India Technical and Economic Services Feasibility Report, it is stated that they propose to have an under-sea tunnel which will cost about Rs. 15,000 crore. I do not know how it is possible.

Madam, the purpose of my question is to highlight the standpoint of the Government of Tamil Nadu. Our hon. *Makkal Mudalvar Amma* is concerned about the livelihood of thousands of fishermen and lakhs and lakhs of their family members. Even alternative arrangements will also cause damage by way of affecting the traditional fishing activities and also stop foreign exchange earnings. Moreover, modern cargo ships need 30 metres of sea depth for navigation. Both, the proposed site and all possible alternative alignments for such a digging, will completely ruin the sea bed and its eco-system. That would totally destroy the traditional fishing occupation.

Madam Speaker, environment and eco-system must be protected. Rare sea species of this coastal region must also be protected. These are the main reasons why our *Makkal Mudalvar* hon. Amma and the Government of Tamil Nadu oppose this project. Besides, the UPA Government also spent about Rs. 800 crore and it ended as a waste.

So, I would like to know from the hon. Minister what exactly the Union Government proposes to do.

SHRI PON RADHAKRISHNAN: Madam, in the first phase, we plan to have the project through the Pamban area only. If it is not possible, we will try for the tunnel system.

As far as the fishermen problem is concerned, we are having more concerns than other people. The Government is very much particular about the welfare of the fishermen community. Definitely we will take into consideration all these problems. The project implementation is *sub judice* in the Supreme Court. We

will go into the details and after a detailed study, we will implement the project in a proper way.... (*Interruptions*)

SHRI A. ANWHAR RAAJHAA: Madam, this is not the correct answer. Whatever it is, I would like to ask my Supplementary. It is true that BJP opposed the Sethusamudram Project when it was in opposition. Now, as a ruling party, BJP supports it and goes for a feasibility study. Knowing fully well that this project is economically and technically unviable with negative impact, why is the Union Government keen to go for it? So, I would like to know from the hon. Minister whether the Union Government will come forward to consult the Tamil Nadu Government at least now.

SHRI PON RADHAKRISHNAN: Madam, in the earlier stage also, we never opposed the Sethusamudram Project. We opposed the Sethusamudram Project which was cutting across the Ram Sethu. Now also we are also very much particular not to disrupt the Ram Sethu bridge. We are very much concerned to have the project in a proper way in the Pamban area. RITES has given us a feasibility study. We will go through it and implement it.

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN: Madam, the Rail India Technical and Economic Service has already suggested an alternative route for Sethusamudram ship channel through Pamban. Through you, Madam, I would like to know from the hon. Minister whether the Ministry has made any in depth study as to the environmental impact of the project. If so, what are the details thereof?

SHRI PON RADHAKRISHNAN: Madam, now the pre-feasibility study has only been done. After having the detailed study, we will report it.

(Q. 64)

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : अध्यक्ष जी, पीने के पानी की कमी को दूर करने का उपाय वाटर हारवेस्टिंग और रिचार्जिंग भी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या इन उपायों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है? इसके साथ ही साथ मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहती हूं कि क्या सांसद निधि और विकास निधि में भी उनका समावेश करने की कोई योजना है?

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: मैडम, पीने के पानी का सांसद निधि में प्रोवीजन है और माननीय सदस्यों ने अपने-अपने आदर्श गांव का जो चयन किया है, उनमें भी इसके कंवर्जेंस के प्रोवीजन हैं। उसको साथ मिलाकर कोई भी प्रोजेक्ट लिया जा सकता है और उसको पूरा भी किया जा सकता है। जहां तक इसकी बात है तो देश में कम से कम सत्रह लाख के करीब 16,96,531 हैबिटेशंस हैं, जिनमें पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। उसमें से 73% को हमने 100% कवरेज के तहत यानी 12,50,000 को पानी पहुंचाया है। सरकार के सामने जो सबसे बड़ी बात है, वह यह है कि क्वालिटी अफेक्टेड 78,000 हैबिटेशंस ऐसे हैं, जिन्हें शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी देने के लिए हमने एक त्वरित स्कीम बनायी है। इसके अलावा भी, नेशनल रूरल ड्रींकिंग वाटर प्रोजेक्ट में 10% फंड्स का प्रावधान हमने किया है, जिसके तहत कोई भी प्रोजेक्ट, जो गांव में पीने के पानी का हो या उसकी सस्टेनेबिलिटी का हो या नया शुरू करने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : मैडम, गुजरात में कई ज़गहों पर जब बारिश कम होती है तो चेक डैम और बोरीबंद जैसी व्यवस्था को खड़ी करने के लिए सरकार ने एक योजना बनायी है। मेरा प्रश्न यह है कि मॉनसून के दौरान जब कम बारिश होती है तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर कोई अन्य अल्टरनेटिव उपाय सोचा है?

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: मैडम, मैंने अभी बताया कि जहां तक कवरेज की बात है तो गुजरात में और अन्य प्रांतों में हमारी जो कवरेज है, वह लगभग 73% गांवों में पूर्ण रूप से है। जहां पार्शियल कवरेज है, वह 23% है। माननीय सदस्या ने सवाल किया कि क्या खराब मॉनसून में कोई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि मॉनसून खराब होने की स्थिति में पानी निरंतर मिलता रहे। उसके लिए मैंने कहा कि हमने बजट में 10% का प्रावधान राज्य सरकारों को भेजा हुआ है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आए, उसमें आप इस 10% के फंड एलोकेशन को किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वह मॉनसून की कमी की वज़ह से हो, चाहे वह सामान्य हालात हो, उसके लिए वे इसका उपयोग कर सकते हैं।

SHRI VINCENT H. PALA: Madam Speaker, water is a State subject. The National Rural Drinking Water Programme is a very good Programme. It has given water connections to many villages.

May I know from the hon. Minister as to how many times he has called the State Governments and consulted with the State Governments while implementing the programme? How many schemes are pending with the Central Government where State Governments have sent proposals?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Madam Speaker, the Central Government is in direct contact with all State Governments. Whenever there is any proposal for the enhancement of existing water supply or for more water supply there is an exercise where State Governments come to us with a request that these are the plans for different habitations. That programme is still on. At least, three to four times, we contact the States every year to know their progress.

Water is one of the fundamental requirements of every human being. We have to ensure that every rural person has enough quantity of safe water for drinking, cooking and domestic needs as well as livestock throughout the year. Water is also very essential during natural disasters. This is our priority. I would further like to tell you that by the end of this Five Year Plan and under the next Five Year Plan, we have planned that 80 per cent of the households should get direct connections and 90 per cent of the habitations should have piped water connections. This is our goal under which the entire population would be covered. SHRI SHER SINGH GHUBAYA: Madam Speaker, I thank you for permitting me to ask supplementary question on the issue of drinking water.

मैडम, मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूं, मैंने लास्ट डे भी बताया था कि हमारे पंजाब में कुछ जिले ऐसे हैं, जिनमें कैंसर का रोग बढ़ चुका है। इसकी जो वजह है, मैं समझता हूं कि जैसे डाक्टर्स की रिपोर्ट्स वगैरह हैं, उसकी वजह भी ड्रिंकिंग वाटर की है।

मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जिस एरिया में ऐसी परिस्थिति पैदा हो चुकी है, जहां पीने का पानी बिलकुल खराब हो चुका है, क्या उस एरिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट देंगे,

जिससे लोगों की जिन्दगी बच सके, लोगों को पीने का पानी मिल सके? गरीब परिवार बोतल का ड्रिंकिंग वाटर नहीं ले सकते, क्योंकि 50 रुपए की एक बोतल पीने के पानी की आती है और उनके पास इतने रुपए नहीं होते हैं।

क्या यह सरकार एंश्योर करेगी कि पंजाब में कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे, जिससे कि सभी जिलों को पीने का पानी मिल सके?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: There is a provision that wherever there is water quality problem the State Governments can utilize up to 67 per cent of the fund which is released to them under the National Rural Drinking Water Programme. As far as the works based on underground water or canal water is concerned or if any contamination arises, then, they can convert it or make some arrangements to make the water treated.

I agree with the hon. Member that there are villages in certain States where it is said that cancer is becoming rampant because of the drinking water. But there is a provision made in our scheme that funds can be utilized up to 67 per cent, which is a good quantum, to meet with such a situation.

SHRI P.P. CHAUDHARY: Thank you very much, Madam Speaker, for affording me an opportunity to ask a supplementary question.

Hon. Minister has stated that water is a State subject. Water is very important and it can be identified as a major mineral. Legislative competence is provided in Entry No. 17 of the State List II. Now, looking at the problem of water all over the country and because everywhere we are required to obtain the consensus of the State Governments, may I know from the hon. Minister whether there is any proposal with the Government of India for bringing water from the State List to the Concurrent List III? On the basis of which the Central Legislature and the State Legislature can legislate the law. Is there any proposal for that? There are problems related to drinking water or water for irrigation purposes. So far as interlinking of rivers is concerned, again there is a problem. This problem is going on for the last 70 years.

Is there any proposal with the Government of India to shift the Entry No. 17 from the State List II to the Concurrent List III?

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: As I have already explained, water is a State subject but still for the next ten years the Government of India has come out with a plan whereby the entire drinking water problem would be sorted out. I have also said that drinking water would be supplied through pipe to 90 per cent of the households and 80 per cent of the households would have connection also.

The other thing that I have explained is that the Government has come out with a goal. The goal is very clear. It is to ensure that every rural person has enough safe water not only for drinking but for cooking, for livestock and even for disaster situation.

As far as talking of shifting it to the Concurrent List, there is no such proposal.

SHRI B. VINOD KUMAR: Madam, the Minister in his reply stated that there is no proposal for legislation which is under consideration. Very recently we have seen new legislation for Right to Education and also for Food Security.

There is a change of guard. This is a new Government. This reply is a stock reply. The Minister has stated that they are giving 10 per cent of funds to the State Governments under the National Rural Drinking Water Programme. I have seen this reply five six years back also. What I mean to say is that this is a new Government. They should come with a new proposal because drinking water is a very big issue now. They have to bring a new legislation in order to safeguard the interest of the rural people.

There are a few dams where priority is given for irrigation because of pressure from some quarters. Drinking water is a big issue. So, I would like to have a response from the Minister whether the Government is going to bring a new legislation.

Madam, in my State of Telangana, we are having a good programme of water grid connecting all the 10,000 villages. My State Chief Minister, Shri K.

Chandrasekhar Rao has come with a proposal of providing water to all the 10,000 villages. We have also formed a Corporation yesterday. So, I would request the Minister to grant more funds to my State, not just 10 per cent.

SHRI CHAUDHARY BIRENDER SINGH: Madam, I have been saying that water is the first priority of our Government. That is why, I have explained that in the next eight years, the country would see that the entire rural population of 17 lakh habitations are fully covered with the facility of drinking water.

The hon. Member has said that there should be some legislation. As I have explained, water is a State subject. We have been in constant touch with every State. In certain cases, the States are not coming forward to take the allocation which has been given to them. So, on our part we are for this goal that every rural person should have drinking water facility.

HON. SPEAKER: Q. No. 65 - Shri B.V. Naik.

... (*Interruptions*)

श्री सुल्तान अहमद: मैडम, आपने हमें इस विषय पर मौका नहीं दिया। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इस पर नोटिस डाल दीजिएगा। I can consider Half-an-Hour discussion or something on this issue.

...(व्यवधान)

12.00 hrs

श्री सुल्तान अहमद : अध्यक्षा जी, ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इस विाय पर चर्चा के लिए समय मांगेंगे तो मैं चर्चा के लिए समय दे दूंगी।

...(व्यवधान)

(Q.65)

SHRI B.V. NAIK: Madam Speaker, the Indian Railways seem to have left safety a century behind. The official figures say there were over 50,000 railway bridges which are over 100 years old and many more are over 60 years old. As many as 48 bridges were identified as distressed on 1st April, 2009. Little is being done to renovate these bridges for safer travel. Also, Dr. Anil Kakodkar Review Committee on Safety made certain observations and recommended fitting these bridges with water-level gauges and turbine flow meters to measure flow and warn train drivers.

माननीय अध्यक्ष: कृपया प्रश्न पूछिए। प्रश्न काल का समय समाप्त हो रहा है।

...(व्यवधान)

SHRI B.V. NAIK: I would like to know whether the Railways have any established mechanism for maintenance and repair of such bridges. If so, the details thereof, including the number of such bridges replaced, repaired and reshifted during the last three years.

श्री मनोज सिन्हा: महोदया, एक तो पुलों की उम्र से सुरक्षा का कोई संबंध नहीं है, इस बात को माननीय सदस्य समझ लें। दूसरी बात, पुलों का मानसून के पहले भी और उसके बाद भी रेगुलर इंटरवल पर तकनीकी इंजीनियरों के द्वारा निरीक्षण होता है, इसलिए रेलवे पूरी तरह सतर्क है और जितने ब्रिजेज हैं, जो डिस्ट्रेस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मैं समझता हूं कि रेलवे में डिस्ट्रेस ब्रिज कोई नहीं है। जो ब्रिजेज हैं, वे पूरी तरह सुरक्षित हैं और रेलवे उनकी पूरी चिंता करती है और उनके तकनीकी पक्ष का ध्यान रखती है। जहां तक "bÉ. अनिल काकोदकर समिति' की रिकमैंडेशंस का सवाल है, हमने उनमें से कुछ रिकमैंडेशंस लागू कर दी हैं और अधिकांश रिकमैंडेशंस इस वित्तीय वर्ष में हम ब्रिजों की सुरक्षा के लिए लागू कर देंगे।

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: The House shall now take up Papers to be laid on the Table. वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय अध्यक्ष जी मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हं:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) सेंद्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(Placed in Library, See No. LT 860/16/14)

- (2) एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

 (Placed in Library, See No. LT 861/16/14)
- (3) एक) वूल एण्ड वूलेन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) वूल एण्ड वूलेन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

 (Placed in Library, See No. LT 862/16/14)

(4) एक) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 863/16/14)

- (5) एक) ऑल इंडिया हैण्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) ऑल इंडिया हैण्डलूम फेब्रिक्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 864/16/14)

12.03 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND

BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Amendment Bill, 2014 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 25th November, 2014."

2. Madam Speaker, I lay on the Table the Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by Certain Establishments) Amendment Bill, 2014, as passed by Rajya Sabha on the 25th November, 2014."

12.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY

260th to 263rd Reports

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH (SURAT): Madam, I beg to lay on the Table the following reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Industry:-

- (1) Two Hundred Sixtieth Report on Action Taken on 251st Report of the Committee on Implementation of Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.
- (2) Two Hundred Sixty-first Report on Action Taken on 247th Report of the Committee on Implementation of Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) Scheme pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.
- (3) Two Hundred Sixty-second Report on Action Taken on the 237th Report of the Committee on Revival and Restructuring of Hotel Corporation of India Ltd.
- (4) Two Hundred Sixty-third Report on Action Taken on the 246th Report of the Committee on Revival of Nagaland Pulp and Paper Co. Ltd. pertaining to the Department of Heavy Industry (Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises).

27.11.2014

12.04 hrs

COMMITTEE ON PETITIONS Petition No.1

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): Madam, I beg to present a Petition signed by Sarvashri Madhu Kotian and Jitesh Mataliya regarding the horrible situation of Mumbai suburban trains causing dozens of death and injuries due to higher distance between platforms and local trains.

27.11.2014

12.04 ½ hrs

ELECTIONS TO COMMITTEES(i) National Welfare Board for Seafarers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): Madam, on behalf of my colleague, Shri Nitin Gadkari, I beg to move the following:-

"That in pursuance of sub-rule (i) of rule 4 of the National Welfare Board for Seafarers Rules, 1963, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as a member of the National Welfare Board for Seafarers, subject to the other provisions of the said rules."

HON. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of sub-rule (i) of rule 4 of the National Welfare Board for Seafarers Rules, 1963, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as a member of the National Welfare Board for Seafarers, subject to the other provisions of the said rules."

27.11.2014

12.05 hrs

(ii) National Shipping Board

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): On behalf of Shri Nitin Gadkari, I beg to move:

"That in pursuance of clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958 read with rule 3 of the National Shipping Board Rules, 1960, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, four members from amongst themselves to serve as members of the National Shipping Board, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

HON. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958 read with rule 3 of the National Shipping Board Rules, 1960, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, four members from amongst themselves to serve as members of the National Shipping Board, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

The motion was adopted.

12.06 hrs

(iii) National Jute Board

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड नियम, 2010 के नियम 5 के साथ पिठत राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of clause (b) of sub-section (4) of section 3 of the National Jute Board Act, 2008, read with rule 5 of the National Jute Board Rules, 2010, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Jute Board, subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder."

12.07 hrs

(iv) Committee on Estimates

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (कानपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 311 द्वारा अपेक्षित रीति से, नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत, प्राक्कलन समिति की अविध के शेष भाग के लिए मंत्रियों के रूप में नियुक्त श्री हिरभाई चौधरी और श्री रामकृपाल यादव के स्थान पर समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That the members of this House do proceed to elect, under sub-rule (3) of rule 254, in the manner required by rule 311 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, two members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Estimates of the House for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shri Haribhai Chaudhary and Shri Ram Kripal Yadav appointed Ministers."

12.08 hrs

(v) Committee on Public Accounts

HON. SPEAKER: Prof. K.V. Thomas – Not present. Shri Bhartruhari Mahtab.

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 309 द्वारा अपेक्षित रीति से, नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत, लोक लेखा समिति की अविध के शेष भाग के लिए डा. एम. तंबिदुरै, जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, और मंत्रियों के रूप में नियुक्त सर्वश्री राजीव प्रताप रूडी तथा जयंत सिन्हा के स्थान पर समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीन सदस्य निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That the members of this House do proceed to elect, under sub-rule (3) of rule 254, in the manner required by rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, three members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts of the house for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Dr. M. Thambidurai resigned from the Committee and S/Shri Rajiv Pratap Rudy and Jayant Sinha appointed Ministers."

12.09 hrs

(vi) Committee on welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ख द्वारा अपेक्षित रीति से, नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की अवधि के शेष भाग के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त श्री रामशंकर कठेरिया के स्थान पर समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That the member of this House do proceed to elect, under sub-rule (3) of rule 254, in the manner required by rule 331 B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, one member from amongst themselves to serve as a member of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shri Ramshankar Katheria appointed Minister."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Now, we shall take up 'Zero Hour'. Shri P. Srinivasa Reddy. SHRI P. SRINIVASA REDDY (KHAMMAM): Thank you, Madam, that I would like to draw the attention of the Government through this august House to the problem, which are being faced by people of seven Mandals in my constituency.

The people of seven Mandals consisting of 211 villages and 34,000 families i.e. Kukunuru, Veerullapadu, V.R. Puram, Chinturu, Kunavarm, Bhadrachalam, (excluding Bhadrachalam Temple), Burgampahade part, which were merged into Andhra Pradesh after bifurcation are facing peculiar problems. Some MLAs, who are representing Telangana have got elected on 16th May General Elections. These seven Mandals were part of their assembly segments at the time of election. They are now part of Andhra Pradesh after the merger.

One of the MLAs of Telangana, Mr. Thati Venkateswara Rao himself is a resident of Veerullapadu, which is one of the seven Mandals. The people from these seven Mandals are coming to them with their grievances. But, they are powerless to take up their issues with Andhra Government as they are now MLAs in Telangana and not MLAs of those areas. The question is as to who will solve the problems faced by public of these seven Mandals. They have even made a presentation to the Election Commission of India to find out a solution for this problem. Perhaps the Election Commission, for the first time, is facing such a strange request in its history.

In order to mitigate the problems of innocent people belonging to these seven Mandals, I urge upon the Government to grant dual membership to those MLAs in Telangana as well Andhra Pradesh at least upto 2019 as these seven Mandals were part and parcel of those Assembly segments during election time.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे आज बहुत सद्भाव हो रहा है कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जीरो ऑवर में उठा रहा हूं। रेल के एक्सीडेंट के बारे में हम बार-बार कहते रहे

हैं। मुम्बई की लाइफ लाइन कही जाने वाले लोकल ट्रेन अब लोगों का लहू पी रही है। पिछले पांच दिनों में लोकल ट्रेनों से कटकर 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जबिक 55 लोग जख्मी हो चुके हैं। हाल ही में, मैं सैंट्रल रेलवे के सीजीएम से मिला था। मैंने उनसे इस बारे में बात की, तो वे बताने लगे कि जितने भी पैसे आये हैं, वे रेलवे के प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाने पर खर्च हुए हैं।

अध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि एक्सीडेंट का कारण फुटओवर ब्रिजेज, क्रॉस ब्रिजेज आदि का न होना है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि केन्द्र सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आए दिन लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों को रोकने के लिए अभी तक रेलवे के पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, लोकल ट्रेनों से रोजाना कटकर मर रहे लोगों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस तरह मौत के आंकड़ों में हो रही बढ़ोतरी एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है। लोकल ट्रेनों से कटकर मरने वालों के पिछले पांच दिनों के आंकड़ों को देखें तो अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है और 55 लोग जख्मी हुए हैं। यह आंकड़ा 19 नवम्बर से लेकर 23 नवम्बर का है। इन आंकड़ों को देखकर चौंकाने वाली बात यह भी है कि पिछले पांच दिनों में जितने लोग लोकल ट्रेन से कट कर मरे हैं, उनमें से 50 प्रतिशत लोगों की पहचान भी अब तक नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में हम बार-बार मांग कर रहे हैं कि क्या रेलवे इस पर जल्द से जल्द कदम उठायेगी? इन ट्रेनों से कटने वाले लोगों में रेल के कर्मचारी भी हैं। हमारे परेल में एक वर्कशाप है, वहां से वे लोग एलिफिन्सटन जाते हैं, पाली स्टेशन जाते हैं, उनकी भी कटकर मौत हो रही है। रेल इसे प्राथमिकता दे और ट्रेनों से कटकर जो मौतें हो रही हैं, उसे रोके। मैं एक और बात आपकी नजर में लाना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात पूरी हो गयी है।

...(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत : पिछली बार उन्होंने कहा था कि इस तरह के मामलों में जो मुआवजा दिया जाता है, उसके लिए एक कमेटी बैठी थी। माननीय मंत्री महोदय ने सदन में मान्य किया था कि उसके ऊपर एक जूडिशियरी एप्वाइंट किया जायेगा, लेकिन आज तक जूडिशियरी एप्वाइंट नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाये। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Shri A. P. Jithender Reddy – not present.

Shri Janardan Singh Sigriwal – not present.

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Madam Speaker, a terrible crime was committed in the national Capital last week. A young woman was murdered by her own parents in Delhi for marrying a man of her own choice. We hear these stories from all over the country at various intervals. A mother and a father who could not stifle their daughter's free-will decided to strangle her.

Bhavna Yadav was 21 years old and lost her life because the reality of India is that even today people value false notions of family honour and caste over the life, liberty and bodily autonomy of their daughters. Honour crimes are not new in India but if I were to look for statistics on how many people have been murdered in this way in the name of honour every year in order to understand how and why these crimes happen, there is no place to look.

The National Crime Records Bureau is yet to recognize honour crimes as a separate category. Despite cases from across the country being reported in the media, we have no way of knowing the extent of this crime. While this shocking incident has raised the urgent need for us as law makers and citizens to working towards eradicating discrimination based on castes across the country, some legal reforms are also needed.

November 25 which was the day I was originally wanting to speak about this is observed as the international day for elimination of all forms of violence against women. I would request the Government and the Members of this House to introspect on the need to recognize honour crimes in the Indian Penal Code as a first step to eliminating this particular form of violence.

HON. SPEAKER: Dr. Kirit P. Solanki is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Kirron Kher.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity to speak on the issue of establishment of High Court in Andhra Pradesh.

I am to bring to your kind notice certain facts and situations prevailing after the division of the State of Andhra Pradesh. As we all know, the bifurcation of the

State of Andhra Pradesh has been done in a hasty manner without providing an adequate safeguard to ensure peaceful and proper transition. The passions which have aroused in the process and the feelings of injustice perceived by the population in both States is only growing rather than abetting. The cadre allocation has not been yet completed and today the Telangana Government is going about discrimination against what is being termed as settlers is creating a huge anxiety, if not immediate fear psychosis among large number of people.

Today, I bring to the notice of the Chair section 20 of the Andhra Pradesh (Reorganisation) Act which clearly says that High Court adjudicature at Hyderabad shall be a common High Court for the States of Telangana and Andhra Pradesh till a separate High Court for the State of Andhra Pradesh is constituted under article 214 of the Constitution read with section 31 of this Act. This Act clearly envisages that a High Court of Andhra Pradesh should be set up in the Andhra Pradesh area. Until then, the High Court which is situated at Hyderabad shall be the common High Court. The common High Court today has become the refuge of all such affected people in the Hyderabad who are named as settlers.

The recent attempt to conduct an intensive household survey has raised the fears of many of these people that this survey would act against the settlers. When the High Court took up the matter, it was stated that the survey would be voluntary and not mandatory. The present attempts to bifurcate the High Court at the earliest may not be conducive to the common goal and in the presence of common High Court which is acting as a check to more extreme actions of the Government, it is always contended that the common High Court should prevail over both the States until separate High Court is established.

HON. SPEAKER: Shri E.T. Mohammad Basheer, actually this matter labour laws is coming up for discussion.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Madam, I wish to draw the kind attention of this House and of the Government towards a dangerous move on the part of the Government for reforming the labour laws. Of course, labour laws

can be amended, but there is a danger hidden in the present move. The main amendment is proposed in the Factories' Act. Hon. Prime Minister has issued a statement in this regard which says that the Inspector Raj will be ended. What exactly is the Inspector Raj? We know that under different Acts, there are inspectors, whether it is Factories Act, Plantation Labour Act, Shop and Establishment Act. The duty of these inspectors is to go to the spot, to the institution and find out whether there is a violation of or whether they are adhering to the various provisions. If there is any violation, they report it back to the concerned authorities. Now, instead of inspectors going to the institution, it is decided that

HON. SPEAKER: You can take part in the discussion on the Bill. It will come for discussion.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER: But now, it is decided that the employers will have the facility of self-certification. If self-certification by the employers is allowed, it is a very dangerous thing. You know that at present, even after all these registrations, the number of accidents is increasing.

HON. SPEAKER: I think, the Bill relating to this law is coming for discussion. So, you can speak at that time.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER: I will just finish my point in brief, and then end it.

What I am saying in brief is that there are so many ill-effects of this move. So, they have to be considered. I would suggest in brief that the Government should desist from this kind of a move, the Government should keep this kind of an amendment pending and the Government should discuss with all the concerned authorities to have a comprehensive legislation.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष जी, मेरठ व हापुड़ से होकर गुजरने वाली काली नदी भयंकर प्रदूषण की मार से कराह रही है। नदी में भारी धातुओं व विषैले रासायनिक तत्वों की भरमार है। जल की शुद्धता के कारण क्षेत्र की जीवनदायिनी काली नदी के तटों पर किसी समय आबाद होने वाले लगभग 1200 ग्राम एवं कस्बे आज त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। केवल बहने वाला जल ही नहीं बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र का 50-

60 फीट नीचे तक का भू-गर्भीय जल भी विषाक्त हो चुका है जिसकी पुष्टि परीक्षणों द्वारा हो चुकी है। इस प्रदूषण के कारण नदी किनारे बसा समाज कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है।

अध्यक्ष जी, भारत सरकार द्वारा देश की राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु "नमामि गंगे" अभियान प्रारम्भ किया गया है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए उसकी सहायक नदियों को भी स्वच्छ करना अत्यन्त आवश्यक है। इस तथ्य को सरकार भी मानती है तथा निश्चित रूप से सम्पूर्ण सदन भी इससे सहमत होगा। काली नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है तथा मुज़फ्फरनगर जनपद से निकलकर लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय करके कन्नौज जनपद में जाकर गंगा में समाहित होती है। इस नदी का समस्त प्रदूषण अंततः गंगा नदी में ही समा जाता है। जब तक काली नदी को साफ करके प्रदूषण मुक्त नहीं किया जायेगा तबतक गंगा नदी भी पूर्णतया प्रदूषण से मुक्त नहीं हो पाएगी।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि काली नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु व्यापक तथा प्रभावी योजना बनायी जाए और इसे भारत सरकार के "नमामि गंगे" कार्यक्रम में शामिल किया जाए। HON. SPEAKER: Shri Prahlad Singh Patel.

I think, what you want to raise is a State matter.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): नहीं मैडम, यह स्टेट मैटर नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, जलपाईगुड़ी में चाय बगान मालिक की हत्या हुई है, जो वर्ष की दूसरी घटना है। इसके पहले भी एक चाय बगान के मालिक को आग में जलाकर मारा गया था। दूसरी बात, मैं या मेरी विचारधारा यह कहती है कि "मालिक मज़दूर भाई-भाई, हिसाब होगा पाई-पाई।" क्या इस घटना के पीछे श्रमिकों की लूट-खसोट का मामला है, यह विचार का बिन्दु हो सकता है। लेकिन हम यह देखते रहे हैं कि वामपंथी उग्रवादियों ने ही ऐसी घटनाएँ की हैं। लेकिन जो पूर्वांचल का प्रांत है, वहाँ पर एक नई राजनीतिक संस्कृति शुरू हुई है, कहीं यह उसका परिणाम तो नहीं है? क्योंकि यदि इस दृष्टि से देखा जाए, यदि वेज़ की बात है, किसी असहयोग की बात है, तो हो सकता है कि यह राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था का मामला हो। लेकिन मुझे सरकार और सदन का ध्यान इसलिए आकृष्ट करना है क्योंकि ये घटनाएँ उन पूर्वोत्तर राज्यों में ही क्यों हो रही हैं। आज के ही अखबार में मुज़फ्फरनगर में सी.आर.पी.एफ. कैम्प के बगल में नक्सलवादियों ने फ्लैट खरीद लिया। मैं आपके माध्यम से यह बात सदन और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आतंकवादी जिस तरीके से इन क्षेत्रों में घुसकर मज़दूरों के आंदोलनों में शामिल होकर जो परिस्थिति देश के सामने निर्मित कर रहे हैं, यह एक गंभीर सवाल है। इसको सिर्फ राज्य

के आधार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पूर्वांचल के राज्यों में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, चाहे वह मज़दूर आंदोलन हो या अन्यान्य गतिविधियाँ हों, उन सब पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

में मजदूर क्षेत्र में काम करता रहा हूं, इसलिए जिम्मेदारी के साथ उनका संरक्षण करता हूं कि मजदूरों का हित संरक्षित हो, लेकिन यह तरीका नहीं होना चाहिए कि हिंसावादी प्रतिक्रिया हो और उसके ऐसे परिणाम निकलें। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : मैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): महोदया, मैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करते हुए यह जोड़ना चाहता हूं कि चाय बागान प्लांटेशन डिपार्टमेंट, टी बोर्ड ऑफ इंडिया और वाणिज्य मंत्रालय के तहत आता है। वहां पर बहुत दिनों से लोग आन्दोलनरत हैं, क्योंकि उनको सोशल सिक्योरिटी के लाभ उपलब्ध नहीं हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जो बार-बार वहां के मजदूरों को उद्देलित करती हैं। जब उनका चाय बागान के प्रशासन या सरकारी प्रशासन द्वारा उनका दमन किया जाता है, तब उसका रूप इस तरह से वीभत्स होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी निन्दा करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वहां के मजदूरों के संरक्षण की बात भी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को देखनी चाहिए।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र के पुणे-पिम्परी-चिंचवाड शहर को जोड़ने वाली मेट्रो परियोजना के लिए पिछली केन्द्र सरकार ने अक्टूबर, 2013 में मान्यता दी, लेकिन रेल विभाग की तरफ से इस परियोजना में किमयां निकालकर इस परियोजना को लटकाया जा रहा है। महाराष्ट्र का पुणे-पिम्परी-चिंचवाड शहर जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला शहर है। देश के अन्य शहरों में जनसंख्या के हिसाब से जितने टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर हैं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: शून्य काल में पढ़ते नहीं हैं, आप कोशिश करें कि आप अपनी बात उठाएं। मैं केवल सलाह दे रही हूं कि ऐसी कोशिश करिए।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : महोदया, पुणे-पिम्परी-चिंचवाड शहर में इसके कारण पेट्रोल-डीजल की ज्यादा खपत से देश का आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। इस साल के बजट में, वर्ष 2014 में नागपुर में मेट्रो रेल की घोषणा हुई।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नागपुर में मेट्रो रेल की घोषणा हुई है।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: महोदया, घोषणा होते ही उसका भूमिपूजन हुआ है। पुणे-पिम्परी-चिंचवाड शहर देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला शहर है। इस परियोजना को जल्दी से जल्दी चालू करने के लिए सरकार को निर्देश दीजिए और इस परियोजना को चालू कराइए।

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Madam Speaker, I wish to draw the attention of this House to the plight of farmers growing onion and maize as they are on the streets. For the last few weeks, they have been on an agitation because of crash in the prices of their produce. The prices of onion were in the range of Rs. 1,200 to Rs, 1,500 or Rs. 1,600 per quintal during the last year at the same time. Now, the prices have come down to Rs. 100 per quintal. So, the farmers have thrown their onions on the streets and they are on an agitation, especially in the northern parts of Karnataka and more especially in my constituency, that is, Hubli-Dharwad, Gadak and all those areas. The farmers who have grown maize are also facing the same problem. Its price is less than Rs. 500 or Rs. 600 per quintal.

The farmers, who have grown both these crops, are on an agitation. The State Government is not at all procuring their produce at MSP. In spite of lot of agitation by the farmers, the State Government has just announced ... (*Interruptions*) Madam, let me finish. Then, he can reply.

माननीय अध्यक्ष : आपस में बात मत कीजिए। Let him say.

SHRI PRALHAD JOSHI: Madam, I am telling on record that the State Government has not opened the procurement centre so far. If he can contest, let him contest it later. Due to this, farmers are suffering a lot.

I also urge upon the Central Government to direct the State Government to immediately open the procurement centre with MSP support. Secondly, I also urge upon the Central Government to ban import of onions temporarily so that the farmers can be helped.

I would also urge upon the Central Government once again to direct the State Government to open the procurement centre so far as onion and maize are concerned.

माननीय अध्यक्ष: श्री बी.एन. चन्द्रप्पा - उपस्थित नहीं।

श्री पी.पी. चौधरी।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं सदन का ध्यान पाक विस्थापितों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में कई हिन्दू लोग पाकिस्तान से सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों से परेशान होकर सालों से रह रहे हैं। भारत सरकार के पास इन विस्थापितों को नागरिकता प्रदान करने के लिए कोई नीति नहीं है। पाकिस्तान में ये लोग प्रताड़ित किए जाते थे, इनकी माँ-बहनों और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी और ये खुद भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे इसलिए ये पाकिस्तान छोड़कर पश्चिमी राजस्थान में रह रहे हैं। ये लोग काफी लम्बे समय से यहां रह रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन विस्थापितों को नागरिकता प्रदान करने के लिए, कुछ इस तरह का सर्वे कराया जाए, कानून में बदलाव किया जाए और कोई ऐसी पालिसी बनाई जाए कि इन सब विस्थापितों को यहां की नागरिकता मिल सके।

खॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में भीषण अकाल है। वहां पीने के पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। गत कुछ वर्षों में महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले हुए, जिसके कारण कई सिंचाई योजनाएं बंद पड़ी हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी यह नई सरकार आई है इसलिए उसे केन्द्र की ओर से आर्थिक सहायता की जरूरत है। किसान बहुत परेशान हैं। राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार में प्रस्ताव भेजा गया है। मैं आपके द्वारा कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मराठवाड़ा के लोगों को इस भीषण अकाल से राहत पहुंचाने के लिए तुरंत एक विशेष दल वहां भेजा जाए और फौरन रिलीफ की घोषणा की जाए।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): महोदया, महाराष्ट्र में विदर्भ एरिया में 2013 में काफी बारिश होने से किसानों को नुकसान हुआ था और इस साल सूखे से काफी नुकसान हुआ है। वहां के किसान चिंतित हैं कि कैसे अपना गुजारा करें। वहां के किसानों ने अपने खेतों में सोयाबीन और कपास की फसल पैदा की है, लेकिन उन्हें अपनी फसल का आधारभूत मूल्य नहीं मिल रहा है, बल्कि उससे कम पर खरीद हो रही है। सरकार ने आधारभूत मूल्य 4050 रुपए तय किया है, जबिक उन्हें अपनी फसल को 3000 रुपए से 3500 रुपए के बीच में मजूबरी में बेचना पड़ रहा है। एक तो पानी नहीं होने से उनकी फसल को नुकसान हुआ,

दूसरे उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं सरकार से विनती करना चाहूंगा कि विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों को तुरंत 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, ताकि उन्हें फौरी तौर पर राहत मिल सके।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): माननीय अध्यक्ष जी, भारत-नेपाल सीमा पर स्थित लखीमपुर-खीरी का कुछ तराई का क्षेत्र निघासन और पलिया तहसील में ऐसा है, जहां पर पहले आबादी नहीं थी। उक्त क्षेत्र के विकास के लिए पूर्व में सरकार ने 25 कालोनीज वहां बसाई थी। जिस कारण उस क्षेत्र का विकास हुआ। परंतु 2001 में नेपाल राज्य में नई परियोजनाएं बनीं, जिससे वहां की नदियों का प्राकृतिक रुख मोड़कर शारदा नदी में भारत में टाटरगंज में और सुहैली नदी में घोल में तथा निघासन तहसील में कर्नाली नदी में बनवीरपुर गंगापुर के पास नेपाली नदियों का पानी उनमें डाल दिया गया। इस कारण पूरे क्षेत्र में आठ-दस सालों से बाढ़ के कारण तबाही मची हुई है। प्रदेश में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है, जिसमें वगत वर्षों से आ रही बाढ़ के साथ गाद भर जाने से सैंकड़ों एकड़ जमीन में खड़े लकड़ी के वृक्ष भी सूख गए हैं और बाड़ से वन्य प्राणी भी मर रहे हैं। स्हैली नदी से सिंचाई कम व पानी के निकास का उचित प्रबंध न होने के कारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है। कई जगह सुहैली नदी के तटबंध भी टूटे हैं। करनाली नदी भी बहुत बुरी तरह से कटाव कर रही है जिससे बाढ़ की विभीषिका का प्रकोप पूरे क्षेत्र में है। क्षेत्र में प्रमुख रूप से गन्ने व धान की खेती होती है। विगत कई वर्षों से हजारों एकड़ भूमि पर उपज बाढ़ के कारण बर्बाद हो रही है। इस क्षेत्र में चार चीनी मिलें हैं, परन्तु किसान अच्छी कृषि भूमि होने के बावजूद बाढ़ के कारण खतरे में पड़ गये हैं और उनकी आर्थिक व्यवस्था खराब हो गयी है। बाढ़ से बचाने के लिए शारदा एवं सुहैली के तटबंध बनाने तथा करनाली में जहां कटाव हो रहा है वहां पर भी तटबंधों के निर्माण करने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बार वहां पर धन-आबंटन भी किया है लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। अतः मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि सुहैली नदी व शारदा नदी की गहराई, सिल्ट की सफाई करके बढ़ाई जाए तथा टूटे हुए तटबंधों को बांधने तथा करनाली नदी जहां-जहां पर कटाव कर रही है तटबंध बनाने और प्राकृतिक बहाव के नाले जिन्हें भगार कहा जाता है, उनकी सफाई भी कराई जाए, जिससे बाढ़ की विभीषिका से क्षेत्र को बचाने का काम हो सके और किसानों की उपज बच सके।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): महोदया, कोकण रेलवे का एक गंभीर मामला मैं शून्य काल में इस सभागृह में रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदया, कोकण रेल एक ऐसी रेल है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ती है तथा कई पहाड़ों और नदियों के ऊपर से जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से 15 वर्षों के

बाद आज कोकण रेलवे की स्थिति बहुत गंभीर बन चुकी है। वहां का रेल मार्ग रिस्की हो चुका है, जिसकी वजह से इस एक वर्ष में 7 बार रेल मार्ग टूट चुका है। कई बार रेल पटरी से उतर चुकी है तथा हादसे हो चुके हैं। उसके लिए जो सीआरएस है उन्होंने 20 अक्टूबर को कोकण रेलवे के महाप्रबंधक भानू तायल को एक पत्र लिखा और उन्होंने बताया कि कोकण मार्ग के जो ट्रैकमैन हैं वे अनट्रेंड हैं। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि "USFD operators are not having any knowledge of USFD." और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि "Passenger train operation on Konkan Railway is posing a danger to the public using the service." उसके बावजूद भी रेलवे के महाप्रबंधक ने उसके ऊपर अनदेखी की और पैसेंजर ट्रेन के बजाए माल यातायात बहुत तेजी से चालू रखने के बाद आज कोकण रेलवे मार्ग बहुत खतरनाक हो चुका है। उसकी सही तरह से निगरानी रखने के लिए कर्मचारी नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी और रेलवे बोर्ड का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि सीआरएस का जो रिपोर्ट है उसे गंभीरता से देखें और कोकण रेलवे से यात्रा करने वाले लोगों की जान बचाने का काम करें।

श्री बाबूलाल चौधरी (फतेहपुर सीकरी): महोदया, आगरा-मथुरा को जोड़ने के लिए यमुना नदी पर, रूनक्ता (रेणुका धाम) और अकोश गांव दोनों के बीच में जो दो किलोमीटर की दूरी है उसे जोड़ने की वहां की जनता की मांग है। मथुरा जिले में दाउजी महाराज का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहां के लिए 80 किलोमीटर घूमकर आगरा से हजारों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। आगरा और मथुरा के लोगों में आपस में हजारों लोगों की रिश्तेदारियां हैं। दाउजी से आगरा 20 किलोमीटर दूर है लेकिन मंदिर के दर्शन और खरीदारी करने के लिए लोगों को 80 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस जगह पर पक्का पुल यमुना पर बनवाया जाए और जब तक पक्का पुल बने, वहां पर पीपों का अस्थाई पुल बनवा दिया जाए जिससे जनता को आने-जाने की सुविधा हो सके। दोनों जिलों की जनता आपका बहुत आभार मानेगी।

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति दी।

महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र सीवान, बिहार राज्य में अति संवेदनशील स्थिति पैदा हो गयी है। चुनाव के बाद लगातार मेरे समर्थकों की हत्या हो रही है। पूर्व सांसद द्वारा ... *

_

^{*} Not recorded

माननीय अध्यक्ष: आप किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि नाम नहीं लेना है और आरोप भी नहीं लगाएंगे। आप केवल जांच करवाने की अपनी बात कहिए।

श्री ओम प्रकाश यादव : महोदया, मैं क्षमा चाहता हूं।

महोदया, विगत 23 तारीख को हमारे मीडिया प्रभारी श्रीकान्त भारती की निर्मम हत्या कर दी गयी। उसके पहले आठ जून को मेरे समर्थक दिलीप यादव की हत्या कर दी गयी और हमारे ही समर्थक पूर्व मुखिया श्री हरेन्द्र यादव, जो कि घायल अवस्था में पीएमसीएच में मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। इसके पहले 16 जून को तेज़ाब कांड के चश्मदीद ग़वाह श्री राजीव रोशन की हत्या कर दी गयी। इन सारी हत्याओं के अभियुक्त ख़ुलेआम सीवान में घूम रहे हैं। जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अपनी एक टीम भेजकर जांच करवाए और इन सारी घटनाओं की जांच सीबीआई से कराने का भी मैं अनुरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. संजय जयसवाल को श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध

करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ओम बिरला। इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है, फिर भी आप बोलिए।

श्री ओम बिरला (कोटा): महोदया, रबी की फसल के लिए यूरिया उपलब्ध न होने के कारण किसानों की फसल नष्ट होने की नौबत आ रही है। राजस्थान में कुल 2 लाख 66 हजार मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता थी, जिसमें से 1 लाख 18 हजार मीट्रिक टन इंडियन खाद एजेंसियों से और 1 लाख 50 हजार मीट्रिक टन विदेश से यूरिया आने वाला था। लेकिन 12 नवम्बर होने के बाद भी इस 1 लाख 50 हजार मीट्रिक टन में से केवल 35 हजार मीट्रिक टन ही यूरिया उपलब्ध हो पाया है। जिसके कारण राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, जो कि सरसों का बहुत बड़ा इलाका है, यहां किसानों की फसल नष्ट होने की नौबत आ रही है।

महोदया, मेरी मांग है कि आईपीएल, कृभको, इंडियन खाद इंडस्ट्रीज़ और पोर्ट पर पड़े हुए यूरिया के लिए विशेष वैगन लगा कर किसानों को खाद उपलब्ध करवायी जाए ताकि हम किसानों की फसल को बचा सकें।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राजस्थान की चिंता की और उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी।

महोदया, आज यूरिया की स्थिति यह है कि पूरे देश के किसानों को रबी की फसल की बुआई के समय उत्पादकता बढ़ाने के लिए डीएपी और यूरिया की जरूरत होती है। लेकिन राज्यों की जो मांग है, उसके सापेक्ष खाद की कमी है, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है।

महोदया, किसानों के सामने दिक्कत यह है कि जब उन्हें यूरिया उपलब्ध नहीं होती है तो बाज़ार से उनको ब्लैक में खरीदनी पड़ती है। एक तरफ उत्पादकता नहीं बढ़ रही है और दूसरी तरफ लगातार जनसंख्या बढ़ने से जो खेतों का रक़बा है, वह कम हो रहा है। हम अपने आपको स्वावलम्बी तभी बना सकते हैं, जब खेत की उत्पादकता बढ़े और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें रबी की बुआई के समय डीएपी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद सिंचाई के समय खाद की ज़रूरत पड़ती है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में और खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जिसमें सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, महाराजगंज और संत कबीर नगर में खाद की कमी है। इस संबंध में मैं चाहता हूं कि सरकार यह रिस्पोंड करे कि देश के किसानों को वर्तमान में जितनी यूरिया की आवश्यकता है, उसको उपलब्ध करवाया जाएगा।

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam, I would like to speak about the state of schools in Mahabubnagar District of Telangana. There are lots of schemes which are being talked about by Ministers and lengthy speeches are being given.

माननीय अध्यक्ष: क्या आप नेशनल हाइवेज की बात कर रहे हैं?

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: उस विषय पर तो मैंने कल बोल दिया।

माननीय अध्यक्ष : फिर आपकी बात पूरी हो गई। आप दो दो बार कोई थोड़ी बोलेंगे। आपका कल वाला ही विषय आज फिर से क्यों आया? इसका मतलब आपने वहीं सेम कागज फिर आज पहुंचा दिया।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: मैडम, स्कूल के बारे में मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

माननीय अध्यक्ष : बताइए। लेकिन ऐसे नहीं होता है। आप कागज देखा करिए कि क्या कागज पहुंचाया जा रहा है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: मैडम, हमारे स्कूलों में एक एक स्कूल में 542 बच्चों से लेकर 600 बच्चे हैं। लेकिन उन स्कूलों में केवल 2-3 कमरे हैं। वहां टीचर्स भी पूरे नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष: इस विषय पर तो कल ही पूरी चर्चा हो गई।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: मैडम, मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। वहां उन स्कूलों में शौचालय भी नहीं हैं। हमने इस संबंध में पूरे डिटेल्स निकाले हैं और माननीय मंत्री जी को दिये हैं। आज तक कोई भी फंड्स नहीं दिये गये हैं। We request the Government to look into this matter.

श्री निर्नोग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लद्दाख इलाके में विकास के कार्यक्रम में चीन ने क्यों बाधा डाली? हाल ही में हमारे गृह राज्य मंत्री ने वहां घोषित किया था कि वहां के सभी सीमावर्ती इलाकों को सड़क से जोड़ा जाएगा जिसमें चीन की एक ऑब्जेक्शन आई थी। लेकिन जिस विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वह यह है कि हाल ही में जो वहां अपैक्स समिट हुआ था, जिसमें चीन के राष्ट्रपति ज़ी जिंपिंग और जापान के प्रधान मंत्री शिंजो आबे जी के बीच में समझौता हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट में जापान का जो विशेष कार्यक्रम ले रहे हैं, उसमें बाधा डालें। यह जो बाधा डाली गई है, खास तौर से हमारा जो सीमा सड़क संगठन है, जिसको बीआरओ के नाम से जाना जाता है, वह जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी का था, उसमें बाधा डालने का उनका पूरा कार्यक्रम था। लेकिन अभी चूंकि चीन ने उसमें बाधा डाली है, जैसे एडीबी, वर्ल्ड बैंक, सबमें बाधा डाली है। जब महाराष्ट्र, गुजरात में यह कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का एक अंग नहीं है? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश को या लद्दाख के जो इलाके हैं, विकास के कार्यक्रम अगर आप चीन या जापान से नहीं ले सकते तो मैं हमारी सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले में कदम उठाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री निनोंग इरिंग द्वारा उठाये गये विषय के साथ श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को एसोशिएट किया जाए।

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आनंदपुर साहिब): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। देश भर के जेलों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अदालतों द्वारा सुनाई गई सजा को कई वर्षों से पूरा कर लिया है। लेकिन उनको जेलों से रिलीज नहीं किया गया।

सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि यह प्योरली वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। दूसरी चिंता वाली बात यह है कि इस मांग को लेकर हरियाणा में गुरबख्श सिंह खालसा भूख हड़ताल पर हैं। यह मामला बहुत चिंताजनक है क्योंकि पंजाब ने पहले बहुत इस संबंध में दुख झेला है। मैं माननीय गृह मंत्री

जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग दूसरी जेलों में सजा पूरी काट लेने के बाद बैठे हैं, उनको जेलों से तुरंत रिलीज किया जाए। पहली सरकारों ने जख्मों पर मरहम लगाने की जगह हमें चिढ़ाया और कई जगह कहा गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। पहले कभी जो बच्चों के कातिल थे, जिन्होंने बच्चों के गलों में टायर डालकर उन्हें जलाया था, उन्हें एम.पी. बनाया गया, मंत्री बनाया गया। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नानावती कमीशन की रिपोर्ट में जिन लोगों को दोषी आइडेन्टिफाई किया गया है, उन्हें सजा दी जाए।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, thank you very much for giving me this opportunity to raise a very serious matter, requiring the urgent intervention of the Government of India for the sake of the safety of the people in Kerala.

Madam, yesterday in Kerala, we had an all party meeting convened by the hon. Chief Minister in which the BJP was also present where almost all the parties have unanimously resolved and sought the intervention of the Government of India in respect of the Mullai Periyar Dam issue.

Madam, I do agree that the Supreme Court had given a verdict that the water level can be increased. ... (*Interruptions*) Let me submit. ... (*Interruptions*)

Let me submit the issue. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He is raising the issue; let the Government take note of it.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: He can raise the issue.

... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Let me submit that the water level from 136 ft to 142 ft can never be increased. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You cannot object him from raising the issue. Let him raise it; you can say whatever you want to say, later.

... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Even as per the Supreme Court's judgment, it should be done. It should be done only under the strict supervision of the

Monitoring Committee. But the Monitoring Committee has totally failed in keeping in mind the safety of the people of Kerala and the safety of the Mullai Periyar Dam. So, my specific submission is this.

HON. SPEAKER: This is not the way. I am sorry; this is not the way. You can say whatever you want to say later.

Only Shri Premchandran's submission will go on record.

(Interruptions) ...*

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: My only submission is that urgent intervention of the Government of India is required.

My point is that we are ready to share water; we are ready to supply water and we are ready to abide by the agreement. But the only condition is the safety and security of the people of Kerala should be considered for which the intervention of the Government of India is required. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: श्री शरद त्रिपाठी - उपस्थित नहीं।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कोशाम्बी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग कृषि प्रधान देश के रहने वाले हैं। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ हो रहे घोर अन्याय की ओर दिलाना चाहता हूं। जैसा कि आप जानती हैं ...(व्यवधान) HON. SPEAKER: Nothing else is going on record.

(Interruptions) ...*

HON. SPEAKER: What is going on here? I am sorry. There is no discussion going on now.

... (*Interruptions*)

श्री विनोद कुमार सोनकर : महोदया, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ हो रहे अन्याय की ओर दिलाना चाहता हूं कि पहले प्रकृति ने अन्याय किया, वहां आवश्यकता से कम वर्षा हुई। ...(व्यवधान) HON. SPEAKER: Only Shri Vinod Ji's speech will go on record.

(Interruptions) ...*

-

^{*} Not recorded.

श्री विनोद कुमार सोनकर : मानसून में आवश्यकता से कम वर्षा होने के कारण किसानों की फसलों को पानी नहीं मिला और पानी तथा बिजली न मिलने के कारण नहरों में पानी नहीं होने के कारण किसानों ने बड़ी मुश्किल से धान की पैदावार की है।...(व्यवधान)

HON.SPEAKER: I am not allowing you; I am sorry.

... (Interruptions)

श्री विनोद कुमार सोनकर : लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार धान क्रय केन्द्रों में दिलचस्पी नहीं ले रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान परेशान हैं। किसानों का धान खरीदा नहीं जा रहा है, किसान अपना धान बिचौलियों को औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर हैं। कौशाम्बी जनपद में 19 क्रय केन्द्र हैं, जिनमें केवल एक केन्द्र पर धान खरीदा जा रहा है, बाकी अन्य कहीं पर नहीं खरीदा जा रहा है।

इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि किसानों की इस गम्भीर सरकार पर वह तुरंत ध्यान दे। श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि महुआ-सूरत ट्रेन का नम्बर 12945 और दूसरा 19025 है। यह ट्रेन महुआ से सूरत तक वीकली चलती है और इस ट्रेन को महुआ से मुम्बई तक बढ़ाने के लिए वर्ष 2009 से 2014 तक छः सालों से मैं हाउस में यह प्रश्न उठा रहा हूं। यह ट्रेन मेरे क्षेत्र से निकलकर पांच डिस्ट्रिक्ट्स अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, नवसारी और मुम्बई से गुजरती है। वहां मेरे क्षेत्र से लाखों लोग छोटे-मोटे रोजगार करने के लिए जा रहे हैं। इस ट्रेन को पर-डे चलाया जाए और महुआ से मुंबई तक बढ़या जाए। इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ते हैं। यह ट्रेन अम्बरेली, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, आणंद, बड़ौदा, भरूच, सूरत, नवसारी, वापी, वल्छाड़ हो कर मुंबई से गुजरती है। मैं इसको बार-बार इस हाऊस में उठा रहा हूँ। इस ट्रेन को पर-डे चलाया जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात रिकार्ड में आ गई है।

श्रीमती अंजू बाला।

...(व्यवधान)

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख, एक ऐसा धार्मिक स्थल है, जहां से बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पूरे हिंदुस्तान से और विदेशों से लोग वहां पर आते हैं। यह वह पवित्र स्थल है, जहां पर दधीचि ऋषि ने अपनी हिंड्डयों का दान दिया था और वज्र रूप में इंद्र देव को दी थी, तािक वे असुरों का नाश कर सकें। उस धार्मिक स्थल को एक पर्यटक स्थल का दर्जा मिलना चािहए था, जो कि

आज तक नहीं मिला है। नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ स्थल, जो अतिपावन है, इसके दर्शन मात्र से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नैमिषारण्य को नैमिष या नीमसार भी कहा जाता है। नैमिषारण्य के प्रमुख तीर्थ स्थल - चक्र तीथ, लिलता देवी मंदिर, व्यासगद्दी, स्वायक्भूमनु सरूपा, सूतगद्दी, हनुमान गढ़ी, पांडव किला, दशाश्वमेघ घाटा, दधीचि कुण्ड आदि हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि इस पौराणिक तीर्थस्थल को पर्यटक स्थल घोषित कर यहां का विकास कराया जाए।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): महोदया, मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाने जा रहा हूँ और इसका केंद्र सरकार से इसलिए ताल्लुक है क्योंकि पिछले पांच साल में 1100 करोड़ रूपये पंजाब सरकार को हैल्थ के लिए दिए गए हैं। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात वहां पर यह है कि इसी महीने की 21 तारीख को 17 करोड़ की लागत से बने एक हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और 23 तारीख को उसी हॉस्पिटल में 6 नवजात बच्चों की मैतें होती हैं। पिछले दो महीने में 35 मौतें लुधियाना के हॉस्पिटल में हुई हैं।

मैडम मेरी आपसे मांग है कि हैल्थ मिनिस्ट्री से कोई न कोई बड़ी टीम वहां पर भेजी जाए। कोई न कोई इंक्वायरी कराई जाए कि इतनी बड़ी लैप्स वहां पर क्यों हुई। इसके ऊपर जरूर कोई न कोई मुकदमा वहां पर दर्ज किया जाए। राज्य सरकार के ऊपर होना चाहिए। ...(व्यवधान) मैडम ये इसलिए शोर कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पास वह हैल्थ महकमा है और अकाली दल वाले जानबूझ कर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: किसी पर आरोप न लगाएं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भावना गवली, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बाकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी, केवल भावना गवली की बात रिकार्ड में जाएगी।

(Interruptions) ... *

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली (यवतमाल-वाशिम) : महोदया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ज़ीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया है। मेरे क्षेत्र यवतमाल में एक सेंटर स्कूल चल रहा है। लेकिन उसके लिए जो बिल्डिंग हम बनाना चाहते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार से हमें निधि का आवंटन नहीं हुआ है। यवतमाल के कलैक्टर की तरफ से जमीन के कागजात भेजने थे, वे भी भेजे जा चुके हैं। लेकिन हम

-

^{*} Not recorded.

पिछले दो साल से यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में वह बिल्डिंग बने और बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले। क्योंकि वहां पर रैग्युलर प्रिंसिपल नहीं है। वहां पर प्राध्यापक लोग नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर उनके लिए स्टाफ क्वाटर्स नहीं है। इसके कारण वहां के बच्चों को अच्छी तरह से नहीं मिल पा रही है। जिलापरिषद् के कुछ कमरे मिले हुए हैं, वे बच्चे उसमें वे शिक्षा ले रहे हैं। पिछली बार मैंने एचआरडी की स्टैंडिंग कमेटी में यह विषय उठाया था, उसके बाद उपायुक्त वहां पर आए थे और सर्वे भी हुआ था। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी है, मेरी मांग है कि मेरे क्षेत्र के जो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, उनको एक अच्छी बिल्डिंग मिले, वहां प्ले ग्राउंड हो और अच्छी शिक्षा मिले। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही हो।

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला): महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हैं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में एक कैंप में 14 महिलाओं की मौतें हुई और सैकड़ों औरतें अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उसकी ज्युडिशियल इंक्वायरी चल रही है।

...(व्यवधान)

श्री धर्म वीर गांधी : मैडम, मेरा निवेदन है कि जो प्रिलिमनरी इंक्वायरी है, उसमें यह मुद्दा आने के बाद कि वहां दवाइयों में रैट पॉइज़न मिला है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसकी ज्यूडिशन इंक्वायरी चल रही है।

...(व्यवधान)

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जांच जारी है। ...(व्यवधान)

13.00hrs

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Judicial enquiry is going on.

(Interruptions) ...*

श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी (मलकाजिगरी) : महोदया, मैं तेलंगाना में मलकाजिगरी कांस्टीट्युएंसी से चुनकर आया हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको मना कर रही हूं।

...(व्यवधान)

-

^{*} Not recorded.

श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी: महोदया, भारत देश में मलकाजिंगरी एक बड़ी कांस्टीट्युएंसी है।...(व्यवधान) तेलंगाना में मलकाजिंगरी कांस्टीट्युएंसी 32 लाख वोटर्स की है।...(व्यवधान) वहाँ हमारे मिलिट्री वालों से, डिफेंस वालों से सिविल वालों को बहुत प्राब्लम हो रही है। 70-80 साल पहले, निजाम सरकार के पहले भी वहां की रोड्स हमारी थीं। आज डिफेंस वालों ने नया तेलंगाना स्टेट बनने के बाद सिक्योरिटी की वजह से उस रास्ते को बंद कर दिया है। उधर के 12-15 इलाकों में आने-जाने में बहुत प्राब्लम हो रही है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing, except what is being said by Shri Ch. Malla Reddy, will go on record.

(Interruptions) ...*

श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी: महोदया, वहाँ के 12-15 इलाकों के लोग, पब्लिक स्कूल के बच्चे, इंप्लाईज, आईटी पीपुल उस रास्ते से सत्तर साल से आते और जाते रहे हैं, लेकिन अब वह पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। इससे वहाँ के लोगों को बहुत प्राब्लम हो रही है। डिफेंस वालों के पास बहुत जमीन है। सिविल एरिया की आबादी बहुत बढ़ गयी है। उन लोगों को फेमिली क्वार्टर्स में रखकर, बाकी अगर वहाँ कोई सिक्योरिटी का, आर्म्स का गोदाम है तो उसको वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहिए। वहाँ मन्दिर, मस्जिद, कहीं भी आने-जाने का पूरा रास्ता मिलिट्टी ने कैंटोनमेंट सिकंदराबाद में बंद कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष : श्री आर. ध्रुवनारायण जी, आपका कौन सा विषय है, यह बताइए। ऐसे ही कोई भी विषय नहीं उठाया जा सकता है।

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): Hon. Speaker, Madam, I wish to raise an important issue regarding the problems being faced by the tobacco farmers. Tobacco is mainly grown in the States of Karnataka and Andhra Pradesh. There are about 90,000 registered tobacco growers. About 900 million kilograms of tobacco is grown every year. Export quality tobacco is grown in our State of Karnataka. The farmers are now facing the problem of tobacco price. Last year the price of FCB tobacco has fallen from Rs. 150 per kilogram of leaf to Rs. 116 per kilogram. There has been a fall of 17 per cent in the price of tobacco over a period of one year and so the farmers are facing problems and they are agitating about it. In this connection I would like to submit, through you, that

^{*} Not recorded.

the Tobacco Board has to take an initiative in the matter to give a Minimum Support Price to the tobacco farmers.

माननीय अध्यक्ष : शरद त्रिपाठी जी, मैंने आपका नाम लिया था, आप उपस्थित नहीं थे। आप जल्दी से अपनी बात कहिए।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): महोदया, मैं आपके माध्यम से संत कबीर नगर जनपद से बहने वाली आमी नदी, जो संत कबीर की निर्वाणस्थली है, जिनको छूकर वहाँ आमी नदी बहती है, इस नदी का पानी कभी अमृत के रूप में जाना जाता था। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्रीय प्रदूषण मंत्रालय, भारत सरकार के बार-बार हस्तक्षेप के बावजूद भी विगत तीन महीनों से वहां की जो सटी हुयी चीनी मिलें हैं, जिसमें एक बस्ती की रूदौली की चीनी मिल है, एक चीनी मिल हमारे खलीलाबाद की है, जो जनपद मुख्यालय पर ही स्थित है, एक हमारी अन्य विधान सभा से सम्बन्धित बबनान की चीनी मिल है। बार-बार मना करने के बावजूद भी ये औद्योगिक कचरा उसमें गिराने का कार्य कर रही हैं। उस जल की स्थिति इस समय ऐसी हो गयी है कि जो उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशतता है, वह जीरो परसेन्ट पर आ गयी है। इसके कारण हमारे संत कबीर नगर जनपद के बघौली ब्लॉक के सम्बन्धित गाँव के सात से दस पशु अब तक मर चुके हैं।

मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इन्हीं सहायक निदयों के द्वारा गंगा नदी भी बहुत प्रदूषित हो गयी है। आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि गंगा का पानी लाल हो चुका है और उसमें लोग स्नान करने से भी कतरा रहे हैं।

महोदया, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो भी औद्योगिक इकाईयाँ ऐसा कर रही हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आप सरकार को निर्देश देने की कृपा करें।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.03 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Three Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise Matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

(i) Need to provide a dedicated water pipeline from Bhakra Mainline to Chandigarh to meet the growing water needs of the city

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Chandigarh is one of the most densely populated areas of the country. The population of the Union Territory has been growing at 40% per decade. The water needs of my constituency, therefore, are also increasing.

By 2025, the population of Chandigarh is projected to grow to nearly 25 lakh. It is estimated that by 2025, the water demand will be 800 MLD, an increase of 58% over the 2011 demand of 494.25 MLD. The demand supply gap in 2025 is expected to be over 330 MLD.

Presently, Chandigarh gets 29 cusecs of water from the Bhakra Main Line as per the water sharing agreement of 1983. This is simply not enough to meet the

_

^{*} Treated as laid on the Table.

water needs of the people. While the administration is taking measures to ensure that rain water harvesting is done to increase the ground water levels, the Union Territory needs more water from the Bhakra Main Line.

I request the Government of India, particularly the Home Ministry and the Ministry of Water Resources to take up the issue with Governments of Punjab and Haryana in order to ensure that a dedicated pipeline from the Bhakra Main Line is provided for Chandigarh. This has been a long standing demand of the people of Chandigarh, and without this, the situation will worsen in India's first planned city.

(ii) Need to revive closed sugar and jute mills in Siwan district of Bihar

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): बिहार राज्य के जनपद सीवान में पिछले कई वर्षों से रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होने से बेरोजगारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जनपद सीवान में तीन चीनी मिलें और जूट मिल विगत कई वर्षों से बंद पड़ी हैं। स्थानीय तौर पर इन मिलों को चालू कराने हेतु आंदोलन और धरना प्रदर्शन हो चुके हैं परंतु अभी तक उपरोक्त मिलों को चालू नहीं किया गया है। मेरा संसदीय क्षेत्र सीवान चीनी उत्पादन में बिहार के अग्रणी जिलों में से रहा है। तीनों चीनी मिलें बंद होने से स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है जिससे बेरोजगारों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसानों को अपना गन्ना पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में ले जाना पड़ता है। इससे किसानों को अधिक भाड़ा और समय बर्बाद करना पड़ता है। इस नुकसान के कारण किसानों ने गन्ने की पैदावार कम कर दी है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बंद चीनी मिलों और जूट मिल को पुनः चालू किया जाए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सके और गन्ना किसानों को अपने गन्ने का उचित मूल्य मिल सके ताकि सीवान जिले का विकास हो सके।

(iii) Need to utilize the land donated by farmers under Bhoodan Movement launched by Vinoba Bhave

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान राष्ट्रीय महत्व की समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेकर विनोबा भावे जी ने जो भूदान आंदोलन किया जिससे देश के विभिन्न प्रदेशों में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन किसानों ने दान दी थी वह भूमि जस की तस पड़ी है । जैसी कि मुझे जानकारी मिली है । जबिक इस जमीन को विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों हेतु लाने की आवश्यकता थी जो बेरोजगारी एवं भुखमरी से बचाने में सहायक होता। जिस संस्था ने भूदान मंडल का निर्माण किया था और जो आज अस्तित्वहीन हो गई है, उसको अस्तित्व में लाने की भी आवश्यकता है ।

अतः मैं माननीय गृह मंत्री जी से पुनः आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि भूदान से अर्जित जमीन की सही व्यवस्था कर उसे लाभ लेने हेतु कार्यक्रम बनाने की कृपा करे जिससे कि आम नागरिक को लाभ हो एवं देश के सर्वांगीण विकास में सहायक हो ।

(iv) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Palghar district of Maharashtra

श्री किपल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी): मेरे संसदीय क्षेत्र भिवंडी (महाराष्ट्र) में अभी हाल ही में एक नया जिला पालघर (महाराष्ट्र) बना है, वहां की जनसंख्या के हिसाब से वहां पर स्कूलों की व प्राथमिक विद्यालयों की भारी कमी है जिसके कारण कई प्रतिभाशाली छात्र/छात्राएं अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। यहां तक कि लगभग 6 लाख जनसंख्या के पीछे मात्र एक केन्द्रीय विद्यालय है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला पालघर (महाराष्ट्र) में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक केन्द्रीय विद्यालय को खोलने हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

(v) Need to extend banking facilities to the economically weaker section of the society in Bihar

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): आम आदमी के लिए बिहार में बैंकिंग सुविधाएं बहुत बुरी स्थिति में है, कारण यह बताया जाता है कि उन गरीब लोगों की प्रोफाइल नकारात्मक है । बैंकिंग सेक्टर वित्तीय समावेशीकरण की स्तरीय व्यवस्था के क्रम में 35 राज्यों में से बिहार को 33वां स्थान दिया गया है । इसका अर्थ यह हुआ कि बैंकिंग सेक्टर बिहार में आम जनता को अपने से जोड़ने में नाकाम रहा है । बैंकिंग सेक्टर की नाकामियों और नकारात्मकता का परिणाम यह हो रहा है कि बिहार की आम जनता साहूकार और बिचौलिए किस्म के लोगों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप आम जनता को ऊंची दर पर ब्याज देना पड़ता है । सरकार को आम जनता को हो रही दिक्कतों और परेशानियों के मद्देनजर संज्ञान लेना चाहिए और इस गंभीर समस्या का समुचित निदान करना चाहिए ।

(vi) Need to restart the Fertilizers Factory at Barauni in Bihar

डॉ. भोला सिंह (वेगूसराय) : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने बिहार के बरौनी खाद कारखाने को बंद करते समय संसद में आश्वासन दिया था कि जब गैस आधारित यूरिया के उत्पादन के लिए कारखानों को चालू किया जाएगा तो बरौनी खाद कारखाना को चालू करने में प्राथमिकता दी जाएगी । सरकार गैस यूरिया खाद के बंद हुए कारखाने को पुनर्जीवित करने के लिए निर्णय कर रही है । इसमें बरौनी खाद कारखाने को सबसे अंत में रखा गया है । सरकार का दिया हुआ आश्वासन एक कोरे कागज का टुकड़ा नहीं है । इसकी साख, प्रतिष्ठा, इसका जनता के साथ जुड़ा हुआ विश्वास है । केन्द्र सरकार बरौनी खाद कारखाने का पुनर्निर्माण करे और यदि ऐसा नहीं हुआ तो बिहार की जनता को दिया गया आश्वासन एक विश्वासघात होगा । अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का आश्वासन हमारे लिए एक बहुत बड़ी अमानत है । हमारी अमानत के साथ सरकार का यह रुख दुखद है । मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह मेरे द्वारा दिए गए जो तथ्य है, उनको खंगाल कर देखें और अपने पूर्व के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए बाध्य हो । मैं इस ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

बरौनी खाद कारखाना 15 वर्षों से मृत पड़ा हुआ है । करोड़ों रूपये की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है । सैकड़ों आवासी भवन भूतहा घर बन चुके हैं । तत्कालीन केन्द्र सरकार ने लोक सभा में बंद करने के प्रश्न पर राष्ट्र को आश्वस्त किया था कि गैस उत्पादित यूरिया का उत्पादन ही लाभकारी होगा । हिन्दिया-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन बिछाई जा रही है । यह कार्य इतनी मंथर गित से चल रहा है कि इसे पूरा करने में वर्षों लगेंगे । वर्तमान केन्द्र सरकार जनता की आस्था का संवाद लेकर आई है । वह बरौनी खाद कारखाने को अविलंब चालू कराने के लिए गैस पाइप लाइन बिछाने के कार्य को प्राथमिकता दे ।

(vii) Need to procure paddy from farmers at minimum support price in a time-bound manner in Sahajahanpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): अविलंबनीय लोक महत्व का विषय है कि धान की फसल ने सूखे व बाढ़ के कारण किसानों को पहले ही बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया । रात-दिन मेहनत करके किसानों ने फसल तैयार की लेकिन उत्तर प्रदेश में दिनांक 29.10.2014 तक 80 प्रतिशत धान क्रय केन्द्रों पर खाता भी नहीं खुला पाया । महोदया, जबिक शाहजहांपुर जनपद में कुल 73 धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं । पूरा अक्तूबर माह बीतने के बावजूद लक्ष्य का 5 प्रतिशत भी धान क्रय नहीं किया गया जबिक शाहजहांपुर जनपद धान की पैदावार में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है लेकिन अक्तूबर माह के अंत तक 300 मीद्रिक टन धान की खरीद नहीं हो पायी जबिक 01.10.2014 से 31.10.2014 तक 11.5 लाख क्विंटल से अधिक मंडी में धान की आवक हो चुकी थी ।

रौजा मण्डी में 11 नवम्बर तक 14,92,764 क्विंटल धान आया किंतु, क्रय केन्द्र बंद होने के कारण व नमी का कारण बताकर किसानों का धान नहीं लिया गया । उत्तर प्रदेश में किसान मजबूरन बिचौलियों के हाथों लुटने के लिए मजबूर है । रौजा मुख्य मण्डी में एक माह में मात्र 20 क्विंटल सरकारी खरीद हुई जबिक मण्डी परिसर में भारतीय खाद्य निगम, बी०सी०एफ० केरूगंज, मिश्रीपुर सिहत चार केन्द्र बनाये गये हैं । केवल एफ०सी०आई० केन्द्र पर 20 क्विंटल धान खरीदा गया । दूसरी तरफ 10 दिनों के भीतर आढ़ितयों द्वारा 3,27,291 क्विंटल धान की खरीद की गई जबिक खाद्य एवं रसद विभाग के केन्द्र पर 414 क्विंटल, भारतीय खाद्य निगम केन्द्र पर 47 क्विंटल एवं पी०सी०एफ० केन्द्र पर 403 क्विंटल ही धान खरीदा गया ।

भारत सरकार ने धान का मूल्य 1500/- रूपये घोषित किया जबकि किसान अपनी उपज को बिचौलियों के हाथ मात्र 800 से 900 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर बेच रहा है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय करने हेत् शीघ्र आवश्यक कदम उठाए ।

(viii) Need to set up a bench of National Green Tribunal in Gujarat

श्रीमती जयश्रीवेन पटेल (मेहसाणा): देश के प्राकृतिक संसाधनों का उचित संरक्षण करने हेतु दीर्घकालिक दृष्टि तथा पर्यावरणीय समस्याओं को कानूनी समाधान के आशय से 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में भारत सरकार के विधि आयोग द्वारा स्थापित पर्यावरणीय अदालत की स्थापना के लिए सिफारिश की हुई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत देश के पश्चिम, मध्यम तथा दक्षिण और पूर्व के राज्यों के लिए पुणे, भोपाल, चेन्नई तथा कोलकाता में एनजीटी का शुभारंभ हुआ था ट्रिब्यूनल के ढांचे में चेयरमैन तथा ज्युडिशियल तथा तकनीकी क्षेत्रों के 10-10 सदस्यों को मिलाकर 20 सदस्यों वाली विशेषज्ञों की नियुक्ति 5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायधीश की सलाह से की जाती है। एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, तथा दादरा नगर हवेली को जोड़ने वाली एनजीटी अगस्त 2013 में पुणे में स्थापित की गई।

मेरी मांग है कि गुजरात के पर्यावरणविदों को पुणे आने-जाने में कितनाई होती है। अतः गुजरात में ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाए। क्योंकि पुणे में ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होने वाले आम गुजरातियों को भाषा संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इस संबंध में केस दायर करने से लेकर उनकी पैरवी तक काफी दिक्कत झेलनी होती है। साथ ही ट्रिब्यूनल के माननीय सदस्यों को जांच हेतु गुजरात के विभिन्न स्थानों में जाने की कितनाई होती है जिससे समय और धन दोनों का नुकसान होता है।

अतः सरकार से मेरी मांग है कि एनजीटी को हाईकोर्ट जैसी शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए तथा देश के प्रत्येक राज्य में जनता की प हुंच के मुताबिक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की जानी चाहिए

(ix) Need to address the problems of farmers pertaining to crop-insurance in Churu Parliamentary constituency, Rajasthan

श्री राहल करवां (चुरू) : चुरू संसदीय क्षेत्र में फसल बीमा योजना स्वचालित मौसम केन्द्रों के आधार पर संचालित है । प्रत्येक आई.एल.आर. केन्द्र पर एक-एक स्वचालित यंत्र है । जिले में स्काई मेट व एम.सी.एम.एल. कंपनी ने मौसम केन्द्र स्थापित कर रखे हैं । बीमा कंपनियों की मनमानी के कारण फसल बीमा से किसान को कोई राहत नहीं मिल रही है। किसान ऋण लेता है उसे बीमा करवाना आवश्यक है। किसान की इस मजबूरी का फायदा उठाकर कंपनियां बीमा कर रही हैं । वर्ष 2013-14 में केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना में संशोधन करते हुए किसानों की बीमा प्रीमियम 200 रूपये से बढ़ाकर गेहूं, चना, सरसों पर क्रमशः प्रीमियम का कृषक हिस्सा राशि 845, 528 व 449 रूपये कर दिया गया है । प्रीमियम घटाकर वापिस पूर्व की भांति 200 रूपये प्रति हेक्टेयर किया जाए । वर्ष 2013-14 में ही बीमा कंपनियों के द्वारा ट्रम-सीट में तापमान के पैरा मीटर्स में संशोधन करते हुए गेहूं 3'बए चना 2.7 बए सरसो 2.7'ब किया गया है । यह एक कठोर शर्त है तथा मापदण्ड अवैधानिक है, जबकि दूसरे जिलों में 0' ब पर ही पूरा क्लेम दिया जा रहा है । तापमान 3 ' ब व 2.7' ब कम होना बहुत ज्यादा है । इस तापमान में तो पेड़-पौधे तक जल जाते हैं । कंपनियों का यह बहाना किसान को क्लेम नहीं देने का है । मेरी मांग है कि ट्रम सीट में तापमान के पैरामीटर्स को बढ़ाया जाए ताकि कृषकों को फसल बीमा का लाभ मिल सके । स्वचालित मौसम केन्द्रों के तापमान वर्षा आदि के आंकड़े समय पर उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे हैं। ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये जा रही हैं। इनका कंट्रोल हैदराबाद से है। कंपनियों पर इन आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगते रहते हैं । मौसम केन्द्रों के आंकड़े प्रतिदिन इंटरनेट तथा समाचार-पत्रों द्वारा सार्वजनिक किये जाए । अगर कोई व्यक्ति केन्द्र पर जाकर आंकड़े देखना चाहे तो इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए । मेरे संसदीय क्षेत्र की विधान सभा नोहर व भादरा के किसान जागरूक नहीं है, क्लेम की मांग नहीं करतें है । उनको फसल बीमा कंपनियों कुछ भी राहत नहीं दे रही है ।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि उपरोक्त विसंगतियों को दूर किया जाए ।

(x) Need to set up a Cashew Workers Welfare Fund Board

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): India is the third largest producer of cashew nut in the world. The major cashew processing industries are located in Kollam district, Kerala. Now the industry has spread its activities in almost all the southern states of India Orissa, West Bengal, etc. The condition of workers engaged in cashew industry is precarious. 94% of the workers are women of whom almost all are from socially and economically backward communities. Scheduled Castes constitutes 35% among workers. The wages are very low and there is no guarantee of continuous work. The unhealthy working condition makes their life miserable. More than a million workers are engaged in cashew industry in its various activities. The service conditions of those who are working in the organized factories and companies are better, as they are getting EPF and ESI benefits. A huge chunk of workers are engaged in the unorganized cashew factories. They are not registered and functioning without licences. The workers in these factories are not getting any benefit. The workers in the organized sectors are also not getting any welfare scheme other than EPF and ESI. Hence, it is imperative that there should be a comprehensive welfare scheme for the cashew workers in all the sectors.

Hence, I request the Hon'ble Minister of Labour and Employment to consider the setting up of a cashew workers welfare fund board immediately.

(xi) Need to give preference to Course Completed Act Apprentices in recruitment in Southern Railway and in Integral Coach Factory, Chennai, Tamil Nadu

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): It is a matter of grave concern that more than 1,500 Course Completed Act Apprentices (CCAAs) who had undergone three years of training in Southern Railway are waiting for appointment since 2008. However, it is not the case in other Railway Zones. There they have been absorbed till 2011. Likewise BHEL, HVF (Avadi) have also absorbed CCAAs upto 2012 batch. In the Chennai Division of Southern Railway, there are 5,450 vacant posts in the safety category alone.

Same is the status in the case of Integral Coach Factory (ICF), Chennai which is primarily aimed at giving preference to apprentices from Tamil Nadu and Andhra Pradesh region. However, they have been totally ignored and importance is given to the applicants of other regions. Even in Rail Coach Factory, Kapurthala, 2012 batch CCAAs have been absorbed and there preference is not given to outsiders. In the ICF, Second Manufacturing Unit has started functioning and, therefore, opportunities can be given to them and the apprentices are willing to work anywhere in the Production Units/Zonal Railways in the country. They are struggling for their bread and butter and running from pillar to post for redressal of their genuine grievances.

As per estimates, Railways have to spend Rs. 55,000/- approximately to recruit one person through open process of recruitment and thereafter huge amount has to be spent for their training. Therefore, before embarking upon open recruitment, I urge upon the Hon'ble Minister of Railways to kindly consider the genuine grievances of in-house talents i.e. CCAAs of Southern Railway and ICF, Chennai and issue necessary directions to absorb them without delay.

(xii) Need to expedite doubling and electrification of railway line between Chennai and Kanyakumari

SHRI K.R.P. PRABAKARAN (TIRUNELVELI): I would like to urge the Government to initiate action for early completion of the doubling and electrification project between Chennai and Kanyakumari, Tamil Nadu which is stalled without any reason for the past many years. Survey study has already been completed. Therefore, I request the Government to start this pending project since the completion of this project has been demanded by people of my constituency for the past two decades. The Government should expedite the doubling of line between Chennai and Kanyakumari. In case of completion of this work, I am sure it would not only be beneficial to villages and towns lying on this route but also generate more income to the railways.

(xiii) Need to expand the operation of Air India and take suitable steps to make it more competitive

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Air India has been suffering huge losses year after year. In the past seven years alone, Air India has suffered losses of Rs. 38,630 crore.

Financial support under the Turnaround Plan for Air India runs into thousands of crores. While the Ministry states that Air India has taken various steps to improve operational and financial performances such as rationalization of loss making routes, redeployment of staff, etc, the 2012 NTDPC report on Civil Aviation states that "the Air India group of airlines has not been able to absorb the shocks of competitive play of market forces. The operating losses of the national carrier have only increased since 2005-06 reflecting its inefficiency in operations". The 2013 report further goes on to state that "with excessive and unproductive

manpower, its failure to invest in technology, and with sub-scale operations, Air India's future prospects remain precarious".

In this light, infusion of tax-payers money will be a waste if the faulty government policies, particularly those of allotting capacity/route entitlements (traffic rights) to foreign airlines, are not corrected.

I would request the government to expand Air India's network to more points so that it can become more competitive. Also, Air India should continue to have the right to priority route assignments to ensure an actual turnaround for the carrier. I would also request the government to allow airports in Delhi and Mumbai to be created as primary hubs for Indian air traffic, especially for traffic originating from India and not allow unbridled access to foreign airlines to create hubs outside the country.

(xiv) Need to expedite gauge conversion of railway lines between Badaun and Bareilly and construction of railway lines between Etawah and Mainpuri in Uttar Pradesh

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): बदायूँ-बरेली आमान परिवर्तन व इटावा मैनपुरी रेल लाइन वर्ष 1996-97 में शुरू हुई थी जिनको पूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी.देवगौड़ा व श्री इन्द्र कुमार गुजराल जी ने अपने कार्यकाल में शुरू करवाया था लेकिन इतने दिनों बाद भी अभी इन लाइनों का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

मेरा निवेदन है कि इन लाइनों पर कार्य पूर्ण कराकर ट्रेनों का संचालन जल्दी से करवायें और साथ ही मैं जानना चाहता हूँ कि इन लाइनों पर कार्य पूर्ण कब तक कर लिया जायेगा ।

(xv) Need to take immediate steps to curb the increasing incidents of cancer particularly in Sangrur, Punjab

SHRI BHAGWANT MANN (SANGRUR): The cancer has gripped Punjab and affected every family specially in Sangrur. In 2012, according to the cancer survey conducted by the teams of health department, it was discovered that 1307 cancer patients died during the past five years in the district. Sangrur has 913 confirmed cases of cancer in half of the population (about 8 lakh). The teams had also recorded 4596 suspected cases in the district on the basis of 12 symptoms.

There is lack of super-speciality hospitals in Sangrur which can treat patients of cancer. There is also lack of awareness about any government scheme. Most importantly, industries have polluted the environment of Sangrur with heavy metals, air pollution (SPM, PM, N02) and its water sources as well, which has degraded the health profile of people of Sangrur. The state government has not been able to provide effective, healthcare facilities for preventing, curing or solving the problem of increasing cases of cancer in Sangrur and Punjab at large. I, therefore, request the Union Minister concerned to take remedial steps in this regard.

14.04 hrs

CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDERS (AMENDMENT) BILL, 2014

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up item No. 14, namely, the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1978 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने पाँच राज्यों - केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा और सिक्किम से संबंधित अनुसूचित जातियों के नामों में और कुछ अन्य परिवर्तन करने के लिए 12 संशोधन शामिल किए हैं। उनमें से 10 मौजूदा अनुसूचित जातियों के पर्यायों के रूप में कतिपय समुदायों के समावेशन के लिए एक प्रस्ताव हमने स्वीकार कर लिया है।

महोदय, यह विधेयक पहले वर्ष 2012 में प्रस्तुत किया गया था, परन्तु लोकसभा भंग हो जाने के बाद लैप्स हो गया था। इस विधेयक को फिर से 11 अगस्त को सदन में प्रस्तुत किया गया था। हम जो संशोधन करने जा रहे हैं, उनके लिए एस.सी. आयोग ने, रजिस्ट्रार जनरल ने और संसदीय समिति ने भी अनुशंसा कर दी है, इसीलिए हमने इन संशोधनों को करने का निर्णय लिया है और यह विधेयक इन संशोधनों को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि इन संशोधनों को स्वीकार किया जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978, be taken into consideration."

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014. I appreciate the introduction of the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014 for passing in Lok Sabha. It was a very long pending demand from the communities which are very backward and require the support of the Government for their development.

The *pulluvan* community in Kerala are denied the benefits of reservation meant for Scheduled Castes though they are the same as *pulluva* for decades due to spelling mistake. Actually the *pulluvan* community is a Scheduled Caste community. But unfortunately they are not included in the Scheduled Castes list because of the spelling mistake. Therefore, the Government of Kerala has suggested to the Central Government to include this community in the Scheduled Castes list. The inclusion of *thachar* community is also a welcome move. In Kerala, there are other communities like the *thachar* community, like the *thiyya* community. This *thiyya* community includes *ezhava* and other backward communities. At some point of time, *thachar* and *thiyya* have come together. *Thachar* is actually Scheduled Caste, but *thiyya* is a backward community.

What happened is that in the Malabar region, this *thiyya* community also started getting the benefits meant for Scheduled Castes. The village officers and revenue officers are giving false Scheduled Caste and Scheduled Tribe certificates to *thiyya* community. So, they have also started getting the benefit. The *thachar* community should be exclusively included in this list so that we can exclude the *thiyya* community from getting the benefits meant for the Scheduled Castes.

From time to time various State Governments recommend many communities for inclusion in the Scheduled Caste and Scheduled Tribe list. But what is the situation now? The reservation percentage is fixed and there is no change in that. There is no enhancement in the reservation percentage. After

Independence, State Governments have recommended many communities for inclusion in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes list, whether it is right or not. Due to political compulsions and vote bank compulsions, many States are recommending so many communities for inclusion in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes list. This is very unfortunate. As I said, there is no enhancement in the reservation percentage and still there is no change. But so many State Governments are recommending so many communities to be included in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes list. So, the reservation percentage is not increased but the number of communities are increased from time to time. What happens is that many States have compulsions. They want the communities' vote. So, the State Government is compelled to recommend the names of certain communities to be included in the list. Therefore, I would like to request the hon. Minister to ensure one thing. Whenever the recommendation comes from the State the Central Government has Government, to thoroughly check recommendations. Of course, we have the National Commission for the Scheduled Castes as also the Registrar General of India. These officers are sitting in Delhi. How can they know which are the real communities that belong to the Scheduled Castes? The State Government is recommending the names because of politics, because of vote bank. The State Government is doing it in its own interest. So, after the State Government recommended, the Scheduled Castes Commission as also the Registrar General of India also ratified it. After that, the Ministry of Social Justice and Empowerment has brought forward this Bill before this House.

Sir, the percentage of reservation is not increased. So, the Government should seriously take note of that aspect because many communities are included from time to time in that list but the percentage is not increased. The population of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes communities has also increased but the reservation percentage is not increased. Even now, that percentage is there. There is no change, no enhancement. More than 1,200 castes are there in the Scheduled Castes community.

I want to point out another thing. As I said earlier, many communities came to be included in the list through backdoor. The eligible communities only can be included. But many of the ineligible communities came through the backdoor entry. What is the criterion for inclusion of a community in the Scheduled Castes, Scheduled Tribes list? It is untouchability, economic backwardness and social backwardness. These are the criteria for a community to be included in the SC/ST list. There is no criterion which is followed. The State Government is recommending and the Central Government is accepting it. It is not correct.

I would like to bring to your kind notice another important point. It is about job reservation and also the SCP Fund. Job reservation quota is not increased. At the same time, the amount of SCP Fund is also not increased. So many communities are coming into the List. That is also very important. Even the Funds allotted under SCP are not reaching the beneficiaries. That is also very important. There is huge corruption in the implementation of the schemes under SCP. Diversion of SCP Fund, non-utilisation of the Fund is the order of the day. Many of the schemes are not according to the needs and aspirations of the Scheduled Caste population. The views of the beneficiaries are not sought before preparing the scheme. The scheme under Skill Development is not reaching them.

The Scheduled Castes community is demanding for an Act of Parliament to stop the misuse of this Fund.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude. Many hon. Members are there to speak, not only you.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: It is very rare when the Scheduled Castes issue is coming before the House every Session. You have to give some time for me. It is very important.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The time is allotted to you. Many hon. Members are waiting to participate. Please conclude.

SHRI KODIKUNNIL SURESH: I will conclude. In the Fifteenth Lok Sabha, all the Members belonging to the Scheduled Castes community together submitted a

memorandum to pass an Act for the protection of SCP Fund. Many States are not implementing the SCP. They are not spending the SCP Fund. Nobody is questioning them. There is no accountability. Therefore, the Members of Parliament belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, cutting across party lines, went to the hon. Prime Minister.

We met the UPA Chairperson at that time when the UPA was in power. We met the then Prime Minister. They have agreed and the Prime Minister had promised us to come up with a legislation but unfortunately the Government period was over. Legislation was not enacted. Hence, I would request the hon. Minister, Shri Thawar Chand Gehlot, a senior Parliamentarian who knows the issues of SCs and STs to ensure that an Act is made for the implementation of SCP funds. Otherwise, SCP funds will not be utilised. There is no accountability when it comes to SCP. Therefore, I am suggesting to the hon. Minister to pass the Bill.

Another important issue is concerning the atrocities against SCs and STs. The Bill concerning this is in Parliament and the same is not passed so far. Hence, I would request the Minister to ensure that the same should be passed immediately.

The other issue is concerning reservation for promotion to SCs people in Government jobs. This Bill has been passed by Rajya Sabha last year but due to various reasons, this Bill was not passed here. I would ask the hon. Minister as to whether the NDA Government is committed to the SCs and STs community. If they are, they have to pass this Bill which gives reservation for promotion to SCs and STs people in Government jobs. If the Government is interested in the welfare of SCs and STs, the Government has to bring the legislation in Lok Sabha. The concerned Bill has already been passed by Rajya Sabha, as I stated earlier. I would urge the hon. Minister to give assurance to the House in this for bringing in a legislation for providing reservation in promotion to SCs and STs in jobs.

Due to paucity of time, I am not going into the details of many issues related to SCs and STs community. But I want to know from the Minister as to

whether he is going to fill up the backlog vacancies. There are thousands of vacancies which are not filled up in PSUs, Government of India and State Governments. There is no special drive to fill up the SCs and STs backlog vacancies. Is the Government ready to conduct special recruitment drive to fill up the vacancies for SCs and STs?

The issues raised by me are very important ones. Hence, I strongly urge the hon. Minister to come forward and take up issues and make an assurance to the hon. House. With these words, I conclude.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 पर बोलने की अनुमित दी है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले भारत-रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को नमन करता हूं। उन्होंने भारत में सोशल जिस्टिस के बारे में जो कुछ त्रुटियां थी, लोगों को सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए जो अहम कार्य किया है, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया है।

बाबासाहेब अम्बेडकर को नमन करके मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। बाबासाहेब अम्बेडकर ने न सिर्फ दिलतों के लिए काम किया है, बिल्क उन्होंने पूरे शोषित वर्ग के लिए किया है। चाहे वे वनवासी लोग हों, पिछड़े लोग हों, मिहलाएं हों या लेबर क्लास हो। बाबासाहेब अम्बेडकर ने शोषित एवं वंचित लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया है। उन्होंने सभी को न्याय दिलाया है, इसी वजह से भारत का लोकतंत्र और भी मजबूत होकर उभरा है। जहां तक अनुसूचित जातियों का सवाल है, अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने का जो सबसे पहला मानदंड है, वह अस्पृश्यता है और यह एक ऐसी चीज है, जिसकी वजह से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन आता है। इसी वजह से अनुसूचित जातियों के वर्गों को आरक्षण दिया जाता है। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र श्री सुरेश जी वोट बैंक की बात कर रहे थे। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि हमें आरक्षण के संबंध में कर्ताई वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे स्मरण आता है कि यूपीए की सरकार के वक्त पर कन्चर्टिड दिलतों को आरक्षण का लाभ दिलानो के लिए प्रोठ रंगनाथ कमीशन का गठन किया गया था। उसका उद्देश्य यह था कि जो लोग कन्वर्टिड दिलत होते हैं, उनको आरक्षण का लाभ दिलाना। मैं स्पष्ट रूप से समझता हूँ कि बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में लिखा है, उन्होंने संविधान में प्रावधान किया है जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी प्रधानमंत्रियों ने अनुमोदन दिया है। अनुसूचित जाति के वर्गों में आने के लिए अस्पृश्यता अहम चीज है, इसीलिए अस्पृश्यता के मानदंड को लिया जाना चाहिए। इसमें कर्तई राजनीति नहीं करनी चाहिए।

जहाँ तक संविधान का प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों का गठन किया जाता है। किसी राज्य और संघ के सम्बन्ध में जो उनकी पहली सूची बनती है, वह सम्बन्धित राज्य के परामर्श से महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश के तहत बनायी जाती है। यह जो बिल संशोधन के लिए लाया गया है, इसकी प्रक्रिया सरकार के द्वारा की गयी है। इस प्रस्ताव को भारत के जो रिजस्ट्रार जनरल ऑफ इन्डिया हैं, आर.जी.आई. हैं, उनके पास इसे भेजा जाता है और उसके बाद यह अनुसूचित

जाति आयोग के पास भेजी जाती है। जब इन सबकी सहमित होती है तो उसे भारत की पार्लियामेंट में लाया जाता है। जब वह पार्लियामेंट में पारित होता है तो उसके बाद उसे राष्ट्रपित जी के पास भेज दिया जाता है। इस संशोधन के अन्तर्गत अनुच्छेद 341 के खंड दो के तहत इसका कार्य किया जाता है।

जहाँ तक संशोधनों का सवाल है, 1956 से लेकर 2007 तक अलग-अलग समय पर संशोधन किये गये हैं। 2007 के बाद यह पहला संशोधन आया है और यह पहला संशोधन देश के पाँच राज्यों से आया है। इन राज्यों में केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा और सिक्कम राज्यों से अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन के लिये यह पार्लियामेंट में आया है। जहाँ तक इस विधेयक का सवाल है, यह विधेयक 15वीं लोक सभा में भी आया था, इसे दाखिल किया था, लेकिन इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास रेफर कर दिया गया था। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस विधेयक को मंजूर किया था चूँकि 15वीं लोक सभा का जब विघटन हुआ, इसकी वजह से दैट बिल हैड बिकम नल एंड वाइड। इसलिए हमारे मंत्री जी इस 16वीं लोक सभा में इस बिल को लेकर आये हैं। इसे पारित करना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य यह है कि इन पाँच राज्यों में अनुसूचित जाति की कितनी ही ऐसी जातियाँ हैं, जहाँ वे उसके पर्यायवाची शब्द से जानी जाती हैं। इसकी वजह से उनका उसमें इंक्लूजन नहीं किया गया है। चूँकि वे अनुसूचित जाति के हैं, मगर उनका इंक्लूजन नहीं किया गया है, उसी वजह से उनको इसका लाभ नहीं मिलता है। आज तक वे इतने सालों से उससे वंचित रहे हैं। सरकार जब यह विधेयक लेकर आयी है तो मैं सभी दल के लोगों से राजनीति से ऊपर उठते हुए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि यह अनुसूचित जाति के कल्याण के मामले हैं, उनको हक दिलाने के मामला है, इसलिए सभी लोगों को पार्टी लेवल से ऊपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए। इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूं। ...(व्यवधान) केरल में विद्यमान प्रविष्ट पल्लुवन जाति है, मगर पल्लुवन के पर्याय के रूप में पुल्लुवन को शामिल किया जाना चाहिए। इसीलिए इसको इस बिल में पुल्लुवन एवं पल्लुवन दोनों को शामिल करने के लिए प्रावधान किया गया है। तण्डान, ईयुवास और तियास को छोड़कर, जिन्हें तत्कालीन कोचीन और मालाबार क्षेत्रों में तण्डान के नाम से जाना जाता है और बढ़ई, जिन्हें तत्कालीन कोचीन और ट्रावनकोर में तच्चन के नाम से जाना जाता है, तण्डान और थावर को इसमें शामिल करने के लिए मैं इसका स्वागत करता हूं।

जहां तक मध्यप्रदेश से सूची आई है - दहाइत, दहायत, दहात। ...(व्यवधान) यह महत्वपूर्ण बिल है।...(व्यवधान) मध्यप्रदेश के दहाइत, दहायत, दहात जातियों के पर्याय के रूप में "दाहिया" को शामिल किया जाना चाहिए। यह मेरी मांग है।

जहां तक उड़ीसा का सवाल है तो उड़ीसा राज्य के नाम में बदलाव किया गया है। पहले उसे उड़ीसा कहा जाता था, अब उसमें परिवर्तन कर ओडिशा करने का प्रावधान है। ...(व्यवधान)

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Respected Deputy Speaker, Sir, *Makkalin Mudhalvar Irukkum disaiyai vanangi*, I rise to speak on the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill brought forward by the hon. Minister. This Bill seeks to include certain communities in the SCs list in the States of Kerala, Madhya Pradesh, Odisha and Tripura and, at the same time, to exclude one community from the existing list in Sikkim.

Those States have proposed modifications and the RGI as also the National Commission for SCs have accepted those modifications and hence, we have this Bill here today for passage.

While I am happy to participate in this discussion, I would like to bring to your notice a long-pending demand from the Dalit Christians living in Tamil Nadu for their inclusion in the list of SCs. In this connection, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu had already written to the hon. Prime Minister of India. The Chief Minister had explained that their exclusion from the list keeps them outside the purview of all the welfare measures of the Central Government. The Dalit Christians are not getting the benefit of reservation in educational institutions that are available for the Scheduled Castes. Due to this, the Dalit Christians are feeling alienated from the mainstream of society.

In this connection, I would like to draw the attention of the Government to the report of the Ranganath Misra Committee which was submitted way back in 2007 which recommended that the Dalit Christians should be given the status of Scheduled Castes. Consequent upon this, the Centre had referred the matter to the National Commission for Minorities for their opinions and views. It also suggested that they should be included. But no action has been taken in this matter so far.

But in 2005, the Union Government stated before the Supreme Court of India that the Centre would take a decision based on the Ranganath Misra

Committee which was reiterated again by the Centre in 2008 before the Supreme Court that it would take an early decision in the matter. But unfortunately, even six years after giving the assurance before the Supreme Court, the Centre is yet to take a decision.

I therefore appeal to the Government to further amend this Order to include Dalit Christians in the list of SCs and bring forth an amendment Bill in this Session itself for which, I am sure, there would be no opposition from any section of the House.

Secondly, I would like to say a word about the Badaga community which is living in the hilly district of Nilgiris, Ooty in my State of Tamil Nadu. This community is not included so far in the list of STs for which there is a demand from the State Government also. In this regard, our Chief Minister had written letters to the Centre and also to the Prime Minister.

Going by the history of our Constitution and also the history of our Dravidian movement which has just now completed the centenary year, we find a connecting link. That connecting link is nothing but upholding the principle of social justice. Our first Constitution amendment was effected only to uphold social justice and this was taken up by the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru at the instance of our founding father E.V.R. Periyar.

It is heartening to note that even after sixty-seven years of our independence the Union Government is still open to the idea of identifying the left out communities and including them in the list of SCs and STs to ensure social upward mobility to the downtrodden section of our society. Today we find this House has taken up the Constitution (Amendment) Bill to include certain communities from the State of Sikkim, Odisha, Tripura and Kerala.

When I mention Kerala I am reminded of Thanthai Periya's Vaikkam agitation to get the rights for the downtrodden to enter temple and worship and also to walk free on the streets of the upper caste people.

Sir, at this juncture, I would like to mention about the plight of certain communities whose population is sparse and widely distributed in many pockets of Tamil Nadu. Because of their number which is found to be very thin, they have not got the benefit of inclusion in the list of SCs and STs.

For instance, the Irula Community and the Konda Reddy Community and a few other nomadic communities have not got full justice as yet. Hence, I would like to suggest that the Centre may entrust this responsibility of identifying the left out marginalised community and bring it to the notice of the Union Government. I urge upon the Union Government to be liberal to extend the benefits of our social justice polices to these people. This prayer of mine may kindly be looked into with all the seriousness that it warrants.

I request the Centre to reconsider its decision so that the Bagada Community is included in the list of STs.

I thank you very much for having given me time to participate in this discussion.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Thank you, hon. Deputy Speaker, Sir, for giving me an opportunity to speak in this temple of democracy on the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014.

Let us assume that we are observing a horse race. There is an injured horse alongside a sturdy, healthy stallion. Do you think, it will just to let them start the race from the same mark? Similarly, I believe that expecting a community that has been constant disadvantaged and incapable of competing and surviving among those without any such impediments whatsoever is nothing but encouraging an unjust race to be played out. I just took the example which is actually the explanation given by an eminent sociologist Andre Beteille on caste inequalities in India. The Bill seeks to include certain synonymous communities in respect of entries in the list of Scheduled Castes for the State of Kerala, Madhya Pradesh, Odisha, Tripura and exclude entries in respect of Sikkim. It appears in the Bill that due to non-availability of caste-wise data, a precise estimate of expenditure which would have to be incurred is not possible.

So, I would like to request the hon. Minister through you that the Government should conduct a caste-wise survey in order to determine such expenditure that might be incurred.

I would like to bring to the notice of the House that our Chief Minister Mamta Banerjee has introduced a unique scheme called Shikhashree to encourage the students of SCs, STs and backward classes towards education as well as for their social and economic upliftment. Our Government has already issued 9.5 lakh caste certificates. An online procedure has already been introduced to expedite the process.

It is evident that with inclusion of more castes under the Scheduled Caste category, the Government will require more funds to make sure that every such member is enabled to access all opportunities and benefits. So, I would like to make a request to the hon. Minister, through you, Sir, that the Government may

consider it beneficial to revise the fund allocation towards the welfare of the Scheduled Castes community.

I, on behalf of my Party, would like to extend our support wholeheartedly to the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Order Bill, 2014.

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, today I am participating in the discussion on the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Order Bill, 2014.

In view of amendment as well as enactment of the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014, I would like to express my views that the objective of the Bill is to insert certain castes in the list of Scheduled Castes in respect of Kerala, Madhya Pradesh, Odisha and Tripura because of the recommendations of the respective State Governments and to omit a caste from the list of Scheduled Castes in respect of Sikkim. In this regard, it is stated that providing scheduled castes status to these castes would definitely make the downtrodden communities to come to the mainstream society and also help them to compete with the upper caste people either in government services, educational institutions and overall in every field of economy.

However, I would like to thank the Government of Odisha that it has recommended for inclusion of certain castes namely Amant, Amat, Dandachhatra Majhi, Amata, Amath, Bedia, Bejia, Bajia, Jaggali, Jaggili, Jagli, Pan, Pano, Buna Pana, Desua Pana and Buna Pano in the list of Scduled Castes. These castes of the state live a miserable life. By extending the status of Scheduled Caste category would immensely help them to come to the mainstream society. I am in favour of the Bill and whole heartedly support its passing and enactment.

PROF. A.S.R. NAIK (MAHABUBABAD): Esteemed Deputy-Speaker, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on a very important Bill, the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014.

I, on behalf of my Party, Telangan Rashtra Samithi, rise to support this Bill. The inclusion of certain castes in the list of Scheduled Castes have been suggested by some State Governments mainly Kerala, Madhya Pradesh, Tripura. Odisha and the omission of a caste in the list of Scheduled Castes has been suggested by Sikkim.

The Registrar General of India and the National Commission for Scheduled Castes have conveyed their concurrence to the proposed modifications.

I would request the hon. Minister to clarify my doubts. When the Government is including some of the castes in the list of the Scheduled Castes, I would like to know whether they are going to enhance the reservation ratio. In most of the States when they are including the castes and they are already having some statutory privileges as per their population in other communities, immediately there will be a problem in the variation of the ratio.

Already, the Scheduled Caste community is having a specific percentage of 13 or 14 or 15 in those States. But by including these communities, the percentage is not going to increase. So, it is another problem. By including or excluding the communities from the list, nothing will happen. Successive Governments are not taking any care. On the basis of the population, they have to increase the budget. In the recent Budget, we have seen sufficient budget was not allocated to the SC/ST communities for their overall development.

I have one more question on which I wish to get clarification. Is there any proposal to increase the percentage of reservation for Scheduled Castes by inclusion of these communities? I feel that there may be proportionate reduction of reservation in the original reservation and increase in the present reservation may

equate the general principle of limiting reservation percentage up to 50. In most of the States, they stick on to maintain only 50 per cent reservation. But as per the Supreme Court verdict, that is, *obiter dicta*, which is a word used by the Supreme Court in the case of implementation of reservation that in some cases, the State can, on the basis of the social status of some castes, exceed the limit above 50 per cent reservation. Otherwise, there is no meaning in including the communities in the existing list.

In our newly born Telangana State, our hon. Chief Minister has taken a unique programme and now it is being implemented in our State. What our CM did is, he is constituting a special Gram Panchayat for tribals with a population of 500. Kalyan Lakshmi is a prgramme for the SCs. He is distributing lands for the landless SCs up to three acres. Then only, whatever the Government is expecting, we will reach that goal.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Hon. Deputy-Speaker, Sir, first of all I would like to support the Bill, the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014.

While supporting this, I would like to suggest some things to be included. Our hon. Minister should look after them. The communities of Dhoba, Shabdakar and Baidyakar in the case of Tripura are enlisted as SCs. I would like to draw the attention of our hon. Minister, through you, Sir, that Dhoba, Shabdakar and Baidyakar communities are already enlisted in the SCs list in our State in Tripura but they are not getting the unskilled occupation stipend. So, it is our earnest request, through you, Sir, that our hon. Minister should look into this matter.

Once the Bill has become an Act, it is required to ensure that all the new categories of communities should get the benefits of what people were getting earlier. They should get the benefits immediately.

Again I have some suggestions. There are so many loopholes in the SCs Atrocities Prevention Act. I strongly demand that the Government should take

necessary steps to remove them. There should be reservation in the Government sector as well as in the private sector and for this I hope that our hon. Minister would look into this matter. In case of recruitment and promotion, there should be uniformity in the law throughout our country.

Another suggestion is that there has been a constant demand for increasing the stipend for students as well as the yearly limit of family income of people belonging to Scheduled Castes. At present, it is Rs.2,50,000/-. My demand is that it should be increased upto Rs.5,00,000/-.

Then, it is necessary that there should be a change in our understanding. In some cases, according to National Human Rights Commission, every year in our country 22,337 people die at the time of clearing the waste of the people. Within them, 22 people die inside the drains everyday and most of them are from Scheduled Castes.

In a book called *Karamyoga*, I found one article. I would like to draw the attention of the House through you to what the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi said in it. He said that it is the direction of the God. The God has ordered them to do the work what the Harijans and Scheduled Castes people are doing now. It is not true. I think this type of thinking should not be there in the blood of NDA Government led by the BJP. If we want to sincerely uplift the Scheduled Castes communities, we should look after the matter properly.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): I thank the Chair wholeheartedly on behalf of my leader, Mr. Jagan Mohan Ready and my Floor leader, Shri Raja Mohan Reddy.

The earlier speakers have discussed this matter in-depth. I just want to give a few points, which were not covered earlier. I would like to say that our party is extremely happy to support the Bill wholeheartedly. But, whenever the new communities and castes are added, I request the Government of India to increase the percentage of reservation proportionately. Of late, after the OBCs have come to the picture with 27 per cent reservation and the Supreme Court has put a cap on maximum percentage of reservation as 50 per cent, it has become difficult to increase it. Therefore, the Government of India should consider not including of more numbers in it in future.

I have nothing personal against any particular State, I am talking on behalf of the community here. For example, Kerala is a 100 per cent literate State. It is being included in the Scheduled Castes list here. If it is done, the more backward States like Odisha and Bihar will drastically get their percentage reduced. Therefore, I request the Government that whenever it is included they should also consider it from this angle.

I would like to give one classic example with regard to the Scheduled Tribes. In the State of Rajasthan, one community in Scheduled Tribes is taking away nearly 50 per cent reservations of STs. Therefore, I repeatedly request you to consider it. Similarly, the Central allocation should be increased proportionately.

At this juncture, I would like to mention, since the hon. Minister is here, the Prevention of Atrocities (Amendment) Bill, 2014, which was supposed to be introduced in the month of July, has been referred to the Standing Committee without any discussion on it. Since there is going to be raised some very important issues like providing exclusive special courts and punishment for officers for negligence, new category of actions should be included in it. On behalf of my

party, I request the Government to re-introduce the Bill once again and quickly pass that. The reason is that in the name of honour killings, the social gap between the SCs and the non-SCs is increasing year after year.

There is a wide gap between the number of cases registered and the number of cases where conviction happened as well. I will just give one or two examples for the benefit of my colleagues here. In Andhra Pradesh, 3,048 cases were registered in 2012 while only in 175 cases conviction happened, which is not even five per cent. Similarly, in 2013, as against 3,264 cases registered, conviction has taken place only in 138 cases. In Bihar also, 4,800 cases were registered in 2012 and 6,700 cases were registered in 2013 while the number of cases in which conviction took place is only 221 in 2012 and 204 in 2013. So, unless the Act, which is supposed to be introduced, is made very stringent, I do not think that the gap between the SCs and the non-SCs will ever be filled up.

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पिछली लोक सभा में भी हमने आपके सामने यह विषय रखा था कि उत्तर प्रदेश में 17 जातियां ऐसी हैं, जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ गयी हैं। यहां तक कि उनके पास छप्पर वाले घर-मकान भी नहीं हैं। ये सारी 17 जातियां मजदूरी करती हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा में सर्वसम्मित से दो बार प्रस्ताव पास हुए और यहां केन्द्र सरकार तक आए। उस समय कमलनाथ जी संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था कि हम इस पर स्वीकृति ले लेंगे, इसे कैंबिनेट में ले जाएंगे और इसे पास कर देंगे। लेकिन फिर लोक सभा का चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गयी और वह काम नहीं हो सका। आज पुनः आपके सामने मैं अनुरोध कर रहा हूं और पूरे सदन से प्रार्थना कर रहा हूं कि ये जातियां बहुत पिछड़ी हैं, बहुत गरीब हैं और गरीब होती चली जा रही हैं, उनके पास खेती भी नहीं है, इसलिए इन जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया जाए जिससे उनको सारी सुविधाएं प्राप्त हों। ये जातियां कहार, कश्यप, केवट, मल्हा, निषाद, कुम्हार, प्रजापित, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तूरा, गोंडिया, माझी, मछुआ आदि हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इनमें से कुछ जातियों को अन्य सूबों में अनुसूचित जाति की सुविधा प्राप्त है। मध्य प्रदेश में प्रजापित जाति को अनुसूचित जाित मान लिया गया है और उनको उसकी सारी सुविधाएं वहां प्राप्त हो रही हैं। इसलिए मैं सदन से, सभी नेताओं से एवं सभी सांसद सािथयों से प्रार्थना करता हूं कि सर्वसम्मित से इसको पास कर दीिजए और सरकार से किहए। प्रधान मंत्री जी से मिल लेंगे। यहां संसदीय कार्य मंत्री जी अभी नहीं हैं। जब कमलनाथ जी थे, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था। मेरा निवेदन है कि ये 17 जाितयां हर तरह से परेशान हैं, इनको मजदूरी भी नहीं मिलती है, घर-मकान, पढ़ाई-शिक्षा, नौकरी-रोजगार कुछ भी नहीं है। इसलिए इनको अनुसूचित जाितयों में शािमल कर दिया जाए, जिससे उनको अनुसूचित जाित की सुविधा मिले।

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR): I thank you, Hon'ble Deputy Speaker Sir, for giving me the opportunity to speak on an important bill "The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill. I wholeheartedly support this bill. I also want to congratulate the Government for brining such a bill.

Sir, this bill will go a long way in providing social justice to those hapless and poor Scheduled Caste communities which could not avail the benefits of reservations earlier. We do hope that with the passing of this bill, our just and genuine rights will be granted to us. So, I thank the Government for bringing such a bill in this august House.

Hon'ble Deputy Speaker Sir, there are many such communities in Punjab too, which have been granted the status of Scheduled Caste in other states. In Punjab, some of them have got the BC status. So, there should be uniformity in granting SC status to castes across all states.

Sir, some amendments need to be made in this bill. It will make this bill more effective. Sir, the Rai Sikh community lives not only in Punjab but also in Haryana, Gujarat, Rajasthan, U.P., Uttarakhand, Delhi etc. In 2007, the Rai Sikh community was given the status of SC but in other states, they have not been given the SC status. Their condition in all these states is as dismal as their counterparts in Punjab. Many of them had migrated originally from Punjab to earn their livelihood elsewhere.

So, I urge upon the Government to grant SC status to Rai Sikh Community in all these states. It will go a long way in ameliorating the condition of this community. Secondly, in Haryana, an ethnographic study was conducted. Its report is available with the centre. The centre should act upon it.

Sir, in Rajasthan and other states, the ethnographic study has not yet been conducted. I request the Government that such a study should be conducted in all states and SC status should be given to Rai Sikh Community everywhere.

-

^{*} English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

Sir, there are some castes that have been given SC status in Rajasthan. However, they are included in BC category in Punjab. Such castes should also be granted SC status.

In the end, let me thank the Central Government for this progressive bill. People have reposed their faith in Shri Modi and this Government is doing its utmost to live upto the expectations of people.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जो चिंता थी कि यह जो दलित एक्ट है, यह वोट का आधार बनकर ही न रह जाए। उसकी चिंता आज 67 साल के बाद भी है। हमेशा से देखा गया है कि जो दलित लोग हैं, जो कमजोर हैं उन्हें यह बताया गया है कि तुम भगवान के भरोसे हो, तुम हिर के लोग हो, तुम कर्मयोगी नहीं बन सकते हो। शिक्षित और आत्म-निर्भर बनना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए मैंने यह बात कही क्योंकि जितना अतिरिक्त पैसा अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया और यूपीए सरकार द्वारा जिस तरीके से मनरेगा को लाया गया, उससे लगा कि पैसा दिया तो गया जीने के लिए, लेकिन खैरात कब तक और कब तक इस तरह से अनुसूचित जनजाति को जिंदा रखेंगे। ये मिड-डे मील आदि से कब तक इन्हें जिंदा रखेंगे? कब तक आख्शण के नाम पर जो बिचौलियों और दलालों द्वारा पैसे लूटे गये हैं वह कब तक चलेगा? जो पैसा केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के नाम पर दिया गया है उसी की लूट सबसे ज्यादा गांव में होती है। चाहे इंदिरा आवास के नाम पर हो या किसी और नाम पर हो, सबसे ज्यादा लूट होती है।

आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बातें कही हैं मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा कि निषाद, केवट, प्रजापित, कुम्हार की स्थिति और बिहार में जो अल्पसंख्यक है उनमें शेरशाहवादी मुसलमान हैं, सुरजापुरी मुसलमान हैं, कुलैया मुसलमान हैं, ये दिलतों से भी बदतर स्थिति में हैं।

15.00hrs

अनुसूचित जाति और दिलतों से भी ज्यादा इनकी सामाजिक स्थिति बदतर है। क्या आप अल्पसंख्यकों में से सुरजापुरी, कुल्हैया और शेरसाहवादी मुसलमानों को लेंगे? निषाद समाज बिहार में सबसे कमज़ोर है, उसकी स्थिति क्या होगी?

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आज़ादी के 67 साल बाद भी अल्पसंख्यकों को समानता, न्याय और बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा है। क्या मंत्री जी इसके लिए कोई कठोर नियम और कानून लाएंगे तािक उनको सम्मान और न्याय मिल सके। आज भी देश में गरीब कुपोषण के शिकार हैं और अस्पतालों के चक्कर सबसे ज्यादा ग़रीब लगाते हैं। न्यायालयों और जेलों में सबसे अधिक ग़रीब हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या मंत्री महोदय इस पर कार्रवाई करेंगे?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I rise to support the Bill. Under article 341 of the Constitution some castes are being included as dalits in Kerala, Madhya Pradesh, Odisha and Tripura. In our Constitution we have Fundamental Rights which are inviolable. Supreme Court has said that they form the basic structure of our Constitution and no one can touch them. We have article 14 which talks about equality before law; article 15 talks about prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place or work.

What we have here is that whenever a rightful demand is made for reservation to be given to Muslims it is stopped by saying that on the basis of religion reservation cannot be given, the Constitution does not allow it. For a while I accept this argument. I would like to know then how is it that this 1950 Presidential Order under article 341 says that a Dalit can only be a Hindu, Sikh, and a Buddhist? Is this not based on religion? And it contravenes the basic Fundamental Rights under articles 14, 15 and 21 of our Constitution. So, the 1950 Presidential Order is a communal order.

What I am saying is either right or wrong. My question to the Government is, will they correct it if it is wrong? A rightful demand was made by the then Tamil Nadu Chief Minister who had passed a resolution asking the Government of India to include dalit Christians and dalit Muslims as dalits because the 1950 Presidential Order says that only a Hindu, a Sikh and a Buddhist can be called a dalit. Is this not a communal order?

Secondly, Mr. Ranganath Misra was a retired Chief Justice of the Supreme Court. A retired Chief Justice of Supreme Court says, a Committee recommends that Government is always in a continuous form, power is not eternal, parties come and go, what will this Government do? Will they file an affidavit in the Supreme Court? For the last eight years no Union Government is willing to file a reply.

My last point is, what is happening with regard to atrocities on dalits? Just now my friend from YSR Congress has quoted figures. In Ahmednagar District of Maharashtra three dalit families were butchered, their bodies were dismembered and thrown in the fields. One month has nearly passed and not a single accused has been arrested. I have gone to that place. The Chief Minister of the State is from the ruling party at the Centre. Would the Union Government of the day please speak to its Chief Minister in Maharashtra and ensure that those culprits are caught immediately?

Lastly, will the Union Government file a reply in Supreme Court, at least file a reply that they have no opinion on the 1950 Presidential Order, that they have no opinion on Dalit Christians and Dalit Muslims? The question is not about reservation. I can live without reservation, but I cannot live with discrimination.

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 लेकर आयी है। यह स्वागत योग्य क़दम है और मैं अपनी पार्टी की ओर से इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, सरकार केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों में अत्यंत ग़रीब, कमज़ोर जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए यह विधेयक लायी है। देश के अन्य राज्यों में भी अत्यंत ग़रीब और कमज़ोर वर्ग की जातियां हैं, जो अभी अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं लायी गयी हैं। उन्हें भी अनुसूचित जाति की श्रेणी में लाने की दिशा में पहल करनी चाहिए।

महोदय, हमारे बिहार राज्य में भी जो हमारा पूर्णिया सींमांचल का इलाका है, वहां पर घांगर, बोसाक, सिरसावादी मुस्लिम, नोनिया और ताती अत्यंत पिछड़ी जातियों की श्रेणी में हैं। ये जातियां आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ी हैं। इन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए सरकार पहल करे।

मेरी सरकार से मांग है कि बिहार राज्य में धांगर, बोसाक, नोनिया, ताती और सिरसावादी मुस्लिम जातियों को अनूसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया जाए, ताकि ये भी एक समान सुविधाओं के लाभ के हकदार हो सकें और विकास की धारा में इन्हें भी आगे बढ़ाया जाए।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for allowing me to participate in the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2014. As has already been articulated by the hon. Members who spoke before me, the State Governments of Kerala, Madhya Pradesh, Odisha, Tripura and Sikkim have proposed these modifications in the list of Scheduled Castes by way of inclusion and in the case of Sikkim to omit one. In the case of Sikkim, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 is to be amended. We support this amendment and the *Majhi* community, which is a very small community would like to be excluded, but to be included in the list of OBCs. This is what they want and the Government of Sikkim has recommended this particular case and we support this order.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय 14 सांसदों ने चर्चा में भाग लिया और मुझे खुशी है कि सबने इस विधेयक को समर्थन देते हुए इसे पारित करने की इच्छा ज़ाहिर की है। मैं उन सबके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कई सुझाव दिये हैं। अगर मैं एक एक सुझाव के बारे में जवाब दूंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। ये जातियों को अनूसूचित जाति में जोड़ना, घटाना या पर्यायवाची शब्दों को उसमें उल्लेखित करना ये एक निरंतर प्रक्रिया है और जब भी राज्य सरकार के माध्यम से कोई सुझाव आता है या कोई प्रस्ताव आता है तो आरजेआई और संबंधित आयोग अर्थात अनुसूचित जाति आयोग के कमेंट्स उस पर आते हैं। यदि एक बार कोई उनकी प्रतिकूल टिप्पणी आती है तो फिर राज्य सरकारों से भी फिर से पूछा जाता है। हमने इन सब प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आज जो विधेयक प्रस्तुत किया है, वह सदन के सामने है।

इसके साथ ही साथ एक और इसी आशय का बिल हमने संविधान अनूसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक, 2014 राज्य सभा में प्रस्तुत किया है, जो स्टैंडिंग कमेटी के पास विचाराधीन है। जब वह आएगा तो उसके कारण से हम 5-6 राज्यों में और संशोधन करने जा रहे हैं। उन राज्यों के नाम हैं-हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा। उड़ीसा में और कुछ जातियां हैं, इसी तरह से उत्तराखंड में भी है और दादरा और नगर हवेली में भी है। कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा,...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़): उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में वहां पर मैंने लागू कर दिया था और उसके कारण लोगों को नौकरी वगैरह सब मिलनी शुरु हो गई थी लेकिन एक ऐसी सरकार आई जिसने नष्ट कर दिया और केन्द्र सरकार उस समय देखती रह गई। हमने तो वहां पर लागू कर दिया था।...(व्यवधान) लेकिन केन्द्र सरकार के रवैये के कारण सब कुछ नष्ट हो गया है।

श्री थावरचंद गहलोत: उत्तर प्रदेश से कुछ जातियों के जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उल्लेख किया, उनके प्रस्ताव आए थे। प्रस्ताव पर भारत सरकार के रिजस्ट्रार जनरल ने और अनुसूचित जाति आयोग ने विचार-विमर्श किया। रिजस्ट्रार जनरल ने उत्तर प्रदेश की सरकार से कुछ जानकारी मांगी थी, वह जानकारी अभी अपेक्षित है और एकाध विषय में जैसे नाम शूद्र है, उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रस्ताव वापस ले लिया। इसकी सूचना भी हमारे पास आई है।

श्री मुलायम सिंह यादव: वह दूसरी सरकार थी, वह विरोधी सरकार थी, वह इसके विरोध में थी। HON. DEPUTY SPEAKER: Let the Minister complete his reply.

श्री थावर चंद गहलोत: महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि कौन सी सरकार थी, कौन मुख्य मंत्री थे, इस चर्चा में मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें अनुसूचित जाति आयोग और रिजस्ट्रार जनरल ने कुछ जानकारी मांगी थी, वह जानकारी भेजने की बजाय प्रस्ताव ही विदड़ा कर लिया गया। उसमें एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश का भी था। मैं यहां उस दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं कि उस सरकार ने प्रस्ताव भेजा और फिर जब हमने जानकारी मांगी तो जानकारी नहीं दी। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। ... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, you address the Chair.

श्री थावर चंद गहलोत: क्या मैं एक साथ सबका जवाब दुंगा? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उस संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत यह संभव नहीं है। फिर भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। वर्तमान में जो संवैधानिक प्रावधान हैं, उनमें यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू, सिख या बौध धर्म से भिन्न धर्म को अपनाता है, को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता ... (व्यवधान) और इस विषय पर इस कारण से संवैधानिक प्रावधान में नहीं होने के कारण हम यह नहीं कर पायेंगे, फिर भी इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: You address the Chair.

श्री थावर चंद गहलोत: मैं जो बात कह रहा हूं, वह संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ही कह रहा हूं और ...(व्यवधान) मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा कुछ कहूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये जो संशोधन हमने प्रस्तुत किये हैं, मैं इन्हें स्वीकृति प्रदान करवाने के लिए निवेदन करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and theLong Title were added to the Bill.

HON.DEPUTY-SPEAKER: The Minister may move that the Bill be passed.

श्री थावर चंद गहलोत: सभापति जी, मैं विधेयक पास करने के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.16 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193 Need to expedite process of bringing back black money stashed abroad

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion under Rule 193 regarding need to expedite process of bringing black money stashed abroad.

Shri Mulayam Singh Yadav.

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए में आपका धन्यवाद करता हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है। पिछले चुनाव में प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश में घूम-घूमकर चुनाव प्रचार के दौरान काला धन वापस लाने का नारा दिया था। जनता ने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया। ...(व्यवधान) आपके प्रचार के दौरान देश की जनता ने विश्वास किया। उसी का परिणाम है कि आपकी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। आपने काला धन वापस लाने का जो नारा दिया था। जनता ने आप पर भरोसा किया और आपको सत्ता भी सौंप दी।

15.16 ½ hrs (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

सभापित महोदय, सरकार बनने के बाद आज तक सरकार ने, मोदी जी ने इसमें कोई भी प्रभावी कार्य नहीं किया गया, न सरकार ने अभी तक कोई विचार किया है, न अभी सदन को या देश को कुछ बताया है, जो आपने चुनाव के वक्त कहा था। कांग्रेस सरकार ने स्विज़रलैण्ड से एक समझौता किया था। काले धन की जानकारी प्रदान करने के लिए उस समझौते पर छह महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब तक ज्यादा से ज्यादा काला धन बैंको से निकाल लिया गया। अभी भी आपकी सरकार ने बयान दिए। प्रधान मंत्री जी ने बयान दे दिए और सरकार की तरफ से बयान दिए गए। इस बीच में काफी रूपया बड़ी तादात में बैंको से निकाल लिया गया। क्या इस सरकार ने जानने की कोशिश की है कि यह जो रूपया निकाला गया, वह कहां गया? इस धन को निकालने वाले कौन-कौन थे? संसदीय कार्य मंत्री जी क्या आपके पास सूची है? क्या आपके पास जानकारी है? वह जानकारी सदन को जरूर चाहिए कि किन-किन लोगों ने रूपया निकाला और कितना रूपया निकाला? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जो सूची दी गई है, क्या वह संपूर्ण है? यदि सूची पूरी नहीं है तो कब तक पूरी सूची प्रकाश में आएगी? सरकार की तरफ से इस पर जवाब आना चाहिए। क्या इस बात का आंकलन किया गया है कि दुनिया भर में भारतीयों का कितना धन कहां-कहां गया है और किसका है?

जबिक पिछली कांग्रेस सरकार ने थोड़ा-बहुत कुछ बता दिया था कि इतना रूपया विदेश में है और इतना काला धन है। नाम बताने पर उन्होंने भी चुप्पी साध ली थी। सदन में उस समय भी बहुत जोर दिया गया। क्या सरकार सदन को समय-सीमा बताएगी कि विदेशों में हिंदुस्तान का जो काला धन है, वह कितना है और किस-किस व्यक्ति का है? अब तक आपने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं? इस बात की चर्चा लगातार पूरे देश में हो रही है, सदन में हो रही है और कहीं-कहीं विधान सभाओं में भी यह मुद्दा उठा है। अभी तक इस पर कहां तक कार्रवाई हुई है और कितना पैसा है, यह सदन को बताया जाना चाहिए? इस काले धन को कब तक वापस लाने का आपका इरादा है? इसकी भी आपको समय सीमा बतानी चाहिए।

बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि 120 लाख करोड़ रूपये का काला धन है। यह दावा बीजेपी के नेता का है। सीपीएम नेता सीताराम येच्री का कहना है कि दस लाख करोड़ रूपये का काला धन है। आपके सबसे ज्यादा समर्थक, इस सरकार के बगल में साधु, सन्यासी होकर भी, जो बाबा रामदेव हैं, वे काला धन वापस लाने की मुहिम चला रहे हैं। वे बिल्कुल सरकार के करीबी माने जा रहे हैं। बाबा रामदेव का दावा है कि देश का 400 लाख करोड़ रूपया काले धन के तौर पर विदेशों में जमा है। अब आप सोचिए कि यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, सिंचाई के पूरे साधन नहीं हैं, बिजली हम दे नहीं पा रहे हैं। जितनी लागत इन विकास के कामों में आयेगी, उससे कई गुना ज्यादा पैसा विदेशों में काले धन के रूप में जमा है। आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। रोजाना समाचार-पत्रों में लिखा जा रहा है और हर तरह के मीडिया में यह आ चुका है और यह चर्चा का विषय है। यह विषय गाँव-गाँव तक पहुँचा है और पहुँचेगा। इस देश का कितना काला धन विदेशों में जमा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और यह जानकारी आपको है। इसका सही-सही अनुमान किसी सरकार या साथी ने नहीं दिया है। लगभग 80 लाख करोड़ रूपये का काला धन विदेशी बैंकों में जमा है। वर्ष 1951 के बाद से हर साल करीब 10 फीसदी काला धन बढ़ जाता है। देश की कुल जी.डी.पी. का 50 फीसदी काला धन समानान्तर अर्थव्यवस्था चला रहा है। देश की यह हालत है कि यहाँ एक सामानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही है। काले धन की जाँच की माँग कई बार उठी है, यह माँग संसद में भी उठायी गयी है। सरकार ने आश्वासन दिये, लेकिन कुछ ठोस काम और कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए यूपीए सरकार भी जिम्मेदार है। सूप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करने के लिए कहा था। उसे सरकार ने गठित किया. यह अच्छी बात है।

चुनाव के दौरान हर सभा में प्रधानमंत्री जी ने, मोदी साहब ने कहा था कि हम सौ दिन में ही सारा का सारा काला धन विदेशों से वापस ले आयेंगे। अब तो छह महीने हो गये हैं। अब तो और ज्यादा समय होता जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि विदेशों में जमा काले धन की पाई-पाई हम वापस लायेंगे और हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रूपया जमा करा देंगे।

आपके प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कहा था कि विदेशों में जितना भी काला धन जमा है, पाई-पाई पैसा हम वापस लेकर आयेंगे और 15-15 लाख रूपया हर परिवार को बाँटेंगे, हर परिवार को दे देंगे। इसका क्या मतलब है? इस आश्वासन पर देश की जनता ने खूब सोचा कि 15-15 लाख रूपया मिलेगा और सारे वोट इन्हें दे दिये। जो वोट कभी हमारे खराब नहीं जा सकते थे, 15 लाख रूपये के लालच में वे भी चले गये। नौजवानों के वोट इसलिए चले गये कि हमें रोजगार, नौकरी की गारन्टी मिल गयी। ऐसे नारे देकर, असत्य बोलकर आपने सरकार बना ली है, यह बात तो ठीक है, लेकिन आप यह समझिये कि ऐसी सरकारों की उम्र ज्यादा नहीं होती है। आप सरकार चलाते जाइये, क्योंकि, आपके पास बहुमत है, लेकिन आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं? आप जनता से किया हुआ वायदा पूरा कीजिए। अगर आप वायदा पूरा कर देंगे तो हो सकता है कि जनता आप पर दोबारा विचार कर ले, वरना हमेशा के लिए साफ कर देगी। हम और सांसदों को बता रहे हैं, ये तो बैठ गये हैं, मिनिस्टर बन गये हैं, इनका क्या जाता है, इन्होंने तो अपना सम्मान कर लिया है और जो भी करना होगा, वह कर लेंगे। आप साधु-सन्यासी लोग क्या करोगे? आप बताइये कि क्या करोगे? हम आपसे यह पूछना चाहते हैं। ये तो मंत्री बन गये हैं। आपने यह आश्वासन देश की जनता को दिया था। आपको देश की जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया है। यह पूरा का पूरा असत्य का पुलिन्दा है, आपने देश की जनता से असत्य बोला है। अब तो छह महीने हो गये हैं, आपने तो 100 दिन की बात कही थी। आपने ऐसा आश्वासन क्यों दिया और 100 दिन का वादा क्यों किया? आश्वासन दिया और सौ दिन का वायदा किया। महत्वपूर्ण भूमिका आपकी भी तो है। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप पहले से हैं। हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं और हमें आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारी बातों पर हम एक रहे और कई मामलों में साथ रहे। आप जो कह देते हैं, वह करते भी हैं। हमें विश्वास है और यह सच है लेकिन प्रधान मंत्री को यह जवाब देना पड़ेगा कि अदालत को ही नहीं, संसद को भी आपको बताना पड़ेगा कि कितने काले धन की वापसी हो गई है या कब होगी? अमेरिका ने विदेशी बैंकों में जमा काला धन वसूलने के लिए क्या किया था, क्या आप नहीं कर सकते हैं? अमेरिका ने सारा काला धन बाहर निकाला और वह सरकार के पास आ गया। यदि आपको पता नहीं है तो पता लगाइए कि अमेरिका ने क्या किया था। जब अमेरिका निकाल सकता है तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? इस काले धन के कारण ही महंगाई है, इसी से भ्रष्टाचार है, इसी से अमीरी-गरीबी के बीच की खाई बढ़ी है। इसी से हमारे बच्चे पढ़ाई-लिखाई में, गरीब लड़के अच्छे स्कूलों में नहीं जा सकते। आज तो कई तरह के स्कूल हो गए हैं। एक ऐसे स्कूल हो गए हैं कि जिनमें बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते हैं, मिनिस्टरों के हैं और कुछ एम.पीज़ के बच्चे भी किसी तरह पहुँच जाते हैं लेकिन गरीब लड़के कहाँ अच्छे कालेजों या अच्छे स्कूलों में पहुँच पा रहे हैं? नहीं पहुँच पा रहे हैं। यह सब उसी पैसे से हो सकता है।

पिछली यूपीए की सरकार और वर्तमान सरकार दोनों को पता था कि जिन लोगों का काला धन जमा है, उन लोगों ने पैसे निकाल लिये हैं। आपकी सरकार को भी पता था कि पैसा किन्होंने निकाला और पहले की सरकार को भी पता था कि पैसा किन्होंने निकाला। ... (व्यवधान) मैं दोनों सरकारों की बात कह रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार को भी पता है और इस बीजेपी की सरकार को भी पता है कि काला धन किसका है, कितना किसने निकाला है। इनको पता है और उन्हें इस सदन को बताना चाहिए। अगर इन्होंने गलती की तो क्या आप भी गलती करेंगे? अगर उन्होंने गलती की तो आप वहाँ पहुँच गए और आप गलती करेंगे तो आप विश्वास रखिए, हमने बड़े-बड़े बहुमत देखे हैं, आप यहाँ आ जाएँगे। ऐसा नहीं है, जनता सब समझती है, आपको यहाँ से वहाँ पहुँचाया। आप गलती कर रहे हैं लेकिन यदि मेरी बात मान जाएँगे तो बने रहेंगे। हमें कोई आपित नहीं है, हमें तो देश की जनता का ख्याल है।

एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल 14 हजार करोड़ रुपये इन बैंकों में जमा हैं। आपको तो पता ही है। मुझे पता है कि आपको पता है। टैक्स चोरी का कम से कम जितना काला धन देश में छिपा है, उसको सरकार कब तक निकालेगी, यह बताना चाहिए। हवाला के माध्यम से जिन देशों में कारोबार हो रहा है, कृपा करके उन पर सरकार कब तक रोक लगाएगी? यह करने में आपको क्या दिक्कत है? एक बार ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त खड़ा था। उसके सामने हवाला से रुपया जा रहा था। कितना रुपया जा रहा था, यह पता है लेकिन यह नहीं पता कि कहाँ जा रहा है। बाद में धीरे-धीरे वह पीछे रख गया। शायद उसको पता हो गया हो। इस तरह हवाला में यहाँ से पैसा जा रहा है। इस हवाला को बंद कर दीजिए। इसको तो आप कर सकते हैं। इससे सरकार को क्या है? यह जो जनता से लूटकर पैसा बाहर जा रहा है, इसे बंद कीजिए। राजनीति और मनोरंजन की दुनिया काले धन का इस्तेमाल पूरी तरह से कर रही है, यह किसी से छिपा नहीं है। सरकार को बताना पड़ेगा कि इस पर पूरी तरह से कितने दिनों में रोक लग जाएगी, मैं यह जानना चाहता हूँ। आप छोड़िये कि इस पर रोक कब तक लगेगी। काले धन का जितना पता आप लगा सकते हैं और जिसका आपको पता है, वह कब तक वापस लाओगे? जिनका काला धन है, इनके नाम सदन के अंदर जारी करने चाहिए। आपको नाम मिल जाएगा। हम लोग जनता में बोलेंगे कि इनका पैसा विदेश में है तो वह सब निकालेगा और अपने देश में आ जाएगा। इनमें से क्या आप करेंगे, इसका उत्तर ज़रूर सदन को देना चाहिए। देश की जनता जानती है और सबको पता है कि हमारा पैसा, काला धन विदेशों में जा रहा है और मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पूरी दौलत इकट्ठी हो रही है।

महोदय, मंत्री जी जिम्मेदार हैं, समझदार है, जानकार हैं और कभी-कभी हमारे सवालों का उत्तर भी दे देते हैं। कृपया आप आश्वासन दीजिए कि काला धन कब तक देश में वापिस ला रहे हैं।

SHRI P. SRINIVASA REDDY (KHAMMAM): Respected Sir, at the outset, I would like to say that the issue of black money is being discussed in this august House for years together.

First of all, we have to see the difference between black money prevalent in India and the money sent out of India. It is the tax-evaded money and the Indian money outside India is not only tax-evaded money but also money which has been taken out of India's capital resources which needed for the development of India. So, it is not only tax evasion but treason too.

I appreciate the effort, which is being made by the present Government under the leadership of our bold Prime Minister Shri Narendra Modi ji about black money stashed abroad and how it needs to be brought back. Today, no political party can say that black money is not an issue; it has become a national issue. Who drives it, who is more sincere, who has more commitment is a different issue.

Recovering black money is a very strategic issue as the Indian Government has to make alliances with many countries for which we took no efforts at all so far. This Government can take these efforts because it has high level of influence with most of the countries. The credibility of this Government is high.

The Global Financial Integrity Organisation came out with a calculation that between 1948 and 2008, about \$ 500 billion which is about Rs.30 lakh crore has gone out of India. Most of it has gone out of India after India has liberalized the economy.

The important issue is why only Switzerland, Cyprus etc. countries can be tax havens. Why can India not be a tax haven? Forget chasing names and try to concentrate on our uncalculated money which has gone out of India. Please change our laws and make India as a "Tax Haven". Let all the black money in the world work for the prosperity of India. Even if our country's black money comes back, that is a huge amount for us. The only way is to make India as a tax haven and encourage to bring it back.

To keep tight vigil on depositors, the Government should frame some serious guidelines to monitor money inflow and outflow which helps to control the black money. Government should expedite the legal process in delivering justice in some tax evasion cases or in any case which is relating to money in a time-bound manner. There should not be any scope for influencing the judiciary and fix in legal issues.

With these words, I conclude my speech.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Chairman, Sir, at the end of the debate, the hon. Minister of Finance will be, responding to the various points made by different sides of this House, right from the leader of the Congress Party which is the largest Opposition Party to Shri Mulayam Singh Yadav to Shri P. Srinivasa Reddy who have made various points. I have made a note and I will be passing it on to the hon. Finance Minister.

My purpose of intervention at this stage is to put certain things straight before the House, and through the House, to the countrymen also. Sir, when hon. Members have given notice and they wanted even the Business to be put on hold, and this issue to be taken up on priority basis, I thought, there will be very constructive and meaningful suggestions. Some of the Members may have some important information which they will be able to share with the House so that the Government can start taking up further action. But to my disappointment, I didn't.... (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Let the debate be over. ... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I am not replying to the debate, the Finance Minister would reply. ... (*Interruptions*)

SHRI ASADUDDIN OWAISI: Wait for the debate to over. ... (Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Shri Asaduddin, okay. You will be making some good points. Let us hope for good points. ... (*Interruptions*) Sudip *da*, it all depends on both sides. I want the House to discuss this serous issue in a very serious manner. But unfortunately, efforts were made to derail this debate from the beginning itself. My friend and the Leader of the Congress Party, Shri Kharge, whom I hold him in high esteem because of his experience, initially suggested that the BJP manifesto stated that the Government would bring back black money

within 100 days. I have been the Party President earlier, now I am also the Member of the Parliamentary Board, and also one of the Members who finalized this manifesto. We very well remember; we are not that much immature to say that the entire black money can be brought back within 100 days. ... (*Interruptions*)

I am quoting from the manifesto of the BJP of 2014 – the manifesto is with me – with the permission of the Chair, I quote. It is stated in the manifesto that by minimizing the scope for corruption, we will ensure minimization of the generation of black money. BJP is committed to initiate the process of tracking down and bringing back black money stashed in foreign banks and off shore accounts. We will set up a Task Force for this purpose, to recommend amendments to the existing Acts, or enact new laws. The process of bringing back black money to India that belongs to India will be put in motion on priority. We will also proactively engage with foreign Governments to facilitate information sharing on black money. This is what is contained in the manifesto.

श्री मुलायम सिंह यादव: आपने बयान दिया है।...(व्यवधान) आप ये बताइए कि आप कालेधन को कब तक वापस लाएंगे?...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकेया नायडू: आपने सही कहा, में उस पर भी आ रहा हूं। उस समय के वित्त मंत्री, प्रणब बाबू ने हाउस में क्या कहा, जो आप बता रहे हैं। उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी शेयर करूंगा। There is no need to get excited or accuse each other. Everything is available to all of us. You can criticize; there is nothing wrong. It is the duty of the Opposition to criticize the Government, the party; and it is the duty of the Government to explain to the House, and also to the people. This is what has been said in the manifesto. What did we do after saying it in manifesto? We came to power on 26th May, the day the Prime Minister was chosen. On 27th May, after the formation of the Cabinet, the Union Cabinet met on 27th May, 2014. I am the Member of the Union Cabinet. Cabinet approved setting up of a Special Investigating Team headed by a former Judge of the Supreme Court of India, Justice M.B. Shah to unearth black money stashed abroad.

Justice Arijit Pasayat will be the Vice Chairman of the Panel. The members of the High Level Committee will be the Secretary, Department of Revenue, Deputy Governor, Reserve Bank of India, Director, Intelligence Bureau, Director, Enforcement Directorate, Director, CBI, Chairman, CBDT, Director General, Narcotics Control Bureau, Director General, Revenue Intelligence, Director, Financial Intelligence, Director, Research and Analysis Wing, Joint Secretary, CBDT. They have been given this responsibility.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): When was this Committee set up?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The Cabinet approval was given on 27th May.

PROF. SAUGATA ROY: The order was made on 4th July, 2014. You took so much time to constitute the Committee. ... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Saugat Royji, you have got your dates wrong.

PROF. SAUGATA ROY: I have got a Note submitted to the Standing Committee on Finance. The terms of reference of SIT will be as per the order dated 4.7.2011 and the order was made in July. ... (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: The new Government was sworn in on the 26th of May. The Ministers assumed office on 27th of May. The first Cabinet Meeting was held on the 29th of May and in terms of the Cabinet decision, on the 29th of May itself the SIT was constituted. It started functioning in June. The entire list of account holders and all the data available with us was submitted to them in June. Some order may have been issued on 4th July. But the SIT has been functioning right from then.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I stand corrected about the date. My point is, we have to judge the Government by its intention, by its action and by its sensitivity. Within three days after coming to office, we took such an important decision and decided to move forward. What I would like to say is that the same thing could have been done by you. You may say, 'what is it that you have done

by constituting a Committee?' You could have done it yourself when you were in Government. ... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): What concrete action did you take in these six months? ... (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Premachandran, please have patience. You have also committed a sin of supporting that Government. Please try to understand. ... (*Interruptions*)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया था कि इसे 15 दिन के अंदर करना है। ...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Salimji, please have patience. ... (*Interruptions*)

सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह हो, आदेश हो ...(व्यवधान) आपकी बीमारी ने उनको भी पकड़ लिया, मैं क्या करूं? ...(व्यवधान) दोनों बैठकर ही बोलते हैं। ...(व्यवधान) You are also my brother, he is also my brother. I am trying to convince and console both the brothers. I don't make any difference between you and him.

माना कि हमने सुप्रीम कोर्ट के कहने के कारण से इसे किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर वर्ष 2011 में कहा। वर्ष 2011 से 2014 तक आप ही सत्ता में थे, आप ही के लोग मंत्री थे, फिर आप लोगों ने सर्वोच्च न्याय स्थान का आदेश क्यों नहीं माना? वह केवल सर्वोच्च न्याय स्थान का आदेश नहीं, तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री एवं वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। He is a most respectable person.

श्री मुलायम सिंह यादव : आप इसका जवाब दीजिए कि पैसा कहां चला गया और किसने निकाला? ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : जब मंत्री जी जवाब देंगे, तब कहेंगे।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, जब वित्त मंत्री जी बोलेंगे, तब उस समय जवाब देंगे। अभी आप धैर्य से सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: उस समय यह मामला गंभीर मामला बन गया। यह पब्लिक डिस्कशन का मामला बन गया। यह पब्लिक डिस्कशन का मामला बन गया। पब्लिक डिस्कशन के बाद, कुछ लोग कोर्ट में भी गए और मीडिया में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई। जैसा मिल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, ठीक है। हमारे नेता श्रीमान् आडवाणी जी ने इसको पूरे देश में मोमेन्टम दिया, उन्होंने एक कैम्पेन चलाया। उसके बाद देश भर के अखबारों में आर्टिकल्स आने शुरू हो गए। कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर एक टास्कफोर्स बनाया और टास्कफोर्स ने भी एक रिपोर्ट दी। इस बीच में आप लोग लाइटर-वे में, मजाक में कह रहे हैं, एक ने कहा 25 लाख रुपए, एक ने कहा 30 लाख रुपए, एक ने कहा 20 लाख रुपए,...(व्यवधान)

Shri A.P. Singh, former Director of CBI, during that period, in an official meeting, had disclosed that there is Rs. 25 lakh crore of black money. This was the statement given by a CBI serving Director at that time. मैंने हाउस में खड़े हो कर कहा कि CBI is a premier institution. You are using it or misusing it, that is a different point. We have discussed it enough. The point is, when the CBI Director says Rs. 25 lakh crore, normally others will definitely take note of it. We have asked the Government. The Government have kept quiet about that. The then Finance Minister has also issued a White Paper. I have the White Paper with me; that is 'The National Common Minimum Programme of the Government of India' released on Thursday, May 27, 2004. In that also, there is specific mention about taking special schemes to unearth black money and they will be assessed and they will be brought back. वह भी आपने कमिटमेंट किया, आपने कोई गलती नहीं की। आपके जमाने के सर्विंग सी.बी.आई. डायरैक्टर ने कहा कि भारतीय नागरिकों ने विदेशी बैंकों में 25 लाख करोड़ रुपए जमा किए थे। यह भी हुआ कि सदन में यह इश्यू दो-तीन बार उठाया गया था। बाद में, पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन और फिर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, आदेश आने के बाद भी आप इस विषय पर एक कदम आगे नहीं बढे।

दूसरा, जब आप से पूछा गया तो मेरे पास रिप्लाई है, डा. मनमोहन सिंह जी ने कहा कि the Finance Minister while replying to the debate on the Finance Bill yesterday has specifically dealt with this aspect. He said that the action on it had already been started. That is what they have said it also on the floor of the House in respect of unearthing the black money. I am quoting the then Finance Minister. This is on

29th July, 2009. In respect of unearthing black money the Finance Minister suggested that we should initiate action within 100 days. 100 डेज वहां से आया। ...(व्यवधान) This is in the proceedings of the House. The point is, then, and now also, 100 days means that action will be initiated in 100 days.... (*Interruptions*) माननीय समापति: माननीय सदस्य अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप इनकी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपका अवसर आएगा तो आप बोलिएगा।

...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Undoubtedly, corruption was a main issue in the election. There is no doubt about it. Then the number of scams that have taken place in between the last 10 years, they were highlighted. Naturally, the issue of black money was also on the top of the agenda. Then the people wanted immediate action to bring back the black money. They did not believe that Government. They believed this Party and then gave a mandate in favour of this Party. I am admitting it. ... (Interruptions) People have already given their mandate. Let us wait for some time. ... (व्यवधान) मुलायम सिंह जी, आप सिनियर मैम्बर है। आप इस उम्र में इतना उतेजित न हों। ... (व्यवधान) मैंने आपकी बात को शांति से सुना है। ... (व्यवधान) आपने जो प्वाइंट्स बताए हैं, उन्हें मैंने लिख लिया है। मैं इन्हें अरूण जी को दूंगा, वे इनका जवाब भी देंगे। आप निश्चित रहिए, हम यहां से भागकर जाने वाले नहीं हैं। हम पांच साल पूरा करेंगे और आगे भी 5 साल पूरा करने की संभावना ज्यादा है।

Sir, being a Parliamentary Affairs Minister, I do not want to score points also because I have other responsibility. My point is this. Why I am trying to say this is that the intention is that you must take action. I have already told about our first action that an SIT was constituted. The Finance Minister will tell you in detail about our second action. He has started discussing with different countries. Thirdly, the treaties that have been agreed upon and then entered upon by

successive Governments including your Government, they all have a secrecy clause. That has been agreed upon by you. Your Finance Minister told this on the Floor of the House... (*Interruptions*) आप नहीं थे, आप बाहर से समर्थन कर रहे थे।...(व्यवधान) आप सरकार में कभी नहीं रहे लेकिन सरकार को सुबह, दोपहर, शाम ऑक्सीजन आप ही देते रहे।...(व्यवधान) आपकी दया के कारण यह सरकार चली।...(व्यवधान) Let us have a healthy and friendly debate. You can criticize; you can accuse; and you can expose if I have done something wrong or my Government has committed some big scams, etc. You have got every right and there is time for that.

Coming back to the issue, my third point is that the hon. Prime Minister himself has taken up the issue in a big way in G-20. He spoke in that Summit also. He is trying to sensitize other countries also. Now, every country has realized it.... (*Interruptions*) Hon. Members, this is not fair sitting and making running commentaries. It is a very bad habit. Children will remember us for ever of such a behaviour.... (*Interruptions*)

I am quoting from the speech of former Finance Minister. He said:

"I had responded in this very House itself that we had difficulty. We had got certain information but we got this information under the condition that we would not disclose that information even to our sovereign Parliament. Otherwise it would not be possible for them to give the information. Every country has its own rules. Certain countries have their own banking secrecy rules, Switzerland is well known for it. They have agreed to share this information provided there is a legal framework and it is required only for the purpose of tax collection."

This is what hon. Finance Minister had told in the House on 29th June, 2009. ... (*Interruptions*) Hon. Member, you are not authorized to speak. When you get a chance you can definitely say whatever you want. I and Arunji, both are here today and tomorrow or even for a longer period also.... (*Interruptions*) My point here is that subsequently the Ministry has engaged different countries across the globe about the need to have mutual agreement, about to reform the entire financial system across the globe and the way forward. So they got names. Their

names are not kept secret. This is another propaganda going on. नाम आया, नाम क्यों नहीं देते, नाम दें और उनकी छुट्टी करें, यह होता है। मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूं। The then Finance Minister, Pranab babu rightly said in the House and we are trying to come out of that situation. My third point is that what we did is when we got the names; the names were promptly given to the Special Investigation Team. What else you want us to do. Being a senior most Member Mulayam Singhji has said नाम पार्लियामैंट को बताएं, देश को बताएं, वे लोग बदनाम हो जाएंगे, सरकार का काम हो जाएगा, पैसा वापिस आ जाएगा। परपज़ क्या है? क्यों मुलायम जी भी इतने विचलित हैं? मुख्य काम पैसा वापिस लाना है।

दूसरा, जिन लोगों ने गलती की, उन्हें सजा दिलाना, यह मुख्य परपज है। इस परपज को एचीव करने के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, उस समय वित्त मंत्री जी ने कहा, वह प्रॉब्लम्स अभी भी मौजूद हैं। उन प्रॉब्लम्स से बाहर आने का क्या उपाय है? हमारे मंत्री जी ने बीच में एक स्टेटमैंट दिया, एक स्टैंड दिया, पब्लिकली भी कहा। कुछ लोग कह रहे थे कि फिर नाम कभी पब्लिक नहीं होगा। वे नाम कब पब्लिक होंगे? जब इंक्वायरी करके चार्जशीट फाइल करेंगे तब नाम आटोमेटिकली कोर्ट द्वारा पब्लिक हो जायेंगे। पूरे देश की जनता को मालूम हो जायेगा। आप यह भी देखिये कि काम कर रहे हैं या नहीं? यार्डस्टिक क्या है? सरकार की नीयत पर शंका है तो आपको आने वाले दिनों में मालूम पड़ जायेगा। नाम मिला, इन्वेस्टीगेशन चल रहा है और इन्वेस्टीगेशन के बाद चार्जशीट फाइल करेंगे या नहीं करेंगे? क्या उन्हें बचाने के लिए कोशिश करेंगे? जैसा पहले किया, उस समय भी आपको मालूम है। पैसा विदेशी बैंकों में था और हम लोगों ने बैंकों का खाता सीज करके रखा। उसके बाद हमारी सरकार ने ही उन खातों को ओपन करने का मौका दिया। यह सरकार भी क्या ऐसा करेगी? ऐसा किया, जैसा आप बता रहे हैं। आप लोग भी बदनाम हो जायेंगे। जब काम बुरा होगा, बदनाम होना सामान्य रूप से होगा। मेरा कहना है कि यह सरकार अभी-अभी आयी है। वह अच्छा काम कर रही है। पूरे देश में उसे प्रस्तुत कर रही है। आपने देखा कि चुनाव के बाद, आप कह रहे हैं कि आपने...* दिया। कुछ लोग कल ऐसा भी नारा दे रहे थे। उसे सुनकर मुझे बहुत Shri Sudip Babu, with all respect I am telling you this. The Prime Minister of the country is a respectable figure. The leaders of different parties are also respectable figures. We can criticise each other and we can expose each other if there are points. ... जिस प्रधान मंत्री को पूरा देश प्रेम कर रहा है और विदेशों में भी इतना स्वागत

-

^{*} Not recorded

हो रहा है। साथ ही साथ आपने अभी देखा, हम महाराष्ट्र में गये, हिरयाणा में गये। ...(व्यवधान) Democracy functions on numbers. ... (Interruptions) बाइ-इलैक्शन क्या है? सुरेश बाबू, आप मेन इलैक्शन देखिये। ...(व्यवधान) मेरा कहना है कि परसेंटेज सिस्टम में परिवर्तन लाने के लिए कुछ उपाय है, तो बताइये। हम उस पर चर्चा करेंगे। जब तक 50 परसेंट नहीं आयेगा, किसी को नेता नहीं बनाना, ऐसा नियम लाना है, तो आप चर्चा कीजिए। हम उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। देश की जनता ने कल अखबारों में देखा होगा कि 72 per cent of the people of India are favouring the Prime Minister. That is the latest survey. You must have seen what happened in Haryana. In Haryana, my Party is not strong. We do not have that much organizational base. I had been to each and every main district of the country in the last 25 years. ... (Interruptions) सुदीप जी, आप लोग क्यों इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं? आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। बंगाल में उस कारण से जमीन नीचे खिसक रही है। ... (व्यवधान) वह इश्यू नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): आप ख्वाब मत देखिये। ...(व्यवधान) आपका जैसा है, वैसा ही रहेगा। ...(व्यवधान) अगर खींचतान हुआ ...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Okay, I will wait. We will meet shortly in Bengal, whenever an opportunity comes. If your word prevails and it proves correct, then fine and I salute you. If my word and people's will prevails, then fine, nothing wrong. ... (Interruptions) मैं बचपन से स्वप्न देख रहा था कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधान मंत्री बनेंगे, तो वह स्वप्न साकार हो गया। उसके बाद मैंने यह स्वप्न देखा कि इस देश में बी.जे.पी. को अकले में बहुमत मिलेगा, तो वह बहुमत संभव हो गया। ...(व्यवधान) मैं अभी स्वप्न देख रहा हूं, मुम्बई हो गया, कोलकाता भी अच्छा है, वहां भी जाना है। ...(व्यवधान) आप में से जो साथ देना चाहते हैं, वे दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : वैंकेया जी के अलावा किसी और माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान) ौ

_

^{*} Not recorded.

श्री एम. वैंकेया नायडू: यहां थोड़ा ज्यादा बोलकर, थोड़ा स्ट्रांग वर्ड यूज करके चुनाव जीतना आसान है तो फिर जीत आपकी होगी। मगर मेरा कहना यह है कि सच क्या है? What is written on the wall? How is the response coming across the globe? What has happened in Madison Square? What has happened in Sydney? ... (Interruptions)

16.00hrs

All right, I wish you best of luck. We cannot stop the sun rays by raising our hands like that. By stopping my President's rally, you are not going to succeed in West Bengal. Please try to understand this. People are very intelligent. They have become intelligent after so many years of rule by all of us, mostly Congress Party, then followed by NDA and then followed by UF, the United Front for some time and all. People have now expectations. It is a fact.... (*Interruptions*)

This is my last point. I do not want to take much of your time. The last point is, the expectations are very high. I do agree because people feel, yes, this man can deliver; and he can do. Modi is the remedy. That is what the people of India are thinking. Modi is 3D—Decisive, Dynamic and Development-oriented. That is the expectation. So, they are expecting that everything will happen, and also they will happen quickly. That is what the expectation of the people is. That is the challenge before us. So, we have to work hard. We have to walk an extra mile and we are trying our best. And, we have the best people in our Government. We have capable Ministers, and I see my Finance Minister, the way in which he is dealing with things in the country... (*Interruptions*)

Bear with me, please. ... (*Interruptions*) Black money is not generated in these last six months. Who was in power all these years? It is in everybody's knowledge. I do not want to get into all these things. I do not want to derail the debate. I have been to Barcelona. There was a World Smart City Congress.... (*Interruptions*) I brought the prestige back and I lost one of the bags. In the inaugural conference, I was told that there were representatives of 240 companies from 180 countries or so, including 140 representatives from local self-help governments. After I spoke I saw the amount of enthusiasm and inquisitiveness

among the people about India. I am not saying about BJP or about NDA alone. I am saying about India because in the entire world now India is rising in their eyes and people are now recognizing it and respecting it.

So, my request to all of you is this. I am happy that Madam Sonia Ji is also here during this important discussion. She is the President of a major Opposition Party. Also, other leaders are here. Mulayam Singh Ji is also here. Sudip Babu is also here. We should really compete now with coming with new and good ideas and then tell the people इनकी ये गलती थी, हमारे पास बेहतर आइडिया है, इस आइडिया के कारण देश और आगे बढ़ सकता है। This should be the competition in the coming days and this should be the agenda for the country--development, development and nothing else. People want it and we cannot be watching.

You had been in power. I had been in the Opposition. I also had been in power and I have been in power now. Then Trinamool Party is in power in some place. Then, AIADMK is in power in other State. Communist Party is also fortunately still there in power in one State. They are in power in one of the States, that is, in Tripura, in the North-East. So, there is no way where people can escape from responsibility. What we are saying here, have you done it there in your State? Have I done it in my Government here? This is being closely observed by all the people. So, there is no problem on that count. Let us have a healthy debate, discuss the issue, come with much more good ideas and easy solutions. Because you have the most experience because you have been in power for long, long and also in position. So, you may be having better ideas. You give the ideas. My Government is open to take these ideas. We have no problem.

The Prime Minister has already said that we must all work as a team India and we will be working together. We will be taking your good and well intentioned advices also and then moving forward. I, for myself, feel that the Finance Ministry which is proactive in this matter has to engage with the other countries and see to it that these treaties are arrived at the earliest stage, then these investigations are completed in a speedy manner and the matters are taken to the

court. The courts are, of course, independent and they will take decision at the earliest so that the people, who are involved in it, get the needed punishment. Then, we will be able to get back our money.

My last point is regarding the issue raised by Shri Mulayam Singh. There is a figure, which is given in the White Paper, which was raised in the Parliament. It was clearly mentioned by the then Finance Minister after this information had gone out that the number of accounts and the amount of money stashed in Swiss banks has come down considerably. It means that it has been siphoned off and moved to some other tax havens. That being the case, we must act fast. We should have acted earlier. There is no meaning in criticizing it. That part is over. Elections are over. Now, we are in the Government. So, it is our duty to take quickest possible action and my Government is really engaged in that. We need the cooperation of one and all to do it with better ideas and support for the actions of the Government. It is in the interest of the country and the people at large. This is what I want to submit to the House.

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): सभापित जी, इससे एक रांग मैसेज जाएगा, जो श्री नायडू जी ने कहा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहीं सौ दिन नहीं लिखा गया है और आप यहाँ सौ दिन की बात करते रहे तो वे अपना मैनिफेस्टो निकालकर भी बताएं। लेकिन हमने जो डेटवाइज़ कोट किया था, उस वक्त जो बी.जे.पी. के अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने स्वयं कहा था कि हम सौ दिन में पूरा कालाधन वापस लाएंगे और उसका फायदा सभी को देंगे। उस रेफरेंस से हमने आपको डेटवाइज़ बताया और आपने भी किसी न किसी जगह कहा था, मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि 16 लाख करोड़ रुपए की ब्लैकमनी है। अब आप खुद ही ऐसा बोल रहे हैं और ऐसा आपके प्रेसीडेंट ने बोला है और आपने हम पर यह कहते हुए पलटवार किया कि आपने स्टडी नहीं किया, आपने नहीं बोला, आपके पास तो 21 मई का पिछली सरकार का व्हाईट पेपर है, क्या-क्या किया गया, क्या-क्या स्टेप लिये गये, क्या मैं उसे फिर से पढूँ? ...(व्यवधान) इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि ऐसा रांग मैसेज नहीं जाना चाहिए। लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए।

We had approached 22 prioritised countries jurisdiction during 2009 and 25 new countries jurisdiction during 2012; entered into Tax Information Exchange Agreement (TIEA), the lists of which are furnished hereunder; the number of countries communicated with during 2009 was 22; and the countries communicated with during 2012 were 25 in number.

The current status of negotiation with these countries is as follows: negotiation completed with 20 countries; TIEA signed with 14 countries; and entered into force with 14 countries.

ये सब प्रयास किये गये हैं, डाक्युमेंट आपके सामने है, इसके बावजूद भी कहा गया कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, जिन नेताओं ने यहाँ पर मुद्दा उठाया, उन्होंने कुछ सजेशन नहीं दिया। यही तो सजेशंस हैं। आपके पास व्हाईट पेपर का जो पहला नम्बर पेज है, जिसमें पाँच मुद्दे हैं। उसके बाद वीरप्पा मोइली जी ने अपने भाषण में बहुत से सुझाव दिए। इन सबको नजरअंदाज करके कह रहे हैं कि कोई सुझाव नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं है। यह कहना अच्छा नहीं है। 100 दिन में पैसा लाने का आपका वायदा है, आपके अध्यक्ष का वायदा है और आप भी साठ लाख करोड़ रुपये की बात कर रहे थे, वह सब पैसा आप लेकर आइए, उसके बाद मालूम होगा। जो चीज नहीं हो सकती, जिस चीज के लिए कानून एवं प्रोसीजर के तहत वक्त लगता है, आप उसकी चिन्ता मत कीजिए। क्या आपकी जिम्मेदारी कुछ

भी नहीं है, पहले के लोगों ने ही किया है? पहले पिट्सबर्ग, लंदन, आस्ट्रेलिया आदि जगहों पर चिदम्बरम जी गए। क्या वहां निगोसिएशन्स नहीं हुए, बातचीत नहीं हुई? जैसे मोदी जी ने आस्ट्रेलिया जाकर बात की, वैसे ही हमारी पार्टी के हर नेता, प्रधान मंत्री से लेकर अन्य सभी लोग जब वक्त मिला, तब बात करते आए हैं। यह चीज आपको मालूम है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आइन्दा ऐसी गुमराह करने वाली बात मत कीजिए। जनता को यह मालूम है, पहले आपने जो वायदा किया है, उसे निभाइए।...(व्यवधान) श्री एम. वैंकेंग्या नायडू: इसीलिए जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया, आपके ऊपर विश्वास नहीं किया। आपने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ।...(व्यवधान) हां, पांच साल के बाद देखेंगे। ...(व्यवधान) धैर्य रखिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आपस में सवाल-जवाब मत कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री मोहम्मद सलीम, आप बोलिए।

श्री मोहम्मद सलीम के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

^{*} Not recorded.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): सभापित महोदय, मंत्री महोदय बहस के बीच में इंटरवेंशन किया तािक मामला फिर से ट्रैक पर आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अंत तक वह विषय पर आए कि नई सरकार किस तरह से कोशिश करे, जल्द से जल्द एक्शन ले, पहले जो हुआ, हुआ। लेकिन बीच में बहुत सी राजनीतिक बातें हुईं। हमें ऐसा लग रहा है कि लोग चुनाव में इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, लेकिन सरकार सरकार में रहती है, वह बदलती नहीं है। यह आज के मंत्री ही नहीं बोल रहे हैं, पुराने मंत्री भी यही बोलते थे, इसलिए आप देखेंगे कि काला धन का मामला बहुत गंभीर मामला है, लेकिन वर्षों से जो बहस हो रही है, सरकारी पक्ष एक बात बोलता है और विपक्ष दूसरी बात बोलता है। आज भी मंत्री महोदय ने उसी व्हाइट पेपर का जिक्र किया, जो व्हाइट पेपर इसी सदन में लाकर काला धन के मामले को व्हाइट-वाश करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसमें सिर्फ रंग बदलने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश के लोग उस पुराने गीत की पैरोडी गा रहे थे - कोई लौटा दे मेरा लुटा हुआ धन, तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं हूं, 56 इंच की छाती है, अब हम पैसा लौटाएंगे। लोगों ने भरोसा किया। अब सरकार की जिम्मेदारी है।

<u>16.13 hrs</u> (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

हमें पूरा यकीन है कि हम यहां चाहे जितना बहस कर लें, चीख-चिल्ला लें, आप चाहे जो बोल दें, काला धन कल वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम सदन में चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको वायदा याद दिला रहे हैं और हमें यकीन है कि सरकार को भी अपना वायदा याद है। जो बात हकीकत है, उसे मानना पड़ेगा। आप देखिए कि एन.डी.ए. सरकार और यू.पी.ए. सरकार में कितना अंतर है और कितना मेल है। अभी एक बात कही जा रही है, दोनों में अंतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी यू.पी.ए. सरकार ने एसआईटी नहीं बनाई और एन.डी.ए. सरकार ने आते ही बना दी। अभी अरुण जेटली जी ने स्पष्ट किया है। कल तक कहा जा रहा था कि 26 तारीख को सरकार ने शपथ लिया और 27 तारीख को एस.आई.टी. बना दी गयी। अभी कहा गया है कि 29 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई, उससे पहले कैसे हो सकता है। गीते जी भी थे कैबिनेट मीटिंग में। लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है कि यू.पी.ए. सरकार ने याचिका दी थी कि हम एस.आई.टी. नहीं बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था कि एस.आई.टी. बनाना होगा। 23 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 15 दिन के अंदर एस.आई.टी. बनाइए, वरना आप नाकाम रहोगे और हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे और यह मामला सुप्रीम कोर्ट मॉनीटर्ड नहीं हो, इसलिए सरकार ने SIT बनाई। बार -बार यह कहना कि सरकार ने एसआईटी बना दी, सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह ठीक नहीं है, यह तो शुरुआत है। शारदा स्कैम के मामले में,

हमारे राज्य में भी हम सुनते आये हैं कि एसआईटी बना दी गयी, लेकिन एसआईटी तो शुरुआत होती है। उसके बाद वह मामला कहां तक पहुंचा, जांच से सच्चाई कहां तक आई, अपराधी कहां तक पकड़े गये, अपराध के आंकलन का क्या हुआ, यह सब देखना पड़ता है। खैर, यह काला धन बहुत गंभीर मामला है। वर्ष 1974 में वांचू-कमेटी बनी थी। वांचू कमेटी ने काले-धन के बारे में रिपोर्ट रखी थी। उसके बाद कई सरकारें आईं, लेकिन काला-धन वापस लाना, काला-धन जहां तैयार हो रहा है, उग रहा है, उसे रोकना, वह नहीं किया गया। माननीय मंत्री जी ने खुद कहा है कि कुछ लोगों ने याचिका दायिर की, बुद्धिजीवियों ने टास्क-फोर्स बनाया लेकिन अफसोस है कि जिन तीन व्यक्तियों ने याचिका दायर की थी उनमें से एक माननीय राम जेटमलानी थे, जिन्हें आपने सरकार बनाने के बाद भाजपा से निकाल दिया, क्योंकि रोल बदल गया, भूमिका बदल गयी। वे माननीय वित्त मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वे शुरु से ही इस मामले में गंभीर नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी नहीं, माननीय प्रधान मंत्री नहीं, लेकिन वित्त मंत्री के बारे में उनका शुरु से ही आरोप है कि उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब भी काला-धन के बारे में कुछ नहीं बोले और अब भी उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। यह चर्चा यहां इसलिए की जा रही है कि सरकार इस मामले को ध्यान में रखे।

दूसरा बात है कि काला-धन देश का अपना धन है और अगर उसका हम सोर्स नहीं जानेंगे तो काला-धन तो आज भी बन रहा है। यह बिल्कुल सही है कि यह 6 महीने में पैदा नहीं हुआ है, यह आजादी के बाद से ही हो रहा है। वह धन हमारे किसानों और मजदूरों की मेहनत की कमाई है, काले धन के मालिक, चाहे वह भ्रष्टाचार से कमाया हो, चाहे वह गैर-कानूनी ट्रेड से कमाया हो, चाहे वह क्रिमिनल एक्टीविटीज से कमाया हो। इसके तीन सोर्स हैं - क्राइम, करप्शन और कॉमर्स। इन एक्टीविटीज को गैर-कानूनी तरीके से किया जाता है जिससे यह काला-धन उग रहा है, पैदा हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार को सख्त व्यवस्था बनानी पड़ेगी।

विदेश में जो धन है उसे वापस लाने के बारे में मंत्री महोदय ने भी कहा और व्हाइट-पेपर में भी यही कहा था कि हम क्वांटम उसका नहीं बता सकते कि कितना रुपया है। भाषण में हम बोल सकते हैं जैसे रामदेव बाबा जी बोल सकते हैं लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने 50 के दशक में इसी संसद में काला-धन के बारे में जोर-शोर से कहा लेकिन हम भी क्वांटम नहीं बता पाए, क्योंकि हमें लाखों-करोड़ों रुपयों का हिसाब आता ही नहीं है। लेकिन यह सही है कि काला-धन बन रहा है और विदेश में जा रहा है। पिछले 20-25 सालों में उदारीकरण के नाम पर यह काला-धन तेजी से विदेशों में गया। उस वक्त उदारीकरण के बारे में यह था कि जितना उदारीकरण हो जाएगा तो लाइसेंस-राज नहीं रहेगा, कोटा नहीं रहेगा, इंस्पेक्टर राज नहीं रहेगा, तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा और किसी को रिश्वत देनी नहीं

पड़ेगी। लेकिन पिछले 25 सालों में करण्यान का स्केल भी बढ़ा है और काला-धन का वॉल्यूम भी बढ़ा है। मनी-लॉन्डिरंग के कानून से छेड़छाड़ की गयी और यह मनी-लॉन्डिरंग अमरीका से आया और अभी हम और भी ज्यादा इस बारे में सीख रहे हैं। वहां गेंगस्टर थे, माफिया थे जिन्होंने अपने रुपयों को काले से सफेद करने के लिए सेल्फ-सर्विस लॉन्डिरंग मैट बनाए थे। आज पूरे विश्व में मनी-लॉन्डिरंग हो रही है और हमने कानूनों को सही ढंग से लागू नहीं किया। ये जो पॉन्जी-स्कीम का रुपया है, उसके साथ भी मनी-लॉन्डिरंग का मामला जुड़ा हुआ है। फिर आप देखें हवाला रैकेट है और हमारे देश में यह घोटाला बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। काफी लोगों का उसमें नाम आया, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं हुआ, सब मामला रफा-दफा हो गया। आज भी हवाला देश से रुपये बाहर और अंदर लाने का एक बहुत बड़ा स्नोत है। चाहे स्मग्लिंग का मामला हो, ह्यूमन-ट्रैफिकिंग का मामला हो, आर्म्स-ट्रेड़ का मामला हो, ड्रग्स या नारकोटिक्स का मामला हो, इन सबके साथ हमारे देश का भविष्य और हमारे नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ है। यह एक नैक्सस है और इसे तोड़ना आसान नहीं है। इसमें चाहे राजनीतिज्ञ हों, बड़े घराने हों और राजनीतिज्ञ छोटे स्तर के नहीं, उंचे स्तर के हैं, क्रीमनल, माफिया ऊंचे स्तर के हैं। कुछ ऊंचे स्तर के बिग कॉर्पोरेट हाउसिज़ और कुछ टॉप ब्यूरोक्रेसी भी इसमें लगे होते हैं, इसलिए इसका निदान करना मुश्किल होता है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको दूर करेगी। डबल टैक्सेशन के बारे में पहली की सरकार ने जो कहा था, आज की सरकार भी वही कह रही है। आज की सरकार में मंत्री जावड़ेकर जी ने जुलाई, 2012 में कहा था-

"The Government is involved in a cover up. It is trying to justify this by saying it has signed DTAAs."

मैं दूसरे हाउस को कोट नहीं कर रहा हूं। जब उस वक्त के वित्त मंत्री ने यह कहा था कि हम डीटीएए के कारण नामों को डिसक्लोज़ नहीं कर सकते हैं, उस वक्त बीजेपी के नेता श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था-

"The Government's argument that it can reveal the names to the Supreme Court but not to the public is baseless."

मैं सिर्फ आईना दिखा रहा हूं। यह इधर की या उधर की बात नहीं है। गार और डीटीएए पर काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन उसको गलत तरीके से कोट किया जा रहा है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यापक और इस मामले में माहिर अरुण कुमार जी की बुक से कोट करना चाहता हूं। यह अकेडिमक पर्सन हैं, किसी पार्टी से नहीं हैं।

"The UPA Government tried its best to see that the SIT for black money did not come into being. Similarly, the NDA also recently tried to scuttle the powers by asking for clarification in the order."

सिर्फ तरीका बदला है। डीटीएए के बारे में है-

"The position is quite incorrect as the DTAA only ensures that tax paid on declared income is not paid in both the countries."

डबल टैक्सेशन अवाइडेंस का मक़सद यही है।

"The Government have also claimed that the stolen data from the LGT Bank and from HSBC Bank was given under DTAA. However, this also cannot be true because the data was procured from the German and the French Governments by paying money to the former employees of these banks."

में इस विषय पर काफी कुछ बोल सकता हूं, लेकिन इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। अब में मूल विषय के बारे में बात करना चाहता हूं। मैंने एसआईटी के बारे में कहा कि उसे बनाने की बात कानूनन नहीं हुई थी। उसी प्रकार से यह कहा जा रहा है कि चुनाव में सौ दिन में लाने की बात नहीं कही गयी, यह बात यूपीए सरकार के मंत्री ने कहीं थी और वहीं से यह बात आयी थी। खड़गे जी ने भी अपने भाषण में कहा कि किस तरह से भाषण में कहा गया था। मैनिफेस्टो में सब बातें नहीं कहीं जा सकती हैं। हमने यह निर्णय लिया है कि हम एक सीडी रिलीज़ करेंगे, जिसमें आज के प्रधानमंत्री और उस समय के स्टार कैम्पेनर ने यह कहा था कि विदेश में जो हमारा धन रखा है, अगर हम उसे वापस ले आएंगे तो हर हिन्दुस्तानी के खाते में 14-15 लाख रुपये आ जाएंगे। यह सब ऑन रिकॉर्ड है। यह सीडी में है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं, चाहे 14 रुपये आएं, चाहे 1400 रुपये आएं या 14 लाख रुपये आएं। अब सरकार कह रही है कि उतना रुपया नहीं है। यह आरोप लगाने की बात नहीं है। लेकिन यह भी एक भ्रष्टाचार है कि चुनाव में गलत कहना, ग़ैर ज़िम्मेदारी से बात करना और उसका फ़ायदा उठाने का मामला भी कम भ्रष्ट नहीं है। यह आचार हो सकता है, लेकिन यह सदाचार नहीं है, कदाचार हो सकता है। इसको मानना पड़ेगा। अब सरकार कह रही है और बेशक जो सच्चाई है, वह सामने आ रही है।

आज एक नेता के नाम से हम लोग क्या जानते हैं? हम सोचते हैं कि वह विजिनरी होगा, वह भविष्य को देखेगा कि 100 दिन बाद या 200 दिन बाद क्या होने वाला है? अगर सरकार को काले धन से

निपटना है तो सिर्फ ये 627 नाम ही नहीं हैं बल्कि अभी मंत्री जी फिर कहेंगे कि हमने 627 नाम लिफाफे में लिखकर दे दिये हैं। लाखों भ्रष्ट हिन्दुस्तानियों ने करोड़ों अरबों रुपया विदेशों में जमा करके रखा है। सब भ्रष्ट नहीं हैं। लोग चाहते हैं कि उनका नाम उजागर हो। यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार भी कहती है कि उनके नाम नहीं लेंगे। चूंकि काले धन के जो मालिक हैं, उनके साथ सरकार का रिश्ता इतना नाजुक है कि वे लोगों के सामने आना पसंद नहीं करते। अभी जो 7-8 नाम आए हैं: 5 डायरेक्टर, 3 कंपनी, उसमें 3 लोगों का जो केस हुआ, उसमें देखा जाएगा कि बीजेपी ने जो 25000 करोड़ रुपया खर्च किया, उसमें इन तीन के अंदर दो का चंदा शामिल था। सदन में सरकार का जैसे बहुमत है, जनता के बीच में सरकार के 31 प्रतिशत वोट हों लेकिन काले धन के अंदर दो तिहाई बह्मत है। तीन में से दो का तो है ही। चुनाव में जो काले धन का इस्तेमाल होता है, उसको रद्द करना पड़ेगा। इसलिए इलैक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए चाहे वह कांग्रेस पार्टी 15000 करोड़ रुपया खर्च करे चाहे भारतीय जनता पार्टी 25000 खर्च करे, कहां से चंदा आता है, वह मालूम होना चाहिए। वह पैसा आता है काले धन सै, जैसा मैंने कहा। हमारी जो गाढी कमाई है, चाहे हमें मिनिमम वेजेज नहीं मिलती है, चाहे हमारा वर्किंग ऑवर से कम्प्रोमाइज होता है, चाहे हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड से कम्प्रोमाइज होता है, चाहे हमारे लैंड यूज के बारे में घपला किया जाता है, चाहे महिलाओं की ट्रैफिकिंग हो, चाहे हमारे बच्चों की ट्रैफिकिंग हो तथा चाहे वह ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो, चाहे वह नार्कोटिक्स हो, वह पैसा विदेश में जाकर मॉरीशियस रूट से, पार्टिसिपेटरी नोटस से, एफडीआई के नाम पर वापस आता है। आज सारा काला धन विदेश में नहीं रखा हुआ है। हम हर बार यहां पर बहस करते हैं। पिछली बार भी बहस की थी। उसके बाद सरकार मौका देती है। पिछली सरकार भी देती थी और यह सरकार भी दे रही है जिससे खाता तो रह जाए लेकिन वह खाता खाली हो जाए, उसमें रुपये नहीं रहे। यदि उस पैसे को लाने की सरकार में हिम्मत है तो यही सरकार जब यूपीए सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मॉरीशियस रूट के खिलाफ बोला था। डीटीए के बारे में भी यहां पर बोला गया था। ये तो टैक्स शॉपिंग है, ये तो जिस तरीके से लोग मॉल में जाते हैं, उसी तरीके से लोग यह देखना चाहते हैं कि कहां टैक्स हैवन है और वहां के रूट पकड़कर आते हैं। आज मॉरीशियस से जितने इंवेस्टमेंट हुए, अगर सरकार पक्की है, पिछले दस साल का ही चाहे आप देख लें, यूपीए वन और यूपीए टू में मॉरीशियस के रूट

से कितने इंवेस्टमेंट्स आए, उसका सोर्स क्या था? वह आप उजागर कर दो तब मालूम हो जाएगा कि किस तरह से काले धन को सादा करने की मशीन इस देश में चल रही है। उस मशीन को खत्म करना पड़ेगा वर्ना हम काले धन से नहीं निपट पाएंगे। इधर उधर की बात करने की जरुरत नहीं है। जो भ्रष्टाचार इस देश में हो रहा है और सरकारी शह में हो रहा है, उसको अगर हम खत्म नहीं कर सकते तो काले धन से हम नहीं निपट पाएंगे।

16.28 hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

6th Report

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): I beg to present the 6th Report of the Business Advisory Committee.

The BAC, at its sitting held on Tuesday, the 25th November, recommended allocation of time to the following items of business as shown against each.

- 1. Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2014 one hour
- 2. The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2014 two hours.(*Interruptions*)

I have to read it out. I understand it. It is over, but this was decided. ... (*Interruptions*) They were passed. I understand it. ... (*Interruptions*) Tomorrow, you will say otherwise. This was the decision of the BAC for allocation of time. This has to be brought to the knowledge of the House. I understand what you are saying. Today, the next BAC meeting was held. You will not decide it.

Sir, what is his problem? Is he trying to educate the Ministers? ... (*Interruptions*) The procedure has to be followed. They cannot come this side and so they should relax for a while. This was the time allocated and this is what has come from the Business Advisory Committee. ... (*Interruptions*) This is completed but this was the time allotted. You can have objection to it... (*Interruptions*) These were the five business items for which time was allotted and all have been concluded. Time was allotted for the IATA Bill, The Central Universities Bill... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister is informing the House.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: The following business after this will be brought and this is the directive of the hon. Speaker to read it out, why do you have objection to that?

HON. CHAIRPERSON: Mr. Minister, you please read it out.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, I have read it out. If the direction had not come from the hon. Speaker, I would not have done it. So, this is a procedure which has to be followed. If you are not ready to follow the procedure, then I cannot help it ... (*Interruptions*) It does not indicate any big sign of intelligence. I have already read it out. It takes two minutes but then you have created so much noise as if we do not understand... (*Interruptions*) I have read it out. It is over. What is the anxiety about it? I have read it out already. Professor does not have patience of one minute... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Members thought that you will be speaking on black money.

16.32 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193 Need to expedite process of bringing back black money stashed abroad Contd.

श्री तारिक अनवर (कटिहार): सभापति महोदय, मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहने की कोशिश करूंगा, इससे पहले कि मेरा समय समाप्त हो जाए। अभी यहां लोक सभा में और राज्य सभा में कल ब्लैक मनी, काले धन पर बहस चल रही है और कल राज्य सभा में इस पर बहस समाप्त हुई और वहां वित्त मंत्री ने उस बहस का उत्तर दिया। लेकिन उनका उत्तर बहुत ही निराशाजनक रहा, ऐसा लगा कि हमारे वित्त मंत्री बहुत मजबूर हैं, असहाय हैं और उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनका जो उत्तर अखबारों में आया है, उसे मैंने पढ़ा है, उससे ऐसा ही लगा कि वह कुछ भी करने में असक्षम हैं। यहां कल से बहस चल रही है, हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने सरकार को यह सलाह दी है कि सौ दिनों के अंदर तो नहीं, बल्कि छः महीने के अंदर भी कालेधन की वापसी की कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए बेहतर यह होगा कि सरकार देश से और देश की जनता से माफी मांग ले कि उन्होंने लोक सभा चुनाव में जो प्रचार किया, जो देश की जनता को भ्रमित और गुमराह किया, उस दिशा में अब कोई ठोस कदम नहीं उठ रहे हैं। इसलिए यह बेहतर यह होगा कि वह देश की जनता से माफी मांग लें। मैं भी यही सलाह दूंगा, क्योंकि कालेधन का जो मामला है, यह इस सरकार के लिए गले की हड़डी बनने वाला है। गले की हड़डी मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने देश की जनता को कुछ ऐसे सपने दिखाये और लोग उस सपने और धोखे में आ गये, लोगों ने इनकी बात पर विश्वास कर लिया। जैसा अभी कहा गया कि देश के हर नागरिक के खाते में लाखों रुपये जमा होंगे, 15 लाख रुपये तक की राशि जमा होगी। देश की जनता ने, देश के गरीब लोगों ने, किसानों ने उस 15 लाख को सामने रखकर कि अब तो मोदी जी प्रधान मंत्री बन गये हैं, अब 15 लाख रुपये हमारे खाते में आने ही वाले हैं। उन्होंने आगे की योजनाएं बना लीं, अपने बच्चों के भविष्य का फैसला कर लिया। उनको अच्छी शिक्षा देने की बात सोच ली और इस तरह से एक लोगों को एक गलतफहमी पैदा हुई। अब छह महीने बीत चुके हैं और अब हमारे वित्त मंत्री जी यह कह रहे हैं कि बहुत सारी पेचीदगियां हैं, बहुत सारी संधियां हैं, जिसके कारण हम लोगों के नाम नहीं बता सकते हैं। इस दिशा में हम कदम नहीं उठा सकते हैं। अब देश की जनता को एक भूल-भूलैया में डालने की कोशिश हो रही है। प्रधान मंत्री के प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? अभी नायड़ साहब ने कहा कि हमने अपने मैनिफैस्टो में सौ दिन का कोई जिक्र नहीं किया है। हो सकता है कि उन्होंने अपने मैनिफैस्टो में यह बात नहीं रखी हो, लेकिन

महोदय, ये दुनिया जानती है, सारी मीडिया में ये खबरें छपी थीं, यह दिखाया गया था, प्रधान मंत्री जी ने बहुत ज़ोर दे कर यह बात कही थी कि अगर उनको प्रधान मंत्री बनने का मौका मिला, अगर उनकी सरकार आई तो सौ दिनों के अंदर हम काले धन को ला कर दिखाएंगे। लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया और उनको बहुमत दिया। लेकिन आज वही नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि कितनी राशि बाहर है। उसका कोई लेखा-जोखा नहीं है। मोदी जी ने स्वयं कहा था कि 85 लाख करोड़ रूपये का काला धन विदेशों में जमा है। भाजपा के बाबा रामदेव ने तो यहां तक कहा कि 385 लाख करोड़ रूपया काले धन के रूप में विदेशों में है। उसको देश में वापस लाने का वचन भी उन लोगों ने दिया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद मोदी जी का रूख बदल गया। अब काले धन की मात्रा के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही जा रही है। विपक्ष से सत्ता में आने के बाद भाषा बदल गई। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दूबे जी की बात याद दिलाना चाहता हूँ। पिछले बजट सत्र में उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मेरे जीवन में कालेधन की वापसी की मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे कोई आशा नहीं है। यह बात इन्होंने किस आधार पर कही थी? क्योंकि ये जानते थे, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या कार्य-कलाप है, क्या कार्यशैली है, क्या उनकी विचारधारा है, उससे ये वाकिफ हैं। इसी अधार पर इन्होंने ये बात कही थी। इन्होंने सच बात कही थी। इसकी कीमत भी इनको चुकानी पड़ी। अभी इस एक्सपेंशन में उनको नहीं लिया गया। लेकिन में समझता हूँ कि उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। सही बात कहने का हौंसला बहुत कम लोगों में होता है।

सभापित महोदय, जैसा कि मैंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कालेधन का था। सारे देश में यह कहा गया था कि हम बहुत जल्दी इसको वापस लाएंगे। यह भी कहा गया था कि कालेधन के आने से देश की सारी समस्याओं का समाधान होगा। इतनी बड़ी रकम आएगी कि हमारे देश का विकास बहुत तेज़ी से बड़ेगा। हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। हमारे नौजवानों को रोज़गार मिल जाएगा और बहुत सारी बातें कही गई थी। लोगों ने यही सपना देखा और भारतीय जनता पार्टी ने यह सपना देश की जनता को दिखाया भी। लोगों ने सौ दिन इंतज़ार किया और अब छह महीने हो चुके हैं। लेकिन अभी तक उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ रही है। लोग बेचैन हैं कि आखिर हमारे प्रधान मंत्री को क्या हो गया है।

अभी सलीम साहब ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने भाषण में कहते थे कि उनका 56 इंच का सीना है। मुलायम सिंह जी से उन्होंने कहा कि उनका 56 इंच का सीना है। आज देश की जनता देखना चाहती है कि वह 56 इंच का सीना कहाँ गया? काले धन को वापस लाने के लिए वे अपने उस 56 इंच के सीने का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं?

महोदय, सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि विदेशों में जमा ब्लैक मनी की जाँच का मामला वह सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि, इस मामले में सरकार का रवैया विश्वसनीय नहीं है। अदालत ने कहा कि सरकार विदेशी खाताधारियों की जाँच कराने का कष्ट न करे। वह तो बस उनके नामों और खातों की लिस्ट अदालत को सौंप दे, बाकी काम अदालत खुद करेगी। औपचारिक रूप से यह कोई फैसला नहीं, सिर्फ एक टिप्पणी है, लेकिन जहाँ तक काले धन के प्रति सरकार के रवैये का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को एक मुकम्मल फैसला ही समझा जाना चाहिए। एनडीए सरकार भले ही खुद को गंगा की तरह पवित्र बताने में जुटी हो, लेकिन अपनी मौजूदगी के सिर्फ पाँच महीने में वह न्यायालय की नजर में अपनी साख खो चुकी है।

महोदय, अगर गवर्नमेंट को अपनी जवाबदेही का जरा भी अहसास है, तो ब्लैक मनी के बारे में उसे ईमानदारी बरतनी चाहिए और अपनी तरफ से इस बारे में जो कुछ भी वह कर सके, उसे वह करने में जुट जाना चाहिए। समय का अभाव है, अन्त में मैं बीजेपी के लोगों को उर्दू का एक शेर सुनाना चाहता हूँ-

"िक तुम आसमाँ की बुलन्दी से जल्द लौट आना। हमें जमीं के मसाइल पर बात करनी है।

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आनंदपुर साहिब): महोदय, विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए जो चर्चा सदन में हो रही है, मैं अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की ओर से इस चर्चा में शामिल हो रहा हूँ। यह चर्चा पिछले बहुत वर्षों से चल रही है और मैं समझता हूँ कि यह बहुत गम्भीर मामला है, क्योंकि, काला धन केवल देश की अर्थव्यवस्था को ही लाइन से नहीं गिराता है, बल्कि यह देश में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। इसके कारण बेरोजगारी की प्रॉब्लम होती है, अन्य कई तरह की सामाजिक प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं और इससे देश की सारी स्थिति लड़खड़ा रही है। सब कुछ होते हुए भी जो आज देश गरीब है, मैं समझता हूँ कि उसका एक बड़ा कारण यह काला धन भी है। जब देश आजाद हुआ था तो अमीर और गरीब का फासला बहुत कम था। आज अमीर और गरीब का जो फासला बढ़ा है, उसमें इस काले धन का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं समझता हूँ कि आज देश के सभी नेताओं को इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए कि काला धन कैसे पैदा होता है और वे कौन लोग हैं? वे बहुत थोड़े लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनकी पहचान नहीं हुई है। आज जो इस हाउस में चर्चा हो रही है, मैं तो यह समझ रहा हूँ कि जैसे साँप तो निकल गया है और लकीर को पीटा जा रहा है। ऐसी बातें अखबारों में आयी हैं, आपको भी मालूम होगा कि जब इस देश में काले धन की बात शुरू हुई और बैंकों की शर्तें लागू की गयीं तो काला धन पैदा करने वाले लोगों ने अपना पैसा विदेशों में रख लिया। जब विदेशों में से पैसा निकालने की बात हुई तो उन्होंने अपना पैसा रिअल एस्टेट में लगा लिया। जब मोदी साहब की सरकार के मैनिफेस्टो की बात करते हैं, जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो पब्लिश किया, विपक्षी पार्टी के कई ऐसे वजीर हैं, मंत्री हैं, जिनका अखबारों में नाम आया, उनके बैंक अकाउन्ट्स की डिटेल्स आयीं, उन्होंने पैसा निकाल लिया और बाद में ऐफिडेविट दे दिया कि हमारा तो कोई अकाउन्ट ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साँप तो निकल गया और अब लकीर पीटी जा रही है। इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिए। इसलिए इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। पहली बात यह है कि विदेशों में जो काला धन पड़ा है, वह किसी रूल, उसूल और शर्तों के तहत ही आएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब हमारे मित्र खड़गे जी बोल रहे थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि वे सरकार को बोल रहे थे कि आप लोगों को गुमराह न करें। जो लोग अपनी सरकार के समय 24 घंटे में 24 बार देश के लोगों को गुमराह करते रहे, आज इनको कहते हैं कि गुमराह न करें। ये राजनीतिक बातें करने के बजाय इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि यह धन कैसे वापस आ सकता है।

दूसरी बात में कहना चाहता हूँ कि देश में जो काला धन पड़ा है, उसको भी सामने लाना चाहिए तािक देश आगे बढ़ सके। हमारे नौजवानों को नौकरियों की ज़रूरत है और बैंक वाले पैसा नहीं देते, पैसा होता नहीं है। जो पैसा बाहर पड़ा है, जब वह आएगा तो देश की मदद होगी। यह केवल पैसा वापस लाने की बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि जो देश का पैसा बाहर ले जाते हैं, काला धन बनाते हैं, वे देशद्रोही हैं, वे देश के दुश्मन हैं। इसको इकोनॉमिक ऑफैन्स तो माना ही जाए मगर उन पर क्रिमिनल ऑफैन्स भी होना चाहिए तािक आगे से ये काला धन बनाने वाले लोग हौसला न कर पाएँ। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि मोदी साहब की सरकार ने जैसे सरकार बनते ही एसआईटी बनाई और आगे कदम बढ़ाए, सरकार की नीित और नीयत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे सरकार ने शुरूआत की है, इसको आगे बढ़ाया जाए और सख्ती से काम लिया जाए तािक देश में यह जो काले धन की बीमारी है, इसको सदा के लिए खत्म कर दिया जाए।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): सभापित महोदय, हमारे मित्र अनुराग जी यहाँ नहीं हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने कल कुछ बातें कही थीं। अनुराग जी ने कल कहा था कि हमारी सरकार न्याय की कसौटी पर खड़ी है। पुनः मुझको वह 56 इंच का सीना याद आ गया। नौ साल गुजरात में लोकायुक्त की बहाली न होना 56 इंच के सीने का नमूना है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया! फिर चुहिया की चुहिया! यदि आप देश को न्याय देने की बात करते हैं तो कम से कम इंसानियत और अपने घर को तो न्याय दे दीजिए जिसके बारे में अब मुझे कुछ नहीं कहना। पूरा देश जान रहा है कि किसको न्याय देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो बात यहाँ पर हो रही है, उसके पहले हम कहना चाहेंगे कि हम सब लोग अपनी अंतरात्मा में देखें। जो इंटरनेट पर और पूरे मीडिया पर देते हैं कि 25 हज़ार करोड़ रुपये या हज़ारों करोड़ों रुपये आपके प्रचार-प्रसार यंत्र पर लगे, ये किनके पैसे लग रहे हैं? हमाम में सब नंगे हैं! हम लोग यहाँ एक दूसरे को गाली देने बैठे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम-ए-गुलिरतां क्या होगा?

एक माननीय सदस्य: आप कहना क्या चाह रहे हैं?

श्री राजेश रंजन: हम साफ कहना चाह रहे हैं कि आप और हम, यहाँ बैठे हुए जो लोग काले धन पर चर्चा कर रहे हैं, हम पहले बाहर नहीं जाएँ। सब लोगों ने कह दिया है और हम भी कहना चाहेंगे कि जिन बाबाओं के बारे में आपका ओपीनियन बहुत अच्छा है, उनका काला धन आप कब निकालेंगे, उसके बारे में भी आप बताने की कृपा करें। मंदिर के तहखाने में किनके-किनके हज़ारों-लाखों करोड़ों और अरबों रुपये इस देश के हैं, उनके बारे में भी आप चर्चा करें। देश के भीतर जो कालाधन है, चाहे वह पूँजीपतियों का हो, बड़े कॉर्पोरेट घरानों का हो या पदाधिकारियों का हो, उनके बारे में क्या ओपीनियन है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।

आपके पास सूची है। सूची के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपका नेता क्या न्याय कर सकता है।...(व्यवधान) मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। पार्टीसिपेटरी नोट के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज और रीयल एस्टेट में निवेश होता है और यही से काला धन बनता है।...(व्यवधान) स्पेशल सर्किल आफ ब्लैक मनी के लिए सेबी और रिजर्व बैंक ने पार्टीसिपेटरी नोट को बंद करने के लिए कहा था लेकिन आज तक सरकार ने इसे बंद नहीं किया। काला धन जैसे मुद्दे पर काला धन वापिस लाने और काला धन भेजने जैसे कार्य लगातार जारी हैं। जब तक सेबी और रिजर्व बैंक की सलाह को सरकार मान नहीं लेती है, तब तक आप

काला धन कैसे वापिस लाएंगे। दूसरी तरफ किसी दूसरी विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा जितना भी काला धन देश में आया है, उसकी जांच के बारे में भी आपसे कहा गया है।

तीसरी बात यह है कि विदेशों से जो काला धन रीयल स्टेट में लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो आप रीयल स्टेट में छूट देने की बात कह रहे हैं, क्या यह काला धन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। क्या आपकी सरकार काले धन को बढ़ावा नहीं दे रही है? संस्थागत निवेशक एफआईआई के माध्यम से भारत में जो पैसे आ रहे हैं और भारत से जो पैसे जा रहे हैं मैं इस बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि इनके बारे में आपकी क्या राय है। मुझे बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि सलीम साहब ने जिन बातों को उद्धत किया है, मैं उनकी बातों से और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बातें कही हैं मैं उनकी बातों से सहमत हूं लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमेशा कांग्रेस को गाली, यूपीए को गाली, आप गाली देने के लिए नहीं हैं। आप ब्लैक मनी बाहर से लाएं या कहीं से भी लाएं, आपने वायदा किया है कि हिंदुस्तान के एक गरीब को 15 लाख रुपए मिलेंगे। आप वह 15 लाख रुपया देंगे या नहीं देंगे, यह बहुत बड़ा सवाल है। आप पैसा कहां से लाएं या नहीं लाएं, इसे आप देखें। जो सरकार दलालों, बिचौलियों, मुझे आश्चर्य है कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना आपने दुनिया को दिखाया है। इतना बड़ा सपना, नटवर लाल और चाल्स शोभराज भी आपके सामने फेल हो गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जिन सपनों पर हिंदुस्तान के किसानों को, नौजवानों को, गरीबों को ठगा है, लूटा है, उसके बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा - "रामपाल ने लूटा कबीर के नाम पर, आशा राम ने लूटा हरिओम के नाम पर, बीजेपी ने लूटा राम मंदिर के नाम पर और मोदी जी ने लूटा छह दिन के नाम पर। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आपकी नीयत और नीति दोनों में फर्क है। आप अपने प्रधानमंत्री जी से जरूर कहें कि यदि उनका 56 इंच का सीना है, तो निश्चित रूप से इस देश के भीतर जो काला धन है जो दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट नेता, कोरपोरेट घरानों की जो तालमेल और घालमेल है, उसे समाप्त करने का सबसे पहले प्रयास करें। देश के भीतर के काले धन को रोकने का प्रयास करें और जो रीयल स्टेट के नाम पर अलग-अलग, एफडीआई के नाम पर या एफआईआई के नाम पर जो देश में पैसा लाने की बात हो रही है और आप पैसे से देश में हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकार बनाए जा रहे हैं, आपको कोई मैनडेट नहीं मिला है। आप शिवसेना के साथ होते, तो आपको पता चल जाता, महाराष्ट्र में आप सरकार नहीं बना पाते। आपने शिवसेना से अलग हो कर, बिहार और यूपी का वोट लेकर सरकार बनाई है। यहां आपने गैर जाटों का नारा देकर सरकार बनाई है। आपने अपने बल पर सरकार नहीं बनाई है, आपको कोई मैनडेट नहीं मिला है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप इस देश के सबसे बड़े देश के नौजवानों, गरीबों को ठगा है। आपको देश के 120

करोड़ लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी इस जन्म में काला धन वापिस नहीं ला पाएंगे। जब अमरीका काला धन वापिस नहीं ला पाई, अमरीका जब समझौता कर सकती है तो नरेन्द्र मोदी जी, जिस अमरीका जाने के लिए आप परेशान हैं, तो आप कहां से काला धन लाएंगे। यही सही बात है और यही सबसे सही है।

श्री भगवंत मान (संगरूर): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज एक बहुत ही गंभीर विाय पर बहुस चल रही है। लोगों से जो वायदा किया गया था, इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में चर्चा करने का वायदा नहीं किया गया था। सौ दिन के भीतर पैसे वापस लाने का वायदा किया गया था। अब कहा जा रहा है, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। कहीं एक भी चुनावी भााण में बी.जे.पी. के किसी एक भी नेता ने कहा था कि हमें वोट दीजिए, हम सौ दिन के भीतर-भीतर संसद में कालेधन पर चर्चा करवाएंगे। आपने कहा था कि कालाधन वापस लाएंगे। चर्चा तो आडवाणी जी ने दिसम्बर, 2011 में करवा ली थी। कांग्रेस पार्टी ने उस समय जो जवाब दिया था कि इंटरनेशनल एग्रीमेंटस है, इसलिए कालेधन को वापस लाने में दिक्कतें आ रही हैं। वही जवाब आज सुप्रीम कोर्ट में बी.जे.पी. ने दिया है। सिर्फ कुर्सियों पर संसद में जो माननीय सदस्य बैठे हैं, वे बदल जाते हैं, लेफ्ट वाले राइट आ जाते हैं, राइट वाले लेफ्ट आ जाते हैं। लोगों की किस्मत नहीं बदलती। आप एक-दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, 2011 में यह कहा था, 2009 में यह कहा था, लेकिन आप लोगों ने तो आंकड़े दे दिए थे कि 15-15 लाख हर भारतीय के खाते में आ जाएगा। जब आपने जनधन स्कीम में लोगों के खाते खुलवाए तो लोगों को खुशी हुई कि शायद इन्हीं खातों में 15-15 लाख आएगा। अब आप कह रहे हैं कि नहीं-नहीं, यह तो बहुत मुश्किल है। पहले आपने आठ सौ नामों की बात की, फिर सात सौ की बात की, उसके बाद आपने 627 नाम दिए। वह 73 नाम कौन से हैं, जो आपने छिपा लिए? अब राधा टिम्बलू का नाम आ रहा है, जिसकी कम्पनी इल्लिगल माइनिंग में ब्लैक लिस्टेड है। उसका नाम उस लिस्ट में है। उसने एक करोड़ 18 लाख रुपए बी.जे.पी. को चन्दा दिया और 65 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी को चन्दा दिया। इसका मतलब आप दोनों पार्टियों को पता है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैं। आप उनसे चन्दा लेते हैं। पहले अपना काला मन साफ करो, फिर आ पाएगा कालाधन। यूपीए थ्री की गवर्नमेंट मुझे लग रही है, वित्त मंत्री, श्री अरूण जेटली जी का जो कल बयान था, वह तो मुझे लग रहा है चिदम्बरम साहब बोल रहे हैं। आम जनता पूछ रही है कि हमारा पैसा, हमारी मेहनत का, हमारे खून-पसीने की कमाई का पैसा जो विदेशों में पड़ा है, वह कब आएगा?

16.56 hrs (Hon. Speaker in the Chair)

मैं इसी बात पर एक छोटी सी कविता बोल कर बैठ जाऊंगा। "कालेधन के बारे में कहा गया बी.जे.पी. की ओर से, कालेधन का मुद्दा उठाया गया पूरे जोर से, कहते थे हमारा तो बहुत मजबूत इरादा है, सौ दिन के अंदर-अंदर कालाधन वापस लाने का वायदा है, सरकार जी, सौ दिन तो कब के निकल गए, क्या योग गुरु के साथ आपके इरादे भी पिघल गए, पूरे देश की जनता के मन में यह सवाल है, भगवंत

मान का भी यही ख्याल है कि कब खुलने वाला स्विस बैंक का ताला है, चलो अच्छे दिन तो नहीं आए, यह बता दो कालाधन कब आने वाला है।"

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। "अजीब दास्तां हैं ये, कहां शुरू, कहां खत्म।" Koenraad Elst की एक बहुत अच्छी किताब है, Negationism in India. हिन्दुस्तान के आदमी को भूलने की बड़ी बीमारी है, बड़ी जल्दी-जल्दी भूल जाते हैं। तारीक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, हमने कहा कि नहीं आएगा। यह एक रिपोर्ट है, लिचेंसटाइन जो बैंक है, उस बैंक की एक रिपोर्ट है। उस बैंक की रिपोर्ट में एक बड़ा अच्छा जिक्र है कि हर्ष रघुवंशी जी पीआईएल किया है और पीआईएल में उन्होंने कोट किया है - He said: "Member of Parliament Nishikant Dubey had disclosed in the House how funds of Leelavati Hospital were being siphoned and used by these individuals to buy stakes in banking institutions." उन्होंने और क्या-क्या कहा, मेरे भाषण को कोट करते हुए उन्होंने कौन सी बात कही। उन्होंने कहा - "Some of the individuals are on the Board of Directors of the ING Vysya Bank and are co-promoters of IndusInd Bank, trustees in the State supported charitable trust, Leelavati Hospital and even own a Cricket Team in the Indian Premier League, the Kochi Team."

<u>17.00 hrs</u>

कोच्चि टीम के मालिक कौन थे, मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यूपीए सरकार के मंत्री थे और मेरा ही एडजर्नमेंट मोशन था, जिसके बाद उस समय की सरकार ने उनको मंत्री पद से हटा दिया। नीरा राडिया का केस हुआ। नीरा राडिया का मुद्दा इस पार्लियामेंट में वर्ष 2009 में मैंने उठाया था। इसके बाद टू जी का इतना बड़ा घोटाला हो गया। तारिक भाई, इस देश में भूलने की बड़ी बीमारी है। तीन साल में ही ये भूल गए। 7 अप्रैल, 2011 का सुप्रीम कोर्ट में हर्ष रघुवंशी का इंटरवेंशन था। उनकी तरफ से रामजेठमलानी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण आदि लोग एपियर हुए थे। उसके बाद एसआईटी का इस देश में निर्माण हुआ था। एसआईटी के निर्माण में जो भूमिका है, उसमें 15वीं लोक सभा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी भूमिका है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए।

में मुलायम सिंह यादव जी को देख रहा हूं। यहां नारों की बात चल रही है, बड़े नारों की बात चली। चिकमगलूर का चुनाव हुआ। तब कहा गया - एक शेरनी, सौ लंगूर, चिकमगलूर, चिकमगलूर। कौन है लंगूर? मुलायम सिंह यादव जी, जब आप बगल में बैठते हैं तो मुझे आपके ऊपर बड़ी हंसी आती है। ...(व्यवधान) एक शेरनी, सौ लंगूर, चिकमगलूर, चिकमगलूर। लंगूर कौन था?

गरीबी हटाओं का इस देश में नारा आया। जब वर्ष 1969, 1970, 1971 में बैंक का नेशनलाइजेशन हो रहा था, कोल का नेशनलाइजेशन हो रहा था, कांग्रेस पार्टी की नेता ... * ...(व्यवधान) जो अब नहीं हैं, उनका इस देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। वह बोलती थीं कि जैसे ही बैंक का नेशनाइजेशन हो जाएगा, सारे गरीबों के यहां पांच-पांच हजार रूपए चला जाएगा। उस वक्त पांच-पांच हजार रूपए महत्वपूर्ण थे। यदि कोल का नेशनलाइजेशन हो जाएगा, इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कहा है, मैं सब कुछ उठाकर लाया हूं। ...(व्यवधान) इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कहा ...(व्यवधान) मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नाम मत लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: किसी का नाम नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे : जब आपकी बात होगी, तब आप अपनी बात रखिएगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने कह दिया है कि नाम नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे : वर्ष 1971 में गरीबी हटाओं के नारे पर आए या नहीं, क्या इसमें भी कोई दो मत हैं? तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आयी है कि चालीस परसेंट लोग आज भी गरीब हैं। गरीबी हटाओं के नारे के बाद क्या कांग्रेस पार्टी ने यह जवाब दिया? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उससे पूछा कि गरीबी हटी या नहीं? ...(व्यवधान) चालीस परसेंट लोग अभी भी गरीब हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: निशिकांत जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे : महोदया, आपने भी इस सदन में खड़े होकर कहा कि काली छतरी लेकर लोग आ रहे हैं। आज मैंने देखा कि काला शॉल लेकर आ रहे हैं। मेरे मन में आया कि इस डिबेट में काले धन पर ये सारे लोग एक्टिव क्यों हो गए हैं? कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ये सारे कुनबे एक साथ एकत्रित क्यों हो गए हैं? मैंने इस पर बड़ा ध्यान दिया। यह बिना मौसम बरसात हो रही है। लंदन की तरह लोग छतरी लेकर यहां आ गया हैं। अभी गर्मी है, काला शॉल लेकर आ गए हैं।

-

^{*} Not recorded.

जन-धन योजना में छः हजार करोड़ रूपए आ गए। इसमें सभी गरीबों का खाता खुल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। वैंकैय्या जी ने अभी बहुत सारी बातें कहीं। प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, ब्रिक्स में जा रहे हैं, आस्ट्रेलिया जा रहे हैं, सभी जगह उनका स्वागत हो रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपना बेस कहीं न कहीं हिलता हुआ नजर आ रहा है।

अभी जो रिजल्ट आए हैं, उसे आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस हरियाणा लॉस कर गयी, महाराष्ट्र लॉस कर गयी। मुलायम सिंह जी को पता है कि जितनी सीटें आपने बाई-इलेक्शन में जीती हैं, बहुजन समाज पार्टी के नहीं खड़ा होने के बाद आपको उतनी सीटें मिल गयी हैं। आपकी भी जमीन हिली हुयी है। आरजेडी वाले यहां बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप खड़ा करके देख लीजिए। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे : आरजेडी का जेडीयू के साथ उन सीटों पर समझौता हो गया, जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की थीं। जब जनरल इलेक्शन आएगा, तो आपको भी खबर आ जाएगी कि आपकी 121 सीटें हैं, उनमें से कितने का बंटवारा करेंगे? सभी आदमी अपना पॉलिटिकल वजूद बचाने के लिए, क्योंकि किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है और प्रधानमंत्री की इमेज इतनी बड़ी हो रही है, तो इन सभी ने मिलकर सोचा कि तिनका-तिनका एक करके, डूबते को तिनके का सहारा होना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि कोई मुद्दा नहीं है तो ब्लैक मनी के मुद्दे पर बातचीत कर ली जाए। ... (व्यवधान)

महोदया, मुद्दा कितना डीरेल हुआ? डिबेट का लेवल आप देखिए, कौन चोर, कितना चोर? बड़ा अच्छा आपने लिखा है, खड़गे साहब कोट कर रहे थे कि बैंक का एनपीए हो रहा है। स्पीकर महोदया, छः महीने में इस सरकार ने तो एन.पी.ए. नहीं कर दिया, साढ़े छः लाख करोड़ रुपए का एन.पी.ए. है, इस सरकार ने पांच लाख करोड़ रुपए राइट-ऑफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद तीन लाख करोड़ रुपए माइन्स में एक्सपोजर, खत्म हो रहा है। चार लाख करोड़ रुपए के पावर प्लांट बने हुए हैं, जो खत्म होनेवाले हैं और तीन लाख करोड़ रुपए बेसील नॉर्म्स के आधार पर सरकार को बैक्स में इंफ्यूज करना है। इसका सत्तर लाख करोड़ रुपए टोटल एक्सपोजर है,...(व्यवधान) मेरे पास पूरे लिस्ट हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा बार-बार नहीं होना चाहिए। कृपया आप अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Nishikant Dubeyji is saying.

(Interruptions) ...*

श्री निशिकान्त दुबे : जिन सौ कंपनियों को आपने दस साल में लोन दिए हैं, जिनकी बुरी स्थिति है, जोिक घाट में हैं और यदि इस सिचुएशन में बैंक्स कोलैप्स कर जाएंगे तो दोष किसको, कौन चोर तो "टेकना चोर', "Éc AxÉ.bÉÒ.A. xÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä n°É °ÉÉãÉÉå àÉå nä¶É BÉEÉ BÉE¤ÉɽÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, <°ÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä °ÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* मिल्लकार्जुन खड़गे, साहब ने बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कहा कि हमारे नेता ने यह कहा, हमारे नेता ने वह कहा। मैडम सोनिया जी बैठी हुई हैं तो मुझे बहुत सुविधा है। इन्होंने 27 अप्रैल, 2009 में, मैंगलोर में पार्टी वर्कर्स की मीटिंग एड्रेस की, उसमें उन्होंने कहा -

"If elected, would work to bring the black monies illegally stashed away by Indians abroad."

पांच साल में कितना पैसा आया, इसके बारे में क्या आपने पूछा? ...(व्यवधान) इतना ही नहीं, कहा कि रामदेव बाबा के बगल में प्रधानमंत्री जी ने मूड़ी हिला दिया, इसलिए वह भी दोषी हैं। ...(व्यवधान) यह वर्ष 1991-92 का मनमोहन सिंह जी का बजट है। मैं सब चीजें ले कर आया हूं। उन्होंने बजट में कहा है -

^{*} Not recorded.

"Nobody can deny the existence of large scale tax evasion, both in terms of income and in terms of wealth. Unless I find substantial improvement in tax compliance in the next few months, Government will have no choice but to take strong measures to make the tax evader pay a sufficiently high price for such delinquency. Before coming down heavily on tax evaders, I would like to give them a last opportunity to come clean. The black money so mobilised will be utilised for the achievement of social objectives such as slum clearance and low cost housing for the rural poor."

यह उन्होंने वर्ष 1991 में कहा है। वर्ष 1991 से लेकर 23 साल तक कितने स्लम्स क्लीयर हुए और कितने रूरल हाउसिंग हो गई, सरकार को यह बताना चाहिए। ...(व्यवधान) यह मनमोहन सिंह जी का बयान है। ...(व्यवधान)

ए.पी.सिंह साहब के बारे में वैंकेय्या नायडू जी बोल चुके हैं। ...(व्यवधान) इसी में, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस ग्लोबल ट्रांसपरैंसी का एल.के. आडावाणी जी के संबंध में जिक्र किया गया, प्रणव मुखर्जी साहब ने "व्हाइट पेपर" में लिखा है -

"During the recent winter session of Parliament, Union Finance Minister Pranab Mukherjee had promised to bring out a white paper on black money. Quoting figures of Global Financial Integrity, he had said that from 1948 to 2008, about \$213 billion was stashed away by Indians in foreign banks. "At the current value, this would amount to \$462 billion," Mukherjee had said."

"Thirteen years ago the Wanchoo Committee Report depicted the phenomenon as a cancerous growth in the country's economy which, if not checked in time, will surely lead to its ruination."

जब आपने इसे कैंसर बना दिया तो आप चाहते हैं कि कैंसर का इलाज सौ दिन में कर दीजिए। यह 1971 की वांचू कमेटी की रिपोर्ट है जो श्रीमती गांधी ने बनाई। स्पीकर महोदया, कांग्रेस की एक आदत है कि जब इनकी इच्छा होती है एक कमेटी बना देते हैं। उससे पहले एक सांतन कमेटी बनी।...(व्यवधान) सांतन कमेटी कहती है कि इसके बढावे में शुगर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। जब चीजें बढती गईं, वांचू कमेटी बनी, चोपड़ा कमेटी बनी, काकोदकर कमेटी बनी, कालोदकर कमेटी बनी। जब हजार कमेटी बन गईं तो जिस तरह अभी एसआईटी के बाद तीन एजैंसियों को दे दिया, महताब साहब ने बताया कि एसआईटी क्यों नहीं बनी। इसके बाद इन्होंने शंकराचार्य, राजा चलैय्या इन सबके नेतृत्व में, जब 1980-81 में फिर से श्रीमती गांधी आईं तो एक कमेटी की रिपोर्ट आई जो 1985 में इस पार्लियामैंट में डाली गई। उसमें उन्होंने कहा कि किस कारण ब्लैक मनी जनरेट हो रही है । ब्लैक मनी जो स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स इवेजन है, उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार की कमेटी की रिपोर्ट है। 1985 में जब माननीय राजीव गांधी जी इस देश के प्रधान मंत्री थे, उन्हें इस कमेटी की रिपोर्ट दी गई। 1983 में श्रीमती गांधी ने कमेटी बनाई थी। मैं सरकारी कमेटी की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इफैक्टिवनैस टैक्स एडिमनिस्ट्रेशन का नहीं हो रहा है, कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक एक्टीविटी नहीं हो रही है, जनरल लॉज़ एंड रैगुलेशन का पालन नहीं हो रहा है, पोलीटिकल फाइनैंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गवनैंस स्पैंडिंग की स्केल और एकाउंटेबिलिटी पूरी नहीं हो रही है, स्टैन्डर्ड ऑफ पब्लिक मॉरैलिटी खत्म हो रही है और इनफ्लेशन खत्म हो रहा है। आपने इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। 1985 से आप कितनी बार सरकार में आए। 1985 में आए, 1991 में आए, उसके बाद 2004 में आए, 2009 में आए।...(व्यवधान)

मेरे कुछ प्रश्न हैं कि एसआईटी क्यों बनी। एसआईटी में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। मैं उसे भी कोट करूंगा कि इस देश में इस तरह का माहौल क्यों बना। माहौल इसलिए बना कि ब्लैक मनी जनरेशन के लिए जो कानून है, उसे कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किया। ब्लैक मनी किस-किससे जनरेट हो रही है। व्हाइट पेपर कहता है कि आउट ऑफ बुक ट्रांजैक्शन हो रही है, पैरलल बुक्स ऑफ एकाउंटस मेनटेन हो रहे हैं, मैनिपुलेशन ऑफ बुक एकाउंट हो रहा है, मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स रिसीट हो रही है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, मैनिपुलेशन ऑफ एक्सपैंसेज हो रही है, अदर मैनिपुलेशन ऑफ एकाउंटस हो रहा है, मैनिपुलेशन ऑफ एकाउंटस हो रहा है, मैनिपुलेशन ऑफ कैपिटल हो रहा है। यह आपका ही व्हाइट पेपर कह रहा है यानी शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, इस जाल में कोई फंसना नहीं। लैंड एंड रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा

है, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी ज्यादा अच्छा बताएगी। बुलियन एंड ज्वैलरी का ट्रांजैक्शन हो रहा है। फाइनैंशियल मार्किटिंग का ट्रांजैक्शन हो रहा है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट जिसमें करप्शन हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आप केवल बताते रहे कि ये-ये कॉज़ हैं। इन्हें रोकने के लिए आपने कौन से उपाय किए।...(व्यवधान) हमें अभी छ: महीने हुए हैं।...(व्यवधान) इन्फार्मल सैक्टर में क्या हो रहा है, एक्सर्ट्नल ट्रेड में क्या हो रहा है, ट्रस्ट में पैसे डाले जा रहे हैं। जब कोई एक्शन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जब यह डाला गया तो मेरे कांग्रेस पार्टी से कुछ प्रश्न हैं।...(व्यवधान)

हसन अली का मामला ऐसा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है कि उसके पास 71 हजार करोड़ रूपये फंसे हुए हैं!...(व्यवधान) हसन अली कौन है? हसन अली को कांग्रेस पार्टी ने कैसे बचाया। इस सरकार ने हसन अली को तीन-तीन पासपोर्ट दिए। वह तीन पासपोर्ट रखने के जुर्म में जेल में जाता है। उसके बाद उसे इमीडिएटली अस्पताल में भर्ती किया जाता है। मेरा कहना है कि क्या उसे अस्पताल में भर्ती करने के लिए किसी सरकार ने इजाजत दी? क्या पुणे और मुम्बई की पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पाई? इंस्पैक्टर क्राइम भानुप्रताप जो पुणे में बेस्ड थे, उन्हें किस आधार पर ट्रांसफर किया गया? ईडी ने उन्हें दिसम्बर, 2007 में जो नोटिस दिया, उसके बारे में सरकार ने क्या किया?...(व्यवधान) में हसन अली की बात कर रहा हूं कि एसआईटी क्यों बनी।...(व्यवधान) उसका संबंध युसुफ लकड़वाला से था या नहीं? उसका संबंध अगना खाशोगी से था या नहीं? मैडम सोनिया जी, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लिट्टे के साथ उसके संबंध थे या नहीं? प्रभाकरण को उसने फंड दिया या नहीं? जब आप हसन अली जैसे लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमैंट आता है। उसने हसन अली को बड़ा अच्छा कोट किया है। हसन अली को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट है जिसके लिए आप एसआईटी नहीं बनाने के लिए अड़ गए।...(व्यवधान) हम सब बतायेंगे।...(व्यवधान)

"The bank in which the money has been stashed by Hasan Ali Khan was UBS, Zurich. The needle of suspicion has to be inexorably turned to high level political interference and hindrance to the investigation." यह मैं नहीं कह रहा, यह सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, जिसके आधार पर एसआईटी बनी है। वह कह रहा है कि पोलिटिकल इंटर्फिरन्स हो रहा है, हिन्दून्स डाला जा रहा है। "The said bank, it was submitted, is the biggest or one of the biggest wealth management companies in the world. The petitioner also narrated the mode and the manner in which the United States had dealt with UBS with respect to monies of American citizens secreted away with the said bank." यह सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है कि आप यूएस की तरह कोई काम करने का प्रयास करें। ...(व्यवधान) आप

हसन अली को बंद करों, आप क्रेडिट स्क्वीज़ और यूबीएस जैसी जो संस्था है, उसे करों। ...(व्यवधान) मैं यह नहीं कहता मैंने कोट नहीं किया कि प्रतिभा पाटिल जी ने क्या कहा? मैंने यह नहीं कहा कि प्रधान मंत्री जी ने क्या कहा, इसी पार्लियामैंट में क्या कहा? ...(व्यवधान) मेरा यह कहना है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पहले लोग आप पर हंसेंगे और हंसने के बाद आपको काम नहीं करने देंगे। जब आप काम करके जीत जायेंगे, तो कुछ बातें होंगी। ...(व्यवधान) यह सरकार कुछ काम करने का प्रयास कर रही है, ब्लैक मनी को लाने का प्रयास करती है। बंद मुट्ठी से कोई हाथ नहीं मिलाया जा सकता। कहीं न कहीं रास्ता निकालने की बात होती है। यह सरकार अपनी पूरी ताकत से, पूरे जोशो-खरोश से, जो भी ताकत है, जो भी बुद्धि है, डीटीए का सवाल है, उसके लिए सैक्रेट्री रेवन्यू स्विटजरलैंड गये थे। उन्होंने कहा है कि केवल वही नहीं, जो एचएसबीसी से नाम आये हैं या लिचेंस्टाइन बैंक से आये हैं, उतना ही नहीं, इसके अलावा हम जो इनकम टैक्स देते हैं। क्योंकि जिस ब्लैक मनी की बात पण्यू यादव जी, आप कर रहे थे, आपको पता है कि इस देश का सबसे बड़ा रेड अभी हुआ है। जितना बड़ा कैश अभी पकड़ा गया है, हिन्दुस्तान के इतिहास में इतना कैश किसी भी सरकार ने किसी भी रेड में नहीं पकड़ा है। चाहे ब्लैक मनी इंटरनल जनरेशन का सवाल हो, चाहे ब्लैक मनी आउट साइड जनरेशन का सवाल हो, यदि इनकम टैक्स के सर्च एंड सीजर में किसी आदमी को पकड़ेगी, तो उसका भी इन्फोर्मेशन देगी।

माननीय अध्यक्ष: अब आप अपनी बात कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे : आटोमेटिक टैक्स एक्सचेंज आ रहा है। आप विश्वास कीजिए कि इरादा करने वालों को शांति दीजिए, काम करने वालों को समय दीजिए और भानुमती के कुनवे की तरह अपने आपको जोड़ने का प्रयास न कीजिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री बदरुद्दीन अजमल।

आप थोड़े शब्दों में अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

श्री वदरुद्दीन अजमल (धुवरी): अध्यक्ष महोदया, मैं एक मिनट मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं यहां सबको खुश करने के लिए आता हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 'उम्र-ए-दराज मांग कर लाये थे चार दिन, दो आरजू में कट गये, दो इंतजार में।' आजादी के जमाने से यह झगड़ा शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। हकीकत क्या है? मैं इसमें डाउटफुल हूं कि कहीं ब्लैक भी कुछ है या नहीं और कहीं सफेदी भी कुछ है या नहीं। मैंने सफेद कपड़ा पहना हुआ है, यह मैं जानता हूं और ब्लैक भाई, मेरे अभी जो कह रहे थे, वे बहुत अच्छे लेक्चरार हैं। यहां बैठे हुए भी सभी अच्छे लेक्चरार हैं। बहुत जल्दी जैकेट का भी जमाना आयेगा। लेकिन हकीकत यह है कि इस मामले को सीरियसली लिया जाये। हम दोनों पक्ष के लोगों से यही कहेंगे कि भाई, इसे सीरियसली लो, नहीं तो एक आदत हो गयी है, परम्परा है कि यहां वाले आपोजिशन में चलायेंगे और वहां वाले अपने आपको बचाने में चिल्लायेंगे और मसले का कोई हल नहीं निकलेगा। अगर मसले का हल निकालना है, तो सब मिलकर संजीदगी से बैठें और वाकई ही काले धन को, जो अंदर है या बाहर, जो काला हिस्सा हमारे अपने कपड़ों में छिपा हुआ है, उसे भी हम उजागर करने की कोशिश करें।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्ज़ापुर): माननीय अध्यक्ष जी, लगभग पूरा सदन इस बात पर सहमत है कि कालाधन राष्ट्रीय संपदा है और इसका उपयोग देश के विकास के लिए होना चाहिए। दुर्भाग्यवश कालेधन का उपयोग ड्रग ट्रैफिकिंग, आतंकवाद जैसे तमाम राष्ट्र विरोधी कार्यों के लिए किया जा रहा है। हमारे सामने कालेधन के संबंध में दो बड़े सवाल और चुनौतियां हैं। पहला प्रश्न यह है कि हमारे देश में कालेधन की उत्पत्ति हो रही है, उस पर किस प्रकार रोक लगाई जाए। दूसरी चुनौती यह है कि विदेशी बैंकों में जो कालाधन जमा है उसे भारत में कैसे वापस लाया जाए।

जहां तक पहली चुनौती का सवाल है, अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ परिवर्तन करके कालेधन की उत्पत्ति पर रोक लगाना संभव होगा। हमारे देश में एक समय पर एक, दो और पांच रुपए जैसे छोटे नोटों का प्रचलन था लेकिन धीरे-धीरे यह समाप्त हो गया। यह जरूरी है कि छोटे नोटों के प्रचलन को फिर से शुरु किया जाए। 500, 1000 रुपए जैसे बड़े नोट, जो मुख्य रूप से कालेधन की उत्पत्ति के कारण हैं, इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। 500 रुपए के नोटों की संख्या को सीमित किया जाए। आज 1000 रुपए के नोट इसका बहुत बड़ा कारण बन चुके हैं, उसके चलन को रोकने पर सरकार को विचार करना चाहिए।

दुनिया के तमाम देशों में ट्रांजेक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम को लागू किया गया है और इसे सफल रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी व्यवस्था को हमारे देश में लागू करने के लिए नीति निर्धारण के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। जब तक यह परिवर्तन नहीं किए जाएंगे तब तक संभव नहीं होगा कि देश की सीमा के अंदर कालेधन की उत्पत्ति पर रोक लगाई जा सके। देश की 95 प्रतिशत पूंजी 10 प्रतिशत लोगों के हाथों में केंद्रित है जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है, यदि ये परिवर्तन नहीं किए गए तो इसे हम कभी रोक नहीं पाएंगे और न ही देश में कालेधन की उत्पत्ति और कारोबार पर रोक लगा पाएंगे।

जहां तक दूसरी चुनौाती की बात है जो विदेशी बैंकों में जमा कालाधन देश में लाने के संबंध में है। सरकार ने इस पर अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। जी-20 सम्मेलन में जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समूह को एकजुट करने का साहस दिखाया है, यह अपने आप में एक उदाहरण है। माननीय मोदी जी और उनकी सरकार जिस प्रकार 88 देशों के साथ डबल टैक्स एवाइडेंस एग्रीमेंट का निष्ठापूर्वक पालन करना चाह रही है, यह भी अपने आप में सरकार की संकल्पबद्धता को साबित करता है।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने सदन में कुछ देर पहले बताया कि 26 मई को सरकार के शपथ ग्रहण के बाद 29 मई को होने वाली कैबिनेट की प्रथम बैठक में एसआईटी के गठन के संबंध में निर्णय लिया गया। इसके बाद एसआईटी का गठन भी हुआ। जून में 627 लोगों के नाम की सूची भी एसआईटी को सौंपी गई। अब एसआईटी द्वारा जांच की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। इतने प्रयासों के बावजूद जो कार्य पिछले साठ वर्षों में तमाम सरकारों ने नहीं किया और अब मोदी सरकार से उम्मीद की जा रही है कि छः माह के अंदर सरकार यह काम कर लेगी तो यह हास्यास्पद है। ऐसे कार्यों के लिए सरकार को निश्चित रूप से समय देना चाहिए। सरकार को समय मिलना चाहिए और विपक्ष में भी धैर्य होना चाहिए। कल और आज सदन में सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के उपरांत एसआईटी का गठन हुआ। सच यह है कि मोदी सरकार ने अंततः किन्हीं भी परिस्थितियों में एसआईटी का गठन किया लेकिन पिछली सरकार ने तीन साल तक उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हस्तक्षेप और दिशा निर्देशों के बावजूद एसआईटी के गठन में किसी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं दिखाई थी।

जहां तक अंतर्राष्ट्रीय समूह में एकजुटता बनाने की बात है, हो सकता है पूर्व की सरकारों ने तमाम प्रयास किए हों। लेकिन जहां तक देश और दुनिया में कालेधन के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समूह में एकजुटता के संदेश भेजने की बात है, यह उपलब्धि सिर्फ मोदी सरकार के खाते में जाती है। इससे पहले यह संदेश देश और दुनिया के बीच कभी नहीं गया था। आज देश के बहुत बड़े समूह को मोदी सरकार से बहुत अपेक्षा है। में सरकार से सदन में अपील करती हूं कि कालाधन अगर राष्ट्रीय संपदा है तो इसे राष्ट्रीय संपदा घोषित करने के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो विधेयक लाएं, कानून बनाएं क्योंकि यह राष्ट्र की संपत्ति है। यह देश के उन मेहनतकश, गरीब, दिलत, पिछड़े समूह के सर्वहारा वर्ग के लोगों की संपत्ति है, जिन्हें मोदी जी से विशेष उम्मीद है। इस उम्मीद की बहुत बड़ी वजह है क्योंकि मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक सामान्य चाय बेचने वाले से देश के प्रधानमंत्री बनने का सफर तय किया इसलिए वह भी उस पिछड़े, गरीब सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो यह उम्मीद लगाये बैठा है कि जब यह पैसा देश के अंदर वापस आएगा, तो उसे देश के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। नेपाल के जनकपुर में बैठा एक साधारण-सा चाय वाला भी यह उम्मीद करता है कि यदि मोदी जी उसके जनकपुर में प्रवेश कर लेंगे, तो उनके जनकपुर का सुधार हो जाएगा, जो उनकी सरकार के रहते नहीं हो पाया है। माननीय मोदी जी से लोगों में उम्मीदों का

यह स्तर है। इसलिए आज मैं सदन से अपील करती हूँ कि हमारी सरकार कालेधन को राष्ट्रीय सम्पदा घोषित करने के सम्बन्ध में प्रयास करे और उसे देश में वापस लाए और साथ ही कालेधन की उत्पत्ति को देश के अंदर रोकने के लिए कारगर उपाय निकाले। हमारे देश का जो 90 प्रतिशत तबका शोषित, कमजोर, दिलत-पीड़ित है, वे उस पैसे से देश के विकास की उम्मीद लगाये बैठे हैं और यह सरकार के प्रयास से ही संभव हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Madam Speaker, I thank you very much for giving me this opportunity for making my small observation on this very important topic.

We had a similar discussion in the past also. On December 14, 2011, there was a threadbare discussion on black money. There was a motion moved by Shri L.K. Advani on the same subject and the then Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee replied to that. In that reply, he had narrated the steps taken by the UPA Government in unearthing unaccounted money, curbing ill-motivated action of tax evading and tax avoiding. Now, the BJP is criticising that the UPA Government did nothing and they have done a lot of things. Shri Pranab Mukherjee in his reply had proudly announced on the floor of this House that the UPA Government was able to unearth Rs. 66,000 crore of unaccounted money. Similarly, the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh in G-20 Summit had declared and appealed to the world that:

"G-20 countries should take the lead in agreeing to automatic exchange of tax-related information with each other, irrespective of artificial distinction such as present or past, tax evasion or tax fraud in the spirit of our London Summit that the era of bank secrecy is over."

Similarly, he was inviting the attention of the world to this very vital issue. A lot of things were done during that period and I do not want to go into details of those things.

The BJP leaders were saying that they have done a lot of things from their side. We can very well understand the dilemma of the BJP. They are having their own problem in swallowing the slogans they had raised during the last election. During the last election, on this subject, they made capital out of it. At that time, it was one-step forward and now, the BJP is following a two-step backward strategy in this regard. Shri Venkaiah Naidu is here now. He was explaining the calculation of 100 days according to them. It was a wonderful calculation. It was a new

definition for 100 days. Maybe the BJP's 100 days may be equal to our 1,000 days.

Whatever it may be, Sir, we have to realise the fact that a huge amount of unaccounted money is there within India and also in the accounts of Indian individuals abroad. That is also a huge amount. The figure may be different. The BJP wants to claim that it is Rs. 25 lakh crore while Ramdev's projection Rs. 45,000 crore. According to the Swiss Banks Association, it varies between US \$ 1,500 billion and 1,900 billion. The BJP's Task Force's projection during the election was that it may range between US \$ 500 billion and 1,500 billion. Whatever it may be, it is a big evil. So, what is to be done? Whatever is to be done, it needs to be done vehemently. Instead of mud-slinging, we have to put our heads together and find out exactly what legal, economical and practical action can be taken to curb these bad tendencies.

It is very clear that all are talking about the evils of black money, but what exactly is the solution? We have to identify first who the real individuals are who have kept their money in foreign banks and then, find out the quantum of legal and illegal money. Thirdly, there has to be an assessment of criminality involved in it. India being a party to various international treaties, we must make a specific and clear-cut legal method to bring back black money from abroad.

We have to understand about some realities. These kinds of tendencies cannot be curbed / stopped one fine morning. A country cannot be free from all kind of evils one fine morning. Somebody was mentioning about the American experience. America always takes a double standard. Of course, America might have brought back black money, but at the same time they are providing havens for black money from other nation. They are having an island there, and they will not disclose the names of the depositors. That is their strategy.

HON. SPEAKER: Please conclude now.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER: Madam, I am going to conclude. As mentioned by my former speakers, there is a huge amount of black money within

India also, which we have to take into consideration. We have to consider very seriously about the Indian situation also when we are talking about foreign money and deposit. For example, people were saying about smuggling. I do not want to enter into that issue.

HON. SPEAKER: Please conclude now.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER: Similarly, my friend was saying about election reforms.

HON. SPEAKER: Please conclude now.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER: Yes, Madam. How does the black money come, and how is it utilized in a ruthless manner? All these things will have to be taken into consideration. What I am saying in brief is that the Government should take very vehement action irrespective of all other claims.

I once again appeal to the Government to be serious on this issue. The Government should come forward to take very vehement action on this evil instead of doing only lip-exercise.

With these few words, I conclude.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय अध्यक्ष महोदया, विदेश में जमा काला धन वापस लाने की चर्चा में मुझे भाग लेने का आपने अवसर दिया, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं।

काले धन पर कल से सदन में चर्चा हो रही है। पंद्रहवीं लोक सभा में भी हम लोग थे और इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन आज तक उसके बारे में लोग समझ नहीं पाए कि काला धन कैसे वापस आएगा। पहले जो साथी इधर थे, आज उधर हो गए हैं और पहले जो उधर थे, आज इधर आ गए हैं, लेकिन भाषा बदल गयी है। पहले इस साइड से जो जवाब आ रहा था, अब वह उस साइड से आ रहा है। खासकर प्रधान मंत्री मोदी जी ने चुनाव के समय पूरे देश में घूम-घूमकर जनता के बीच यह बात कही थी कि आप अगर हमें जनादेश देंगे तो निश्चित रूप से मैं काले धन को वापस लाऊंग और इस देश के हर परिवार के खाते में 15-15 लाख रूपये जमा किए जाएंगे। विदेशों में इतना काला धन जमा है कि उसके वापस आने से देश खुशहाल होगा, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी मिट जाएगी और अच्छे दिन आ जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं, देश की जनता यह पूछ रही है। हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं, लोग सवाल करते हैं कि जन धन योजना के तहत जो खाते खुलवाए गए हैं, क्या उसमें पैसा आएगा। हम लोगों को ऐसे सवाल सुनने को मिलते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी नहीं हैं, लेकिन वरिष्ठ मंत्री यहां बैठे हैं, सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि कब तक यह पैसा आएगा और उन गरीबों के खाते में कब तक जाएगा? यही सवाल मैं यहां रखना चाहता हूं और देश की जनता जवाब सुनना चाहती है। अगर प्रधान मंत्री जी यहां होते, उनका जवाब आता तो निश्चित रूप से अच्छा होता।

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदया, काफी अच्छा लगता है। वास्तव में अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि, पूरा सदन एक आवाज में, एक ही सुर में काला धन वापस लाने की बात कर रहा है। कोई काला छाता लेकर आता है, कोई काला कम्बल लेकर आता है और अलग-अलग सुर में बात एक ही करते हैं।...(व्यवधान) लेकिन एक बात का मुझे बहुत आनंद हुआ कि आज पूरा देश एक ही स्वर में बोल रहा है। कभी माननीय राष्ट्रपति तथा पूर्व वित्त मंत्री माननीय प्रणव मुखर्जी, चिदम्बरम जी, आडवाणी जी, मुलायम सिंह जी, अरुण जेटली जी, खड़गे जी, जितेन्द्र जी, सुदीप जी, सब एक ही भाषा में बात कर रहे हैं कि काला-धन वापस लाओ। इसमें माननीय मिल्लिका अर्जुन जी का वह वाक्य उद्धृत करना चाहता हूं जिसे कुछ मात्रा में माननीय निशिकांत जी ने भी कहा। डिबेट को शुरु करते हुए जो माननीय मिल्लिका अर्जुन जी ने कहा, जो संसद की रिपोर्ट में लिखा है, 'Since independence'. आप तो 1985 से आगे गये थे। Since independence till now, discussion on black-money has taken place in some form or the other. Since independence, सरकार किसकी थी? यह संसद की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। माननीय मिल्लिका अर्जुन जी का वह वाक्य सुनकर और निशिकांत जी ने जो अनेक उदाहरण दिये, उसके संदर्भ में मार्क-ट्वैन का एक किरसा याद आता है। उन्होंने एक बार कहा था कि 'सिगरेट पीना छोड़ना बहुत सहज काम है, मैंने अनेक बार छोड़ी है"। आप इसका मतलब समझ गये ना। काला-धन की बात कांग्रेस वाले करते हैं तब यह किरसा उन्हें याद दिलाना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदया, आज मैं पॉलिटिकल कम थोड़ा आर्थिक इश्यूज को ज्यादा टच करना चाहूंगा। This is fact. All of us have accepted that black money is the issue. जब हम काला-धन की बात करते हैं तो मेज़र इश्यू होता है, how is black money generated? Let us concentrate on that. How is black money parked? How it is invested? The third part must be an action to stop further generation and an action to recover whatever black money is available whether outside the country or inside the country. आज पूरा देश हमें देख रहा है, हम सब मानते हैं कि काला-धन एक समस्या है तो why cannot we concentrate on this issue whether on this side or on that side? हमने किया या आपने किया, सेवा तो देश की होगी। We must discuss how it is generated. एक होता है करणान, दूसरा होता है क्रिमिनल, तीसरा होता है ड्रग्स कारटेज, चौथा होता है माफिया, पांचवा होता है हाईटेक रिज़ीम। जहां पर हाईटेक रिज़ीम होता है वहां पर लोग कर बचाने के लिए इस प्रकार से काला-धन जैनरेट करते हैं। छठा होता है to run a parallel economy which is one major issue. मैंने पहले सेशन में इसका जिक्र किया था

कि कुछ बोगस चिटफंड कंपनियां डूब गयीं, आठ महीने से मालिक जेल में है लेकिन एक भी छोटा निवेशक बाहर नहीं आता है तो पैसा है किसका? The last point is the fake money, fake currency. ये जो जैनरेशन वाली बात है, मोदी सरकार इसके ऊपर ध्यान केन्द्रित करना चाहती है। बताइये, कैसे कंसेंट्रेट करना है? पहला, करप्शन नहीं चलेगा। काम के बदले अब दाम नहीं होंगे। एक बार हमने करप्शन रोक दिया तो सब ठीक होगा। काला-धन जैनरेट केवल केन्द्र के कारण नहीं होता है काला-धन जो जैनरेट होता है वह लोकल-बॉडी से लेकर, विधान सभा से लेकर केन्द्र तक है। पहले हम सब मिलकर उसके ऊपर कांसेंट्रेट करे। बीजेपी की आज पूरे देश में सौ प्रतिशत सरकार नहीं है, लोकसभा में जरूर 282 सांसद हैं, लेकिन विधानसभाओं में अलग-अलग पार्टियों की सरकार है।...(व्यवधान) I am not saying that politicians generate black money. I am talking about what Government can concentrate on.

महोदया, मैं एक और बिंदू पर कहना चाहता हूं कि करप्शन का मतलब पॉलीटिशियन नहीं है। कॉर्पोरेट्स और अन्य लोग अपना काम करवाने के लिए काले धन का उपयोग करता है। Next point is criminal activities. Third point is drugs. कभी हमने सोचा है कि पॉन्जी कम्पनियां क्या हैं? बोगस चिट फंड कम्पनियां क्या हैं? मैं आज सुदीप दा से प्रेम से और रिस्पेक्ट से बात कहना चाहता हूं। आपने ही मुझे समर्थन किया था कि why should a bogus chit fund company go out of the way and extend gestures to politicians? किरीट सोमैया जी आपकी संसदीय क्षेत्र में दो-पांच करोड़ रुपयों का कुछ काम करना है तो बताओ, दो-पांच करोड़ रुपये की चैरिटी, अगर आप कहेंगे तो उस प्रोजेक्ट में हम कर देंगे। मैं टोंट नहीं मारना चाहता हूं कि कब कोई आकर मेरे चरित्र को दो करोड़ रुपयों में खरीदता है तो I have to apply my mind. मेरा कहना यह है कि एक काम हम करें कि यह जनरेशन रोकें। दूसरा बिंदू है कि पार्किग। We have done it. हम और आप मिलकर आप मुझे बताइए कि हम किससे झूठ बोलते हैं, किससे सच छुपाते हैं? आज रीयल एस्टेट में हिंदुस्तान का कोई भी गांव कोई भी शहर में कोई भी प्रापर्टी, कोई भी जमीन यहां बैठा हुआ लेता है तो वह ब्लैक में पैमेंट करता है या नहीं? यह वास्तविकता है। यदि हम वास्तविकता को छुपाएंगे और एक-दूसरे से लड़ेंगे तो फ़ायदा किसका होता है? ब्लैक मनी वाले का फ़ायदा होता है। वर्ष 2001-2002 से पहले मुम्बई में 60 परसेंट व्हाइट और 40 परसेंट ब्लैक में रियल एस्टेट में पैमेंट होती थी। वर्ष 1997 से 2005 तक यह सौ प्रतिशत व्हाइट पैमेंट हो गया था। हमें रियल एस्टेट पर कन्सनट्रेट करना चाहिए। इसके अलावा यहां जो जनरेट होता है, वह फोरन में जाता है। फोरन में जो जनरेट होता है, वह यहां के कारण होता है। यहां जो बड़े कांट्रैक्ट किए

जाते हैं, उसका किकबैक फोरन में दिया जाता है। Generation of black money inside the country and abroad are one and the same thing. They are linked to each other. यहां पैसा जनरेट होकर वहां पार्क होता है। मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं। What can we do in the case of tax havens? We can unanimously decide ... टैक्स हेवन्स का मीनिंग क्या है? यहां तीस परसेंट कॉपॉरेट टैक्स है, इंजीविजुअल इनकम टैक्स है। वहां तीन प्रतिशत टैक्स है। हम सब मिलकर निर्णय करें कि तुम्हारे देश में तीन प्रतिशत होगा तो यहां वाली कम्पनियां भी शेल कम्पनियां खोलती हैं। ओईसीजी ने इस विषय को उठाया था। यही विषय अमेरिका को भी लागू करता है। मैं आपको अनेक रिपोर्ट इस तरह की दिखा सकता हूं, developed countries are also facing the same problem. टैक्स हेवन को हेण्डल करना। दूसरा, स्विस बैंक कान्फिडेंशियलिटी के नाम पर हमारे यहां की बैंकिंग पद्धित और लोकशाही के साथ खिलवाड़ करती रहेगी तो हमें उनके लिए अपने देश में कानून बनाना होगा। What is required is nothing but intention, determination and action. मोदी सरकार ने तीनों चीजें पांच महीने के अंदर दिखा दी हैं। सौ दिन में इनटैन्शन भी क्लियर कर दी है, डिटरिमनेशन भी है और एक्शन भी है। सौ दिन में हमने काला धन वापस लाने का प्रोसेस प्रारम्भ किया है। अब जिसका भी काला धन होगा, वह हिन्दुस्तान में वापस आएगा और हिन्दुस्तान नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दस साल में विश्व का एक नंबर का देश बनेगा।

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायरे मशरख ने मरकज़ी हुकूमत के बारे में एक शेर कहा था:

तुम्हारे वादे अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेंगे,

जो शाक-ए-नाजुक पे आशियाना बनेगा, वो नापायेदार होगा।

वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा था कि हम न खाएंगे, न खाने देंगे। मैं हुकूमत से आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहूंगा कि क्या वह ऐसा कानून बनाएंगे या मौजूदा जो प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉडिरेंग कानून है, उसको तरमीम करके इस बात को उस कानून में शामिल करेंगे कि अगर किसी हिन्दुस्तान के फॉरेन मुल्क में एकाउंट्स होंगे तो वह उसको अपने इंकम टैक्स में दिखाएंगे और कंपनीज का नाम दिखाएंगे। अगर नहीं दिखाते हैं तो उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम करार देंगे तथा उनकी प्रोपर्टीज को जब्त किया जाएगा। क्या आप इस तरह का एक कानून बनाएंगे?

दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में सरमायेदार जो हैं, हमारे सियासी निजाम पर कब्जा कर चुके हैं। वे हमको यरगमाल बना चुके हैं और खास तौर से दो बड़ी कौमी जमातों को। यहां जो बहस हुई, शायद ही कुछ लोगों ने इस बात पर मुतालवा किया होगा कि पार्टिसिपेटरी नोट्स पर मैं कह रहा हूं कि उस पर आप बैन लगाइए। सबसे बड़ा खतरा इस मुल्क की सालीनियत को इन पार्टिसिपेटरी नोट्स से है और मॉरीशियस से पैसा यहां पर आता है, कोई यह नहीं पूछता कि वह किसका पैसा है? उसका नाम क्या है और यहां पर आकर पार्क कर दिया जाता है। आज हम जानते हैं कि ईराक में बगदादी बैठा हुआ है जिसने 80 मिलियन डॉलर का पैसा कमाया है। अगर वह मॉरीशियस में कंपनी बनाएगा और पैसा स्टॉक एक्सचेंज में डालेगा तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज को भी तबाह कर सकते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी का भी पैसा आएगा तो फिर क्या आप पर जिम्मेदारी नहीं आती कि आप मुल्क की सालीनियत को और मुल्क जिसे इन दहशतगर्दी से खतरा है, उनको बचाने के लिए मुतालवा करता हूं कि पार्टिसिपेटरी नोट्स पर बैन लगाइए और जो कंपनीज और टूस्ट इंवेस्ट करते हैं, उनका नाम मालूम करवाइए।

तीसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि एचएसबीसी से जो नाम आए हैं, वे फ्रांस के एक फ्रांसीसी नेशनल ने हमें दिये हैं। यहां पर मरकज़ी हुकूमत यह कहती है कि डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट है। हमारा एग्रीमेंट फ्रांस से हो सकता है मगर वहां से आये एकाउंट स्विटरजरलैंड के हैं। स्विटजरलैंड की हुकूमत ने या बैंक ने हमको नहीं दिया। इसलिए आपको इनके साथ करने से कौन रोक रहा है? लिस्टैंटाइन बैंक जर्मनी से अलग है। वह अलग इंडिपेंडेंट मुल्क है। लिस्टैंटाइन बैंक के नाम हम अवाम के सामने ला

सकते हैं। हुकूमत कतरा रही है। 4 अक्तूबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है। मैं वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि अक्तूबर 2014 में आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों गये कि 2011 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको तरमीम किया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने पैरा ग्राफ नं. 56, 71 और 72 में नहीं कहा था कि ये तमाम चीजें गलत हैं और आप नाम दे सकते हैं।

अभी हमारे मुम्बई से जो सांसद हैं, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि सिंगापुर में बॉयोमैट्रिक्स नामक कंपनी ने सिर्फ 45 लाख का एकाउंट खोला। आईसीआईसीआई बैंक ने बगैर किसी कोलैटरल के 6500 करोड़ रुपये का लोन दिया और 2011 में 6500 करोड़ रुपये यहां पर हिन्दुस्तान में आए। वे पैसे किस कंपनी में गये जो केजीडी-6 में हमारी गैस तलाश कर रही है। वहां से सिंगापुर ने हाई कमीशन को 2011 में लैटर लिखा कि मालूम करिए कि इतना बड़ा पैसा आ रहा है। क्या यह हुकूमत जो वादा करती है कि हम न खाएंगे और न खाने देंगे। गोदावरी में केजीडी-6 में जिन्होंने पैसा खाया, वह पैसा मुल्क का है, क्या उनके खिलाफ आप एक्शन लेंगे? अगर मैं गाड़ी के लिए लोन एप्लाई करता हूं तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे लोन नहीं देता। लेकिन उस कंपनी को लोन दे दिया गया और उसके पास न कोई ऑफिस है, न कोई कोलैटरल, न कोई ईक्विटीज थी लेकिन फिर भी 6500 करोड़ रुपये का लोन दे दिया गया।

आज हमारे प्रधान मंत्री जी और एक बहुत बड़ी जमात के लोग एक बहुत सरमायेदार के एयरक्राफ्ट में फिरते हैं। क्या यह बात गलत नहीं है कि एसआईटी ने कहा है कि इस सरमायेदार की जो पॉवर कंपनीज के ईक्विपमेंट्स थे, इसने गलत ओवरप्राइसिंग करके 9000 करोड़ रुपये का टैक्स दिखाया जबकि सिर्फ 3000 करोड़ रुपये के टैक्स थे। 5500 करोड़ रुपये कहां गये? क्या हमारे प्रधान मंत्री जी उस एयरक्राफ्ट में बैठना बंद कर देंगे? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करिए। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं ... (व्यवधान) निशिकांत दुबे जी, मैं अदब से कह रहा हूं कि मैं फ़कीर आदमी हूं। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं ये दो अहम मिसालें आपके सामने दे रहा हूं - केजीडी-6 और पावर कंपनी की, ये आपके लिए चैलेंज है। अक्वामे मुत्तहदा यूनाइटेड नेशंस का जो कंवैन्शन है - आर्टिकल 14, 23, 40, 46, 52 क्या आप इन्हें शामिल करेंगे। यह आप मुल्क को गलत बावर करा रहे हैं।

आखिरी बात बोलना चाहता हूं कि हमारे हिमाचल प्रदेश के रुक्ने पार्लियामैन्ट ने कल करप्शन के बारे में कहा था, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि आईपीएल का क्या है, आईपीएल क्या है? क्या आईपीएल

ब्लैक मनी का हिस्सा नहीं है। आईपीएल को क्यों नहीं बर्खास्त करते? सुप्रीम कोर्ट में मुद्गल रिपोर्ट आई, मरकजी हुकूमत ने क्या जवाब दिया, कुछ जवाब नहीं दिया।

मैं अपनी बात को मुकम्मल करने से पहले हुकूमत से यह बात बता रहा हूं कि हिंदुस्तान की सौ करोड़ की आवाम आपसे पूछ रही है कि मेरे 15 लाख रुपये कहां है। वह गरीब, जो भूखा-प्यासा रहकर, वह खातून जिसने भूखे रहकर वोट डाली, वह नौजवान, जो हमारे मुल्क की साठ फीसदी आबादी का हिस्सा है, वह आपको याद दिला रहे हैं कि मेरे 15 लाख आयेंगे कि नहीं आयेंगे। अब की बार 15 लाख रुपये का नारा आवाम का होगा। आपको अभी नहीं, 2019 तक तो आप जीयेंगे, मगर आपको यह ऐसा जवाब मिलेगा। मुझे यह फर्क समझ में नहीं आ रहा है कि यहां से वहां तक एक ही जुबान सरमायेदारों की बोली जा रही है।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Hon. Speaker, Madam, thank you for giving me this opportunity to take part in this discussion. I may be given a little more time because two minutes is too little a time to put forth my views.

Madam, this is the right time for discussing the issue of bringing back black money from abroad. This is not because of BJP's coming back to power or NDA assuming power at the Centre but because the hon. Supreme Court has taken stock of the entire situation and vigorously monitoring the case of black money which has been stashed abroad. So, we are having little hope on the hon. Supreme Court and I hope this discussion will have its own impact in having further consequential actions.

It is an undisputed fact on the part of both the Opposition benches and also the Treasure benches that everybody is admitting the fact that black money is a menace to Indian economy and it is also being admitted that it is a parallel economic system which is being run in our country and is destroying the Indian democratic system. We are talking a lot about the black money. But in action nothing is taking place. That is the main thing which has to be considered. The very interesting fact to be noted is that the US based Global Financial Integrity Statement estimates that India ranks fifth in the world in illicit outflow of capital and at the same time it is one of the poorest country and ranks in the first ten poor countries of the world in terms of per capita GDP. On the one hand, we are having the fifth position in terms of the outflow of capital from India, on the other hand, India ranks amongst the first ten poorest countries of the world in terms of the per capital GDP. What a contradiction this is?

Madam, my first submission is that the entire Opposition as well as the Treasury benches have to join together to fight out the menace of black money. I would like to make two points. Firstly, Shri Kirit Sowmaiya has just stated that three issues have to be addressed. The first one is, how to bring back this black money? This is an assurance given by the hon. Prime Minister. In his election campaign it was very specifically mentioned that if he was voted to power, then

definitely within 100 days the money stashed abroad will be brought back and each citizen will be getting Rs. 10 to 15 lakh. This was the assurance given by the hon. Prime Minister before the electorate. Now, the BJP is turning around and saying that it is an election campaign. If that be the case, then what about the other promises in the election manifesto? This is a Litmus Test as far as this NDA Government is concerned. It is because if one wants to test whether the rice has boiled or not, one need not take the entire rice from the pot, but only a sample has to be taken to find out if the rice has fully boiled or not. If that be the case, then the manifesto as well as the promises made and so many slogans made and also after assuming powers, all those promises made, they have to admit are hollow and are not going to be fulfilled.

The other point on which I would like to seek an answer from the Government is that, the hon. Minister of Parliamentary Affairs, Shri Venkaiah Naidu ji was talking about the observation made by the then Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee in this House itself.

Madam, I would like to know the response of the present Finance Minister, Shri Arun Jaitley at that time. What were the observations made? My simple question is, whether Shri Arun Jaitley, the legal luminary in this country, Shri Prakash Javadekar, Shri Ravi Shankar Prasad, the esteemed leader, Shri L.K. Advani were not aware of the Tax Avoidance Agreement, the international treaties which were not applicable to them. Then why was this observation made at the time of the UPA Government? Why have they made this observation? The answer is, at that time, we were in the Opposition. Is it a genuine and justifiable answer? That means, at the time of election campaign, they have made so many promises and the promises cannot be fulfilled. What is the reason for it? It is because many procedural formalities are required to be fulfilled. Double Taxation Avoidance Agreement is there. All these were the reasons which were enunciated at the time of the UPA Government in justification for the difficulties which had to be faced. If that be the case, as the leader of the largest party, as the Congress

Party yesterday had cited, the BJP and the Prime Minister owes an apology to the country first because he has made a promise which he is not able to fulfill due to procedural hurdles. He has to apologize to the Congress Party also because he has unnecessarily criticized the Congress Party at that time. If you want to enjoy the credibility of this Government, definitely, admit the fact and take stringent action.

Madam, what about the black money? Will the Government be able to bring back the black money or not? Is the money there or not? Is the illicit outflow of capital there in the Swiss Bank as well as in other Banks? How many years have lapsed? Definitely, the money has already been siphoned out and it has gone to different routes. By different routes, it has come back to India by way of foreign institutional investment. By FDI, it has come to India.

If you go through the statistics, during the neo-liberal reforms in 1991, the illicit outflow was 9.1 per cent. Now it is 16.1 per cent because of the deregulation of the economy and deregulation will aggressively promote black money also. All these points have to be taken into consideration and stringent action has to be taken to bring back the black money.

With these words, I conclude.

SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): Hon. Speaker, regarding the discussion on black money, I was hearing all the speeches for the last two days and I have only two minutes to speak.

I feel it a joke when these bourgeois parties – the BJP and the Congress – quarrel with each other on black money. The Congress Party says that the Prime Minister, Shri Modi was campaigning in the elections that he will bring back black money. The BJP says that the Congress was ruling for the last 50 years in India and who is responsible for black money and who will bring back black money? They are quarrelling together. ...* The cats will quarrel with each other. Children will cry and people will think ... *. That is the relationship between the bourgeois parties. I feel this as a Communist when I am hearing the speeches.

The people of India have every right to know the names of all those accounts in foreign banks. After disclosure, full investigation is necessary to know how wealth was stashed away and for what purposes it is used. Apart from the holders of foreign accounts, their benefactors including the political parties and other entities should be hauled up. Black money should be confiscated and used for the alleviation of poverty in the country.

At the moment, Modi Government has given a list of just 627 persons which was given by the Government of France. There are other lists in the possession of the Government received from other countries and foreign banks. I hope that the Supreme Court will get all this information and not confine it to Special Investigation Team.

18.00 hrs

They must be made public. The Press reported one of the three names -- which was disclosed on 28th October by the Government – that person is a big donor to the BJP and the Congress. It only exposes the political connections of such people. Earlier the BJP Government was repeating the argument of its predecessor, that is the Government led by the UPA II, that it cannot disclose the names of the black

^{*} Expunged as ordered by the Chair.

money holders as it will breach international agreements. After the Supreme Court punctured this argument, it is now crying about rights of privacy of individuals and companies. This is nothing but a crude attempt to shield the culprits who have stashed away our wealth and money and deposited it in foreign banks for ulterior motives.

It is believed that the quantum of black money in India is worth three trillion dollars that is equal to the country's GDP. There is no question of rights to privacy of individuals and companies about our internal issues. Our Government can take action against the black money holders in India. What action is the Government going to take against the black money holders in India, not in foreign countries? It is necessary that pressure must be built to force the Government to publish all available information on stashing away of money by Indians. ... (Interruptions) It is stated that the total amount involved is more than three trillion dollars, that is equal to the country's GDP. It is the public money that has been stashed away. ... (Interruptions) Hence, merely identifying the culprits is not enough. Measures need to be initiated to confiscate the entire amount. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: It is six o'clock. अभी हमारे पास तीन-चार लोग बोलने वाले हैं और मंत्री जी भी अभी रिप्लाई देंगे। ये तीन वक्ता और रिप्लाई होने तक आप सबकी अनुमित से हम सदन का समय बढाते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: महोदया, ठीक है।

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदया, बहुत से मेंबर क्लेरिफिकेशन पूछते हैं तो रिप्लाई में समय लगता है।

माननीय अध्यक्ष: ये तीन लोग दो-दो मिनट बोलने वाले हैं। उनकी बात हो जायेगी और फिर मंत्री जी का रिप्लाई हो जायेगा। आज रिप्लाई करा देते हैं और तब तक सदन का समय बढ़ा देते हैं। ये तीन लोग थोड़ा-थोड़ा बोलेंगे और फिर मंत्री जी रिप्लाई करेंगे। तब तक सदन की कार्यवाही बढ़ायी जाती है। धन्यवाद।

Shri Jayadevan, please conclude your speech.

SHRI C.N. JAYADEVAN: At the moment, the Government's approach seems to be just to force the compliance of the tax laws. If the guilty persons pay the taxes and penalty, they will be let off. This is nothing but shielding the criminals and it should not be allowed.

The Union Government has revealed to Supreme Court names in three cases. Among them is a mine baron of Goa. It is simultaneously revealed that this company has contributed huge amounts to the coffers of both the Congress and the BJP. Latter one is the bigger beneficiary. This company is charged with low invoicing of its exports and illegally mining iron ore. All has been done under the patronage of the ruling politicians. That is what I want to say. The ruling politicians quarrel amongst one another. You are asking the people as to who is responsible. The party which has ruled up to this time and the party which is now in power are responsible for this. That is all.

HON. SPEAKER: Thank you. Already we have discussed it for more than four and half hours. So, today we will complete it.

Shri K.C. Venugopal.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, at the very outset, I would like to say that the BJP had created an atmosphere by large-scale political campaigns only for winning the election, not for serious action. The misleading campaign was led by the present hon. Prime Minister himself saying: "We promise the people that black money will be brought back and distributed to the people." The people believed it and they voted for the BJP. They came to power. What did the people get? What are they giving to the people? There is no new initiative except the SIT formation under the insistence of the hon. Supreme Court. They are telling that the SIT is their baby but the SIT is actually the baby of the Supreme Court, not theirs.

The hon. Finance Minister said this in the Rajya Sabha yesterday. We read it in the newspapers today. Yesterday, while replying in the Rajya Sabha, the hon. Finance Minister was explaining to the people about the long procedures and technicalities in bringing back black money and the Double Taxation Avoidance Agreement which prevents him from disclosing the names of black money holders. After the hon. Finance Minister's reply in the other House, you are very clear that you are not serious about bringing back black money.

Yesterday Shri Anurag Thakur in his speech said that already the Congress has demanded revealing the names of black money holders. Why? The Congress has the interest to protect the black money holders. But here we have the list.

On 18th January, 2014 Shri Ravi Shankar Prasad said putting forth the Government's argument that it can reveal the names to the Supreme Court but not to the public due to the Double Taxation Avoidance Agreement. It is quite baseless. Shri Nitin Gadkari also said it. Shri Prakash Javadekar also told that. I would like to put a question to Shri Anurag Thakur. While asking the Congress party for revealing the names of the black money holders, did they not know about the Double Taxation Avoidance Agreement? They should tell the people. They are now telling that the Double Taxation Avoidance Agreement is preventing them from revealing the names.

Yesterday, Shri Mahtab told - He is not present now – that the Congress has some fear of taking action. We have no fear. We are not in power now. They are in power. They have freedom. We know what the BJP is doing. Without any majority, you installed a Government in Maharashtra. You are changing the name of Rajiv Gandhi in the Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana and the name of the Airport of Hyderabad. You are doing a lot of things. Your attitude against Pandit Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi is seen by the people for the last two or three weeks. It is such an attitude displayed by the BJP towards democracy and towards the Indian National Congress. Therefore, you have the freedom. We do not want your mercy. At least, you reveal the names. Who is stopping you from revealing the names? That is what the country needs to know. Therefore, the hon. Finance Minister has a duty to tell the people why this baseless promise has been made to the people that within 100 days they would bring back black money and it would be distributed to the people? Actually it is a cheating towards the people. That is what my statement is.

Then you are asking about what our Government has done. That is a question put by them. Shri Nishikant Dubey told about the then Finance Minister Shri Pranab Mukherjee's White Paper on Black Money. That White Paper reveals that. In the White paper laid before the House in 2012, it is said:

"...Joining global crusade against black money" - "India's actions through the G-20..

India has been a strong proponent of transparency and exchange of information for tax purposes and has pushed the G-20 forum to exert pressure on countries that do not conform to the international standards of transparency."

At the London Summit of April, 2009, India played a major role in developing international consensus for taking action against tax havens. It was an Indian initiative of November 2010 at the Seoul Summit and the G-20 gave a call for concluding tax information exchange agreements. Prior to this, some countries were not willing to enter into Tax Information Exchange Agreement. Therefore,

these things were done by the UPA Government only. You are doing an extension of things which the UPA Government had done. What new initiatives you have taken? That is what we would like to know.

Hon. Supreme Court has made a statement. Why are you holding protective umbrella for these people? Is this a silly question? Hon. Supreme Court asked the Government as to why you are holding protective umbrella. The Supreme Court had observed that they have no belief in you. Actually, it is non-confident statement against the present Government. Now, you are not serious about the Supreme Court's verdict. But when you were in the Opposition, when the UPA regime was there, when the Supreme Court's observation was against the UPA, you celebrated. You celebrated for election propaganda. Now, you are keeping mum on the Supreme Court's observation. Shri Arun Jaitley, hon. Finance Minister is not here. When 2G incident happened, I was sitting in the Treasury Benches. Before the report of the CAG was presented in Parliament, the Report was leaked to the Press. By using that press statement, you moved an Adjournment Motion in the House. The CAG called Press Conference against the then Government. At that time, you celebrated. Now, hon. Finance Minister is telling the CAG, don't sensationalise the issues. It is actually double standards..... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Yes, please conclude now. Actually, you don't have time. I have given only two minutes. Please conclude. This is not correct.

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, I am concluding. This is the double standard of the present NDA and the BJP Government. Therefore, the country needs a strong apology from this Government for giving false promise to the people. Otherwise, definitely it would boomerang on you. With these words, I conclude.

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Thank you very much, Madam, for giving me an opportunity to speak on this subject. I, on behalf of my Party, YSR Congress Party, would like to express my views.

I would like to express my Party's views and also my views on black money. Press says that Rs.80 lakh crore are deposited in the banks. Even if we take the minimum as Rs.30 lakh crore, that is equal to 1.5 times or more of this year's Budget. What a great amount, Madam! If we can bring back all these amounts, all the social welfare schemes and developmental schemes can be implemented in this country. Poor man's life would be definitely brightened. *Swacch Bharat* which requires Rs.2 lakh crore to provide toilets to 13 crore families; education to all, health to all; linking of rivers, etc. can be implemented. But unfortunately, still we are not able to do it.

I would like to say with all sincerity that the countrymen have great faith in the present Prime Minister, hon. Narendra Modi*ji*. With the leadership of Shri Narendra Modi, as well as Finance Minister, people believe that the Government would bring back this black money and develop the country. With that faith only, the countrymen voted BJP to power. Excluding the alliance partners, BJP was given the absolute power. Please act on that. With your power, determination, expertise, mechanism and the whole Government machinery at your command, please act and bring back black money so that the country can be developed well. If you fail, the countrymen will be very much disappointed with you. Please use all your powers and bring back this money and develop the country for which the people of this country have given power to you.

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद): अध्यक्ष महोदया, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। कल से इस विषय पर गंभीर चर्चा हो रही है। मैं इस पर कोई आंकड़ा पेश नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि आपने इस पर मुझे मात्र दो मिनट का समय दिया है।

मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इस विषय पर जिस गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए थी, उस में सिर्फ़ आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है। निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने इस सवाल को गंभीरता से लिया और जनता ने इस पर विश्वास किया है। इससे पहले भी उधर बैठे हुए लोगों ने इस सवाल पर गंभीर चर्चा की, देश के लोगों को यह अहसास कराने की चर्चा की कि हम स्कैम को रोकेंगे, हम काले धन को वापस लाएंगे, हम इसके बारे में कानून बनाएंगे, लेकिन जनता ने इन पर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया। इन्होंने उन्हें डायलेमा में रखा और फिर ये लोगों को डायलेमा में डालना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को इसके लिए प्रयास करना होगा। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और माननीय प्रधान मंत्री ने लोगों में एक विश्वास पैदा किया है। एक राजनीतिक संकट, जो विश्वास का संकट पैदा हुआ था, उस संकट को इस सरकार ने दूर किया है। इसलिए आज इन लोगों को भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि यह काला धन कहीं रखा हुआ है कि उसे कोई उठा कर ले आए। यह एक नीयत का सवाल है। राष्ट्रीय स्तर पर, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर गुड गवर्नेस देकर किन-किन स्तरों पर इन चीज़ों को रोका जा सकता है और पब्लिक मनी को हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका प्रयास यह सरकार कर रही है। अभी इसमें जनता का विश्वास है। उधर के लोग आज भी उसी डायलेमा में पड़े हुए हैं।

हम आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोगों ने बिहार में सरकार बनाया था।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : मैडम, छः बजे के बाद तो लंच पैकेट दिया जाता है। हम तो सुबह से भूखे हैं। हमें लंच पैकेट दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: अभी इतना समय नहीं हुआ है।

डॉ. अरुण कुमार : मैं कहना चाहता हूं कि यह काला धन एक दिन में पैदा नहीं हुआ है। चारा घोटाला हुआ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको बोलते हुए दो मिनट हो गए।

डॉ. अरुण कुमार: महोदया, एक मिनट और दीजिए।

महोदया, बिहार में चारा घोटाला हुआ। चारा घोटाले के बाद जो वहां सरकार बनी, उस सरकार में भी घोटाला हुआ। अभी कौशलेन्द्र जी बोल रहे थे कि वहां मर्दों की बच्चेदानी निकाल ली गयी।...(व्यवधान) बिहार में इतनी बड़ी लूट हुई।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप क्या बोल रहे हैं?

डॉ. अरुण कुमार : मैडम, यह सारा रिकॉर्डेड है।...(व्यवधान) बिहार में इस पर भारी स्कैम हुआ है। अभी दवा घोटाला हुआ।...(व्यवधान) सारधा चिट फंड के लोग हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अरूण कुमार जी, आप कंक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ अरूण कुमार जी, अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. अरुण कुमार : माननीय सदस्य, आप थोड़ा धैर्य रखिए। ... (व्यवधान) एक मिनट सुनिए। आपकी संख्या इतनी है कि आपने यहां ड्रेस कोड के साथ अपना कोड मिला लिया है।

माननीय अध्यक्ष : अरूण कुमार जी, अब आपके पास कुछ प्वायंट नहीं है। अब आप समाप्त करें।

...(व्यवधान)

डॉ. अरुण कुमार: मैडम, मेरे पास बहुत प्वायंट्स हैं। इसे ज़रा कंक्लूड तो करने दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, जल्दी कंक्लूड करिए।

...(व्यवधान)

डॉ. अरुण कुमार : मैं यह कह रहा हूं कि यदि ये आचरण इनका पहले रहता तो इतनी संख्या में नहीं आते। शारधा चिट फंड पहले खुला रहता तो इतनी संख्या में भी ये नहीं आते। इस तरीके से जो आचरण हो रहा है, निश्चित तौर से आज देश में भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। एन.डी.ए. की सरकार ने मजबूती से जनता में विश्वास पैदा किया है। ये इस तरह का आचरण कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं।

हमें पूरा विश्वास है कि पूरी जनता इसमें भरोसा करते हुए इस एक्शन को देख रही है और आपके एक्शन को भी देख रही है, इसलिए इसमें सहयोग कीजिए, तभी भला है। निश्चित तौर से कालाधन आएगा और कालाबाजारियों पर रोक लगेगी।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, thank you very much. I will take just two-three minutes. Since Jaitley *ji* has not yet come, we have some time.... (*Interruptions*)

Madam, we have had a long discussion on the issue of black money stashed abroad and Members have given very serious suggestions. The main complaint was that today's Prime Minister during election campaign had promised that he would bring back the black money. He had assured the Indian people that they would get Rs. 15 to 20 lakh per family. I shall not waste time of the House by asking the BJP to apologize for their false assurance to the people of the country. I leave it to their conscience to decide whether to do it or not. I have only three concrete suggestions. I will be very brief.

The black money estimate is not there. It is from 500 billion US dollars to 2 trillion US dollars. One billion is thousand million or hundred crores. So multiply it by sixty; we will know how much black money is there.

The biggest problem with black money is that the money goes out of India and it comes back through the Mauritius route by what is known as round tripping. I want to ask the Finance Minister whether he is prepared to ban global participatory notes through which people enter the share market to prevent the round tripping of black money.

Secondly, Madam, much of the black money comes to India during elections. It is alleged that the ruling BJP had spent – this is unconfirmed report – Rs. 25,000 crore in the Lok Sabha elections and subsequent Assembly elections. It may be correct; it may not be correct. ... (*Interruptions*) We could see, ... * in his latest book mentioned that... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: That name will not go on record.

... (Interruptions)

-

^{*} Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: किसी का भी नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: Okay, I will not mention. Rs. 25,000 crore is the money you spent in the Lok Sabha elections.... (*Interruptions*) I will talk about Saradha.... (*Interruptions*)

Now, my question simply is that whether the Government is prepared to bring forward electoral reforms so that there is a ceiling on the spending by political parties instead of just a ceiling on expenditure for individual candidates.

Lastly, the plea the Attorney General took before the Supreme Court and the Finance Minister took is that the present Double Taxation Avoidance Agreement has a clause which is called the confidentiality clause. I want the Finance Minister to declare in this House whether he is prepared to revisit the confidentiality clause and work out the Double Taxation Avoidance Agreement. It is not necessary for all the countries. We have 92 such agreements. Let us just tackle the tax havens. Just take away the confidentiality clauses from the Double Taxation Avoidance Agreement. I will end by saying this that the question is not 'whether' but the question is 'when'.

Yesterday, Anurag Thakurji has mentioned our Chief Minister's name. It was uncalled for. We did not mention the name of the former Karnataka Chief Minister, who was arrested by the CBI. We did not mention the name of the former BJP's President, who was arrested. We did not mention the name of BJP's present President.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Saugata Royji, it is over. You do not have any point to raise.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, Shri Tathagata Satpathy.

... (*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Thank you, Madam Speaker. Yesterday and today I heard the speeches and my impression is that it is simply a blame game.

Madam, you have been there in the Parliament for so long. You know that in 2010-11, we also had a discussion about black money when the other party was in power. That party is in the opposition now and this party is in power. So governance and government do not change according to political parties is what I believe.

But what I am worried about is that when our grand children or our great grand children 50 or 60 years hence sit back and peruse records of these two days of discussion, I am sure that somewhere we must also acknowledge the fact that there is a strong possibility that they will be amazed to know as to what were these people actually doing in the 16th Lok Sabha. Is this the level of discussion they had about something so serious, about a parallel economy, a staggering amount, and these people were talking just about Congress, BJP, Trinamool and BJD? This is where we are. This is what our level is. This is very much worrying for all of us. I am sure you would also be worried. I am not excluding myself from this thing. I am also very much part of this House and I am also worried.

Black money, as you know, has very many different connotations in different parts of the world. One of our colleagues earlier mentioned that in some countries the black money may not have the same connotations as it may have in other countries. Our tax laws are of a particular nature. Some other countries like Cayman Islands or Fiji – a lot of people are visiting Fiji nowadays – or Mauritius have different tax laws. Tax laws vary, countries vary, so what is legal or illegal also probably varies. Therefore, the time has come when we have to actually sincerely question our motives as to what we really intend to do.

There is one question that I would like to ask all the learned members including the hon. Minister. Hundreds and thousands of students go abroad to

study every year. All the students barring none have to open a foreign bank account. Their parents might be depositing money in their accounts. Do we know or can we label all those students' accounts as being illegal money, black money or undeclared money? Who is going to differentiate as to which is the corrupt corporate's money, which is the student's money, which is the politician's money or which is the businessman's money? Who is going to do that? Do we have a mechanism for that?

Madam, before you ask me to finish I would like to actually break my own record because I am so humble. A couple of questions should go on record. Should all foreign bank accounts be investigated? How do we identify that money in a certain bank account is illegal or not? Students who go abroad have bank accounts too. Is the money in those bank accounts also unaccounted money? How are our estimations being made? Should we even be making estimations and promising or not promising?

Madam, the Prime Minister had gone to a place in my constituency, Talcher. He did promise that a sum of Rs.15 lakh would be given to each individual Indian. I have that on video. I am not hitting out at the Prime Minister. I respect him because the Prime Minister is not Mr. Narendera Damodardas Modi, he is the pride of India. He is my country's Prime Minister. I am speaking for my country. I am not speaking as a politician here on this floor. I am proud that he has at least given thought that this needs attention. That itself is a great beginning and I will give kudos for that. But, how do we go about it? Illegal money can be easily linked with terrorism and insurgency.

Madam, like one of the speakers did mention, whenever Indians sell or buy flats or apartments or land or something, a huge portion of that transacted money is in cash. That means, characteristically we are a corrupt nation. Everybody is involved in that. It hurts us but this is the truth. How do we stop that? So, illegal money can easily be linked with terrorism. Fifty years later, there would still be terrorism and there would still be insurgency.

Madam, there are many other questions. But all I would like to wind up with is this. There was a rock album which I used to listen to when I was young. The title of that is "How can Ted Nugent survive in a John Denver world?" What it means, Madam, today is the world of Bitcoin. Bitcoin is a currency which is electronic in nature. It is a peer-to-peer dealing and there is no hard cash, no hard currency. People are now starting to deal through Bitcoins. It has started to happen in India. The Reserve Bank of India has warned the Government, and has also warned the people of this country: "Take care. You could be inviting trouble; you could be inviting legal action." Is the Government planning for the future or not? It is not yesterday that we have to look to. Yes, we have to get the black money back. We should make all efforts. But let us change our tax regime; let us change our tax laws; let us make tax paying an inviting factor so that I feel like paying tax, not that I want to run away from the Finance Minister, from all his IT sleuths and from all his people. Let me feel happy; let me feel proud to be an Indian that I pay tax. This is what I would like to say.

Let us think of the future. We have innumerable challenges coming up for this country, for the generations that are to come ahead, beyond us. Let us prepare this country today so that tomorrow they have a better existence.

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): आदरणीय अध्यक्षा जी, दो दिन की इस बहस में सदन के बहुत-से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। माननीय मिल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस बहस की शुरुआत की थी। उनके बाद हमारे कई साथियों ने यहां कई सुझाव भी रखे हैं। मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा कि कल बहस दोनों सदनों में हो रही थी तो मैं कुछ समय इधर और कुछ समय दूसरे सदन में था। आज भी वहां बिल होने की वजह से, मैं अभी वहां से लौटा हूं। लेकिन, जो भी विषय उठाए गए हैं, मेरे सहयोगियों ने मुझे उनके संबंध में कुछ न कुछ जानकारी निश्चित रूप से दी है। हर वक्ता ने जो कहा है, उसके संबंध में अपने-आपको सीमित नहीं रखूंगा। काले धन की समस्या देश के भीतर और देश के बाहर, दोनों स्थानों पर गंभीर है। अभी अंतिम वक्ता सत्पथी जी अपने विचार रख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देश का जो टैक्स कानून है, उसका प्रशासन इस प्रकार से कीजिए

कि टैक्स देना सरल भी हो जाए, बहुत बोझ भी न लगे, टैक्स देते वक्त मुझे खुशी भी हो और अपनी घोषित आमदनी के अलावा कालाधन जैनरेट करने की कोई इच्छा भी न हो। मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से पूर्ण रूप से सहमत हूं। जब-जब किसी प्रकार का टैक्स, चाहे वह डायरैक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसकी दर बहुत ज्यादा होती है तो उससे टैक्स की कलैक्शन कभी नहीं बढ़ती। वह इसलिए नहीं बढ़ती कि आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है, आपका पैदा किया हुआ सामान महंगा हो जाता है, देश और दुनिया के बाजार में उसकी बिक्री कर पाना कठिन होता है। उपभोक्ताओं का एक नियम है कि उपभओक्ता उस सामान को खरीदते हैं जो अच्छे स्तर का हो और सस्ता हो। People want to buy goods. They do not want to buy taxes. उसी प्रकार से अगर आप आयकर बहुत ज्यादा कर दें, एक वह भी जमाना था कि इस देश में इनडिवीजुअल टैक्सेशन 70-80 प्रतिशत, कुछ मसलों में 90 प्रतिशत से ऊपर था, लेकिन हमारा टैक्स बेस बहुत सीमित था और सीमित होते-होते हमारी विकास दर भी डेढ, दो, ढाई प्रतिशत तक होती थी। दुनिया के देशों के अर्थशास्त्री हमारा मजाक और मखौल उड़ाते थे और हमारी विकास दर को कहा करते थे - This is the Hindu rate of growth. This came to be accepted as an economic terminology at that time. चाहे कोई भी पार्टी सरकार में रही हो, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेज को जब रीजनेबल लैवल की तरफ लाए हैं तो हमारी टैक्स बास्किट भी बढ़ी है। इसलिए मैंने पहले कहा है और आज भी कहना चाहूंगा कि टैक्सेशन रीजनेबल हों, जिससे सरकार का खर्चा चल सके, टैक्स की बेस बढ़े, जिसमें टैक्स चोरी करने वाले को कोई इंसैंटिव न हो। Those who have to pay taxes must pay taxes. We cannot allow either evasion or avoidance. Those who are not to pay taxes and who are not liable to pay taxes, against whom by merely raising demands we cannot generate more tax. Such taxes then get stuck up in courts. In the last few years as an economy we got a bad name from the world of investment that you are not a tax friendly regime. So, what you have said I entirely accept. Our tax system has to be friendly to the tax payer both procedurally and otherwise, and that is exactly what, step by step, we are trying to do.

बहस के दौरान ब्लैक मनी कैसे वापिस आए और जो लोग यह अपराध करते हैं, उन्हें कैसे सजा मिले, जो विदेशी खाते रखते हैं...(व्यवधान) जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं कि कम चर्चा हुई, लेकिन कुछ चर्चा हुई।...(व्यवधान) इस प्रकार की चर्चा में एक राजनीतिक पक्ष भी रहता है। खड़गे जी ने कल जब बहस आरंभ की, मैंने उनका पूरा भाषण सुना। स्वाभाविक रूप से उन्होंने राजनीतिक पक्ष रखना था, रखा। मुझे

उसकी बिल्कुल शिकायत नहीं है। शिकायत इसलिए नहीं है कि लोकसभा चुनाव छ: महीने पहले पूरा हुआ है और जनता ने जिन लोगों के भाषणों को पूरे गौर से सुनकर उनकी मदद नहीं की तो अधूरे भाषण को पूरा करना कई बार सदन में भी एक अवसर मिल जाता है। So, the unfinished speech of a general election can be delivered in the House also. वह आपका अधिकार भी है और उस अधिकार का आपने बहुत खुबी से प्रयोग किया है। लेकिन मैं उससे प्रवोक हो जाऊं और उसी बहस की दिशा में चला जाऊं, यह मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मैं केवल कुछ विषय, जो मैं मानता हूं कि हर सदस्य की चिंता के हैं कि ये सारा पैसा कैसे जनरेट होकर वहां जाता है और जो लोग रखते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? कानून या व्यवस्था में अगर बाधाएं हैं तो वे कौन सी हैं और किस प्रकार से सरकार अपना काम कर रही है? आपने कहा कि आप अपना वायदा निभाइये। मैं इसे बिल्कुल राजनीतिक रंग नहीं दूंगा। इसलिए मूल विषय के संदर्भ में सदस्यों की जो चिंता है, मैं केवल उसे संबोधित करूंगा। I will only address the meat of the matter. सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में जो काला धन जमा है, उसे लेकर और कई बार मुझे भी, मेरे साथियों को और हो सकता है कि हम में से कई लोगों को स्पष्टता नहीं होती, इसलिए इस प्रकार के विषय का हम अध्ययन करने के बाद, ऐसी चर्चा के बाद एक दूसरे से भी सीखते हैं और दुनिया किस दिशा में जा रही है, उससे भी सीखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई, 2011 को, यानी साढ़े तीन वर्ष पहले अपना निर्णय दिया। उन्होंने उस निर्णय में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दो रिटायर्ड जजेज की अध्यक्षता और उपाध्यक्षता के तहत एक एसआईटी का गठन किया जाये। उसमें सरकारी अधिकारी भी होंगे। सरकार किस प्रकार से काम करेगी, यह उस एसआईटी की जिम्मेदारी है। उस निर्णय में उन्होंने कई बातें कहीं। एक विषय यह रखा, जिस पर मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं माननीय सदस्यों से विनम्रता से विनती करूंगा कि इस विषय को केवल हम लोग एक ऐकेडेमिक अध्ययन की दृष्टि से समझें, इसे राजनीतिक दृष्टि से मत लें। जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीट्रीज या फैसले होते हैं, उनमें एक कांफिडेंशिएलिटी क्लॉज होता है। उस कांफिडेंशिएलिटी क्लॉज की भाषा उन्होंने कही और कहा कि भारतीय संविधान और कानून इसकी अनुमति नहीं देता कि भारतीय सरकारें और उस संदर्भ में यू.पी.ए. सरकार के बारे में कह रहे थे कि इन कांफिडेंशिएलिटी क्लॉजेज वाली ट्रीट्रीज को स्वीकार करें, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। यू.पी.ए. सरकार को लगता था कि ट्रीट्री करना तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब कौन सी ट्रीट्री करो, जिसके माध्यम से जानकारी मिलेगी, दोषियों को सजा मिलेगी, यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसमें न्यायपालिका कैसे कह सकती है। जुलाई, 2011 से लेकर मई, 2014 तक, इन तीन वर्षों तक एसआईटी नहीं बन पायी। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह विवाद किसी न किसी

रूप में चलता रहा। पहली मई, 2014 को जब चुनाव चल रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी संदर्भ में, सरकार की याचिका पर दुसरा निर्णय दिया और उन्होंने कह दिया कि जो लिचेंस्टाइन एक टैक्स हैवन है, वहां 28 लोगों के खाते थे। इसकी जानकारी जर्मनी ने भारत को दी। उसकी जो जानकारी आपको मिली है, वह याचिकाकर्ता को दे दीजिए। तब याचिकाकर्ता को सरकार ने जानकारी दी, जब यू.पी.ए. की सरकार थी तो याचिकाकर्ता के माध्यम से वह सार्वजनिक हो गयी। जर्मनी ने त्रंत भारत को लिखा कि जिस आधार पर आपने हमसे सबूत लिये थे, आपकी व्यवस्था ऐसी है कि आपने इसका उल्लंघन किया और आगे यह खतरा पैदा हो सकता है कि अगर हम उल्लंघन करेंगे तो दूसरा देश सहायता करता है या नहीं करता। इस समस्या के बारे में माननीय मुलायम जी ने खड़े होकर कहा था और मैंने आश्वासन भी दिया था कि मैं इसका उत्तर दूंगा। आप इसकी गंभीरता को इस दृष्टि से समझिए कि अपराध भारत में होता है, पैसा भारत का है, विदेश के खाते में जमा है, पैसा लाने के लिए, उसके खिलाफ असेसमेंट करने के लिए, उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने के लिए उस देश का सहयोग चाहिए। हम अपनी पुलिस, आर्मी या अधिकारियों को तो वहां भेज नहीं सकते हैं। कानुनी प्रक्रिया के मुताबिक उस देश को हम कहेंगे कि हमें यह जानकारी दीजिए। आज से 20-22 साल पहले एक वक्त था, जब सिद्धांत था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की भाषा में प्रिंसिपल ऑफ ड्युल क्रिमिनेलिटी कहते थे। इसका सिद्धांत यह था कि जो पैसा वहां जमा है, वह किसी अपराध से पैदा हुआ है, If it is a profit of crime, ड्रग्स में से निकला है, भ्रष्टाचार में से निकला है, आर्म्स रैकिट में से निकला है, टैरेरिज्म में से निकला है। अगर अपराध की यह कमाई है तो भारत दूसरे देश को कहे कि मुझे जानकारी दीजिए। दोनों देशों में यह अपराध अगर अपराध माना जाता है तो वे जानकारी देंगे। यह पहला दौर था। दूसरा दौर आया कि अगर वह पैसा टैक्स इवेजन का है और चोरी से रखा है तो देशों ने सहयोग करना आरंभ कर दिया लेकिन सहयोग के लिए आपका उनके साथ फैसला हो, समझौता हो या उनके देश में कानून हो। टेक्नोलॉजी बढ़ी और अब सारी बैंकिंग और कमर्शियल ट्रांजेक्शंस के बारे में कंप्यूटर के माध्यम से सरलता से इंटरनेट पर पता चल जाता है, अब हम इससे तीसरे दौर में जा रहे हैं। अगर पूरी दुनिया को तीसरे दौर में सफलता मिलती है तो लोगों के लिए फ्लाइट ऑफ कैपिटल, यहां का पैसा उड़कर वहां चला जाए, यह इतनी सरलता से संभव नहीं होगा। यह तीसरा दौर ऑटोमेटिक एक्सचेंज आफ इन्फार्मेशन है, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, रियल टाइम में उनकी जानकारी दूसरे व्यक्ति को मिल जाती है। अगर कोई भारतीय अमेरिका में पांच मिलियन डॉलर का ट्रांजेक्शन करता है, एक देश से दूसरे में पहुंचाता है तो अमेरिका उसी वक्त भारत को इत्तिला कर देगा। अगर वह ट्रांजेक्शन ईमानदारी के

पैसे का है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर वह पैसा अपराध या टैक्स इवेज़न का है तो हमारे पास अधिकार होगा कि उसे सबूत मानकर उस पर कार्रवाई करें।

एक विडंबना है कि जितनी भी टैक्स ट्रीटीज़ भारत ने की हैं, जितने भी देशों के कानून बन रहे हैं, उनमें कान्फिडिएंशिएलिटी क्लॉज़ है। इस क्लॉज़ का सौगत राय जी जिक्र कर रहे थे, इसका यूनिफार्म पैटर्न बना है। देश जो अपना डोमेस्टिक कानून बना रहे हैं, जैसे अमेरिका ने एक कानून फटका बनाया है, उसके तहत उन्होंने कहा कि जो भी अमेरिका में कमार्शियल ट्रांजेक्शन होंगी, उसकी इत्तिला की जाएगी। इसमें कान्फिडिएंशिलिटी क्लॉज़ होगी, ईमानदारी की ट्रांजेक्शन होगी तो बात सामने नहीं आएगी, लेकिन अगर पैसा चोरी किया हुआ है या टैक्स इवेज़न का है तो उसकी जांच होगी, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने हर देश को कहा है कि इन्टर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट कीजिए। जी-20 ब्रिसबेन में हाल की मीटिंग में यही हुआ। इसके अतिरिक्त ओ.ई.सी.डी. में भी यह हो रहा है और इस दिशा में जब दुनिया चल रही है तो इन तमाम कानूनों में भी वह कांफिडेंशियलिटी क्लॉज़ है। उसका अर्थ यह नहीं है कि यह जानकारी कभी भी बाहर नहीं आएगी। उसकी रिस्ट्रिक्शन है कि वह कब और कैसे बाहर आ सकती है। जब हमें जानकारी मिलती है, तो उसे लेकर हम सबूत इकट्ठा करें, दोषियों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा करें और जैसे ही मुकदमा किया जाएगा, चूंकि वह खुली अदालत में होता है तो उसकी जानकारी सभी को वहाँ से सार्वजिनक की जा सकती है। लेकिन उससे पहले यदि आप जानकारी दे देते हैं तो फिर उस कानून का या उस ट्रीटी का उल्लंघन मानते हैं। अब तीन प्रकार के जो केसेज़ हमारे सामने आए, उसमें क्या हुआ, इसकी जानकारी मैं दे दूँ। ...(व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): You are repeating Shri Pranab Mukherjee's speech, and saying the same thing. ... (*Interruptions*) We want to know as to when the money is coming back.... (*Interruptions*) Do you have any concrete plan or do you have any idea about it? ... (*Interruptions*) These are all repetitions of Shri Pranab Mukherjee's speech. ... (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Sudipda, I am conscious of my lack of ability to explain anything to you. Therefore, if you do not have ... (*Interruptions*)

Madam, one of the reasons your Government failed was because they were not wanting to understand this. ... (*Interruptions*) Since you are going to be a future Leader of your Party, at least for future benefit try and understand this. ... (*Interruptions*) अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, यदि आप इसे पार्टिशन बनाना चाहते हैं, तो मैं

पार्टिशन उत्तर भी दे रहा हूँ, जो मैं नहीं देना चाह रहा था। वहाँ तो तीन वर्षों तक एस.आई.टी. कैसे न बने, यह दरखास्तें चल रही थीं। 26 मई को हमारी सरकार ने शपथ ली, 27 मई को कार्यकाल सम्भाला और 29 मई की पहली कैबिनेट मीटिंग में इसे एस.आई.टी. के समक्ष करने का पहला फैसला किया गया। ...(व्यवधान) The same instruction of the court applied to the UPA, but for three years you did not act. ... (Interruptions) 4 जुलाई, 2011 का फैसला आपने 26 मई, 2011 तक नहीं स्वीकार किया और एस.आई.टी. नहीं बनायी। ...(व्यवधान) आपकी नीयत एस.आई.टी. बनाने की ही नहीं थी। ...(व्यवधान) उस फैसले के सम्बन्ध में एक विषय पर मेरे मन में भी प्रश्न है, लेकिन हमने पहले एस.आई.टी. बनायी। एस.आई.टी. बनाने के बाद जून के महीने में जितनी भी डिटेल्स हमारे पास तब तक आयी थी, अकाउंट होल्डर्स के नाम, उसके साथ-साथ उनके डिटेल्स, जो भी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध थी, सरकार बनने के तीन सप्ताह के भीतर हमने उसे एस.आई.टी. के हवाले कर दिया। ...(व्यवधान)

Dada, I will explain all the names. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आपस में बातें न करें।

...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: Actually, we are interested in knowing as to when we are going to get the money back. ... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: We want to know from the hon. Minister about the names. ... (*Interruptions*) When will the black money come back? ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, you can continue.

... (Interruptions)

18.56 hrs

At this stage, Shri Sudip Bandyopadhyay, Md. Saleem and some other hon. Members left the House.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: What are you reading Kharge Ji?

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, I want a clarification in this context. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: क्लैरिफिकेशन रिप्लाई पूरी होने के बाद होती है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जेटली साहब, आप डिटेल्स के साथ बोल रहे हैं, खासकर प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजरल मैटर पहले से ही व्हाइट पेपर में आया है और उसके बाद भाषणों में भी आपने कहा है, लेकिन हमारा कहना है कि हम आपसे यह तवक्को करते थे कि 100 दिन में जो 15 लाख रुपये हरेक आदमी की जेब में डालने की बात थी, वह कहां गयी। हम यही आपसे पूछ रहे हैं। आप यह भी जानते हैं कि कांफिडेंशियलिटी क्लॉज होने के बाद यह नहीं बता सकते। यह सब मालूम होते हुए भी आपने बाहर जनता को गुमराह किया। ...(व्यवधान) I am not telling about the Finance Minister. But your President, your Prime Minister and all people told about this. Except you, all people told about this thing. I have heard your speech and also debate. Except you, everybody told the same thing. Somebody told that within hundred days, we will bring back the black money. We will bring back and give Rs. 15 lakhs. ... SHRI ARUN JAITLEY: You worked hard to analyse all the speeches.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I have seen and observed. Naidu Ji is a senior man who has got experience, he told for Rs. 60 lakh. I want to know that at least that Rs. 60 lakh information is there or not. You are not telling. Therefore, we are not satisfied with your answer. We will walk out. ... (*Interruptions*)

18.57 hrs

At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.

... (Interruptions)

श्री एम. वैंकैया नायडू: मैडम, खड़गे जी ने मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं एक लाइन में रिएक्ट करना चाहता हूं। मेरे पास मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंटरी अफेयर्स के नाते दूसरा दायित्व है, इसलिए मैं ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैंने दोपहर में उनसे उनके नेता के समक्ष पूछा था कि आपके सीबीआई डायरेक्टर ने कहा कि 25 लाख रुपये करोड़ की राशि है। यह अधिकृत रूप में सीबीआई डायरेक्टर ने कहा। मैंने वह बात याद दिलाई, उसको वह भूल गए। मैं फील कर रहा हूं। आपकी मीटिंग में जब यह इश्यू आया था तो मैंने कहा था कि अगर बहस चाहिए तो हम बहस के लिए तैयार हैं। दो घण्टे की बहस मांगी, अब पांच घण्टे

बहस करने के बाद भाषण देकर चले गए। यह अन्याय है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने साल की अनुभवी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए, जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। जनता ने उनको आलरेडी सही मार्ग दिखाया है। अगर ऐसा व्यवहार ज्यादा करेंगे तो उनको नुकसान होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

19.00 hrs

श्री अरुण जेटली: हम लोग जब नौजवान थे और नए-नए वकील बने तो हम लोगों को एक सुझाव दिया जाता था कि जिस मुकदमें में तथ्य मजबूत हैं, तथ्यों की बात करो, जहां कानून मजबूत है, कानून की बात करों और जहां दोनों कमजोर हों, तो फिर मेज़ पर थोड़ा सा दबाव डालते रहो। अब पूरी व्यवस्था को समझने के स्थान पर यही कहना कि सरकार ने क्या-क्या किया है, मैं इस बारे में आपको पूरे आंकड़े दूंगा।

कई माननीय सदस्यों ने, चाहे खड़गे जी ने पूछा हो या मुल्याम सिंह जी ने पूछा हो कि यह स्थिति अब कहां खड़ी है, पैसा आएगा या नहीं आएगा, मुलायम सिंह जी ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों ने पैसा निकाल लिया हो। मुलायम सिंह जी, सच्चाई यही है जो आपने कहा। मैं उसके भी तथ्य आपको देता हं। यह केवल राजनैतिक अंतर्विरोध का विषय नहीं है।

तीन प्रकार की स्थितियों से निकलकर हम अब एटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफार्मेशन में जाते हैं। तीन तरह के खाते हैं, जिनके सम्बन्ध में जानकारी है, या सम्भव है। पहले खाते हैं 28 लोगों के जो लिक्टनस्टाइन नाम का एक टैक्स हैवन है, जहां लोग इस प्रकार का पैसा रखते हैं, उन खातों की जानकारी जर्मनी को मिली। जर्मनी के साथ भारत का समझौता था और जर्मनी ने उसके तहत जानकारी हमें दी। हमें उसकी जांच करनी थी और सबूत इकट्ठे करने थे। उस सबूत में यह पता चला कि कुछ लोग एनआरआई हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं तो आपको अधिकार है खाता रखने का, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हो गई। ऐसे 18 लोग थे उनमें से जिनके नाजायज खाते थे। लेकिन जब तक यह प्रक्रिया पूरी होती, तब यूपीए सरकार थी, वे लोग अपना पैसा वहां से निकालते रहे। हमने उन 18 के 18 के खिलाफ इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स कंक्लूड कर दी हैं। उस नाजायज पैसे की जो भी उन पर सजा या पैनल्टी लगा सकते थे टैक्स वगैरह, वे सारे उन पर लगा दिए हैं। उसके बाद उन 18 के 18 पर फौजदारी का मुकदमा भारत के अंदर डाल दिया है।

इसके अतिरिक्त एचएसबीसी का जिनेवा का जो बैंक था, यह पूरा मल्टी इंटरनेशनल बैंक है, उस बैंक का एक कर्मचारी व्हिसल ब्लोअर बन गया और उनका सॉफ्टवेयर वहां से उठाकर ले गया। उस सॉफ्टवेयर को ले जाने के बाद उसने वह सारा का सारा फ्रांस की सरकार को दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने वह बेच दिया। अब फ्रांस के साथ चूिक हमारा समझौता था। दुनिया के अन्य देशों के साथ भी था। फ्रांस ने हर देश के खातों की जानकारी उन देशों को दे दी। भारत को जानकारी मिली कि 2005 और 2007 के बीच में स्विट्जरलैंड के एचएसबीसी के बैंक में इन 627 लोगों के ये एकाउंट्स थे। ये जानकारी 2007 के बाद 2008 और 2009 या 2010 में मिली होगी। हमारो स्विट्जरलैंड से समझौता था, उसमें यह प्रावधान ही नहीं था कि स्विट्जरलैंड हमें जानकारी दे। सन् 2011 में जाकर भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड

से यह समझौता किया। उन खाते वालों को 2007 से 2011 तक की मोहलत मिल गई। इसमें वे क्या करते, खाते में कितना पैसा छोड़ते। सन् 2011 के बाद जब यूपीए ने उनसे पूछा कि हमें जानकारी दो, सबूत दो, तो उन्होंने कहा कि यह जो सारी जानकारी आपको मिली है, इसमें केवल नाम हैं, थोड़ी सी जानकारी है, सबूत नहीं है। हम आपको सबूत नहीं देंगे, क्योंकि यह चोरी के आधार पर मिले हैं, स्टोलन डेटा है और स्विट्जरलैंड स्टोलन डेटा में आपके साथ सहयोग नहीं करेगा। जब हमारी सरकार बनी तो स्थिति यहां तक पहुंची थी।

Government of India is a continuing entity; I am therefore not referring to it on a partisan basis. हमने अपना एक प्रतिनिधि मंडल स्विटजरलैंड भेजा और उस प्रतिनिधि मंडल ने जाकर कहा कि आप हमसे समझौता और सहयोग कीजिए। उन्होंने कहा कि यह चोरी का डेटा है और चोरी के डेटा पर हम समझौता नहीं करते। अक्टूबर में हमने उनसे समझौता कर लिया कि पैसा ले भी गये, लेकिन ऐसे लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए, जिन्होंने इस देश का पैसा चोरी करके वहां रखा। हमने स्विटजरलैंड से चार मुद्दों पर समझौता किया। उसका पहला अंश यह था कि आप केवल चोरी के दस्तावेजों के आधार पर हमारी मदद न करें, लेकिन अगर हम कोई सबूत इकटठा करते हैं तो उन सबूतों के आधार पर तो आप हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे। हमने कहा कि फिर क्या टाइम-फ्रेम है जिसमें आप हमारी सहायता करेंगे। आप इन दस्तावेजों को कंफर्म या डिनाई करों कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। चौथा, भविष्य के लिए हमारे साथ बातचीत शुरु कीजिए कि कोई भी भारतीय अगर स्विटजरलैंड में एकाउंट खोलता है या कोई ट्रांजेक्शन करता है तो there is an automatic transformation of information to us. Now, this four-point agreement has been put in force; this is an arrangement and we are in regular touch with them. इन 627 में कुछ के केवल नाम थे। अब व्यक्ति का नाम मिल जाए और पता न हो तो कहां ढूंढेंगे? हमने 427 नामों को चिन्हित कर लिया है और उन सब को नोटिस दे दिये हैं, उन सब की पेशी हो रही है। एक-एक करके कई लोगों पर फौजदारी के मुकदमें अदालतों में डाले गये हैं। जब मीडिया के मित्रों को जानकारी मिलेगी तो पता चलेगा कि उसमें बहुत प्रभावी लोग भी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 31 मार्च तक उनकी टैक्स असेसमेंटस खत्म कर दें और जो-जो उसमें गैर-कानुनी माने जाएंगे, जिन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमें दायर होंगे। हर सप्ताह मुकदमें दायर हो रहे हैं। निचली अदालत में मुकदमें दायर होते हैं तो देश भर में जहां उनकी असेसमेंट थी वहीं दायर होते हैं। उन 427 में से 250 लोगों ने आकर कबूल कर लिया कि यह हमारा एकाउंट था। यह सारी की सारी कार्रवाई एसआईटी के

तहत हो रही है। अब सवाल यह है कि कुछ लोग तो पैसा निकाल कर ले गये, बाकियों का क्या होगा? दुनिया में बीसियों ऐसे केन्द्र और हैं जहां टैक्स हैवन्स में लोग पैसा रखते हैं। आज हमने ''डबल टैक्सेशन अवाएडेंस ट्रीटी" के तहत 92 देशों के साथ समझौते कर लिये हैं, तिरानवें के साथ भी हस्ताक्षर हो गये हैं तथा सात अन्य के साथ बातचीत चल रही है। टैक्स इंफोर्मेशन का जो फैसला किया है, 15 के साथ पहले से है, 2 के साथ और किया है तथा 29 और ऐसे देश हैं जहां पैसा रखा जाता है उनके साथ हम यह समझौता कर रहे हैं। ये तो केवल दो बैंक लिचनस्टीन और एचएसबीसी स्विटजरलैंड के हुए, लेकिन जो लोग निकट भविष्य में पैसा रखेंगे, तो हम दुनिया के जितने ऐसे देश हैं, उन सब के साथ जो लार्जर कम्युनिटी ऑफ नेशन्स हैं, हम एटोमैटिक ट्रांसिमशन का समझौता कर रहे हैं। हम 48 बड़े देशों में अर्ली-एंट्रेंस हैं, जिन्होंने यह तय कर लिया है कि एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर करेंगे। कोई भारतीय विदेश में और कोई विदेशी भारत में पैसा रखता है तो उसकी जानकारी शेयर करेंगे। जी-20 ब्रिसबेन में माननीय प्रधान मंत्री ने इसी के लिए प्रयास किया। ओईसीडी में हुआ और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जो अमरीका ने पटका नाम का कानून बनाया है, जो 2015 से लागू होना है, वह अनिवार्य करता है कि हर देश हमारे साथ फैसला करे कि एक दूसरे के ऐसे खातों की जानकारी शेयर होगी। जो देश ऐसा नहीं करेगा, उसमें जो रैमिटेंस जाएगा, केवल अमरीका से ही नहीं बल्कि उन देशों से भी जिन्होंने हस्ताक्षर किये हुए हैं। उस देश के ऊपर हम तीस परसेंट लगा देंगे, जिसको विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं। कोई एक्सपोर्टर का पैसा आएगा या एफडीआई आएगी या कोई एनआरआई अपने परिवार को पैसा भेजेगा तो तीस परसेंट कट जाएगा, अगर आप ऑटोमैटिक ट्रांसिमशन ऑफ इनफोर्मेशन के इस कानून पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उसमें भी कॉनफिडेंशियलिटी क्लॉज़ है। वह कॉनफिडेंशियलिटी क्लॉज़ यह है और वह यह नहीं कहता है कि कभी जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए हम में से किसी का नाम सामने आ जाता है और जांच में पता चलता है कि यह पैसा जायज़ था। किसी एनआरआई ने रिज़र्व बैंक की अनुमति से बाहर रखा हुआ था तो उस व्यक्ति को बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नाजायज़ है और सुबृत है तो केस डालिए और नाम सार्वजनिक कर दीजिए। इसलिए विषय यह नहीं है कि जानकारी दी जाए या नहीं दी जाए, विषय यह है कि जानकारी कब दी जाए? The question is not whether to give information or not, but when and how to give information. कुछ लोग बहत बहादूर बनते हैं और कहते हैं कि नाम तूरन्त दे दीजिए। ये जितने लोग बिना सुबृत और केस के नाम को सार्वजनिक करने का आग्रह करते हैं, वे अकाउंट होल्डर्स की मदद कर रहे हैं, इससे न स्वीट्ज़रलैंड दस्तावेज देगा क्योंकि

आपने उल्लंघन किया है और वह अकाउंट होल्डर कहेगा कि देखिए मेरे खिलाफ तो कोई सुबूत ही नहीं है, मैं तो निर्दोष पाया गया हूं। इसलिए इस पर हमें सम्भल कर चलना है।

अब विषय आया कि भविष्य में या पुराने लोगों को पकड़ते हैं तो टैक्स किस माध्यम से करेंगे? मैं यह ईमानवारी से स्वीकार करता हूं कि हमारे कानून में एक कमज़ोरी है और कमज़ोरी यह है कि जब पैसा पकड़ा जाएगा तो उसको वापस कैसे लाना है? उसको भी अब पूरा करने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि एसआईटी भी इस विषय की चिंता कर रही है। इनकम टैक्स एक्ट में बाहर वाले का अधिकार नहीं है। मैंने मनी लॉड्रिंग एक्ट का अध्ययन किया है, उसमें भी शायद कमज़ोरी है, उसे भी बदलना पड़ेगा। अगर बाहर से नहीं ला सकते हैं तो देश में उतने ही पैसे की उसकी जो सम्पत्ति है उसको कुर्क करने का अधिकार होना चाहिए। इसे इनकम टैक्स में करें या मनी लॉन्ड्रिंग में करें। यूएन कनवेंशन में प्रावधान है कि यहां फौजदारी मुकदमे डालकर सज़ा का डर पैदा करके उस व्यक्ति का धन वापस लाएंगे। राजनैतिक बहस से तो हम कर सकते हैं कि इतने दिनों में लाएंगे और इतना पैसा है, लेकिन इस व्यवस्था को हमारे लिए समझ लेना बहुत आवश्यक है। इसमें एक कठिनाई और भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्ष 2011 के फैसले में कहा है कि यह कॉनफीडेंशियलटी क्लॉज़ गलत है। दुनिया कहती है कि बिना कॉनफिडेंशियलटी क्लॉज़ के हम मदद नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कहें कि इन ट्रीटीज़ का सम्मान हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह विषय एसआईटी पर छोड़ दिया है और हम एसआईटी के सामने भी रख रहे हैं।

मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार पूरा प्रयास करेगी कि सौ दिन, पांच सौ दिन या हजार दिन, जितना भी समय लगे, जितने भी महीने और वर्ष लगें, जब तक इनमें से आखिरी खाते वाले को पकड़ कर नहीं लाया जाएगा, हम इस प्रयास को नहीं छोड़ने वाले हैं। यह स्वाभाविक है कि राजनैतिक जीवन में हम एक-दूसरे को ताना दे सकते हैं कि आपने ये कहा था, अब आप उसको निभाओ। उस पर हम राजनीति की दृष्टि से चलेंगे। लेकिन जो प्रक्रिया हम लोग निभा रहे हैं, उसको पूरा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सही कानूनी रास्ते पर चल रहे हैं और शीघ्र ही ऐसे लोगों को सज़ा होगी और वे देश में पैसा लाने को मजबूर भी होंगे। मैं इतना ही इस सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, वित्त मंत्री जी ने काफी विस्तार से अपनी बात रखी। I think, many of us have been convinced. One thing is relating to the issue that I have raised during my deliberations is that whether the names would be revealed or not.

One was the confidentiality clause. Yet, I would say that I beg to differ to what is being said because there are other provisions on which the Supreme Court has been insisting. I am not going into that issue now. But it is relating to the names that are to be revealed. पूरा देश जानना चाहता है किन-किन के खाते बाहर रखे गये हैं और आपने अभी कहा कि जो सिस्टम इंकम टैक्स एक्ट में है कि यदि किसी ने टैक्स नहीं भरा है, अगर पकड़े जाने के बाद वह भर देता है तो जैसा आपने कहा कि 250 account holders have paid the tax. There the confidentiality clause does not arise. They have come to your net. Why cannot you reveal those names that these were the account holders who had accounts outside and have come back to us? As they are paying the tax, at least reveal those names so that the confidence of this country will be restored. Are you going to do it or not?

I have one more point to make and I expect this Government to do that. DTC Bill is pending; Goods and Services Tax Bill is also pending. These two Bills will be the major instruments in your hands, in the hands of the Government to tackle black money. When are those Bills going to come?

SHRI ARUN JAITLEY: Madam Speaker, I will answer the second question first.

The DTC Bill is under our consideration. The earlier Government had drafted it. As far as the GST Bill is concerned, we have arrived at a broad consensus. There are some issues. The next meeting of the Empowered Committee has been called very shortly. I am confident that we will try and arrive at a consensus and possibly introduce the Bill in this Session itself. This is my endeavour and I hope that I will succeed in it.

As far as your first question is concerned about other clauses, please remember that there are well meaning people who made this suggestion. Our court has said this. Let us bring a legislation in India and that legislation will get

us everything. I am not doubting it. They are very well meaning people but we are dealing with a case where the evidence is outside India. Whatever you do has to be consistent with international jurisprudence. The word in all these laws is that 'case is filed in a public court'. Now all commentaries, OECDs, interpretation of all other countries to this public court is whether charges are filed with evidence in a criminal court. Our Supreme Court said, "No, telling us is also a public court." We said, "We can tell you. We can tell the SIT. But through you, we cannot tell the world at large." Therefore, this inconsistency does exist and that is why, we went back to the court. On day one, the court reacted but on day two, they said to please go to the SIT as SIT is considering this issue. Unless our domestic procedures harmonise with international practices and interpretations, you may flex your muscles in your own country. As I said in the other House yesterday, we can get a one day thrill of making the names public but if those countries do not accept our interpretation of international jurisprudence, then we will probably have 30 per cent withholding tax on us with the world not cooperating with us.

Therefore, what we have to look forward in this is not a bravado or adventurism but a thorough approach.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: But what about those who have settled the tax?

SHRI ARUN JAITLEY: Now as regards those who have settled the tax, if they are still guilty of a criminal offence, and with proof I move the court which is possible because the language is "in a public court", I can make it public when I go to a public court. I cannot make that phrase, "public court" disappear in the Tax Treaty. So, I am looking at not only criminal jurisprudence but also how the international jurisprudence has accepted that. Therefore, my own jurisprudence may take a particular interpretation, but it has to harmonise with the global standards.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): If I commit a murder and admit it, I will be excused!

SHRI ARUN JAITLEY: No, if you murder somebody, you will be arrested. But even there it is necessary that charges against you are filed in court. I will give you a simple example. The Reserve Bank permits you to repatriate 1.25 lakh dollars every year. Supposing you take the Reserve Bank's permission, take the money outside and open an account in Switzerland, your name will be given to us. But you say that it is an honest and legitimate account and I have transferred it by cheque from India with RBI's permission. Should I make you a subject of debate on the 9 o'clock television in the evening? Obviously, I cannot do that. Therefore, the international jurisprudence on the subject is, when I find that it is unlawful and I file charges against you in court, then you will be a subject matter of that debate and you will have your right of defence in the court.

Mahtab ji, if I faulter in the procedure and make a hasty disclosure without evidence then I won't get the evidence and the account holders will have the last laugh. I am not willing for that.

HON. SPEAKER: Thank you very much.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Please permit me to seek a clarification.

HON. SPEAKER: This will go on like this. That is not the practice.

The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 28th November, 2014 at 11 a.m.

19.22 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 28, 2014/Agrahayana 7, 1936 (Saka).